इस्लामी
ख़ानदान
मोहम्मद शमशाद नदवी
उस्ताज़, जामिअ-तुल-हिदाया, जयपुर

इस्लामी ख़ानदान

इस्लाम के तशकीलकर्दा ख़ानदानी निज़ाम के ख़द्दोख़ाल क्या हैं? ऐसे ख़ानदानी निज़ाम के समरात व बरकात क्या हैं? और मौजूदा इंसानी समाज के लिए इस्लामी ख़ानदानी निज़ाम की ज़रूरत क्या है और जदीद ख़ानदानी निज़ाम किन ख़तरात से दोचार है? टूटते रिश्ते और बिखरते ख़ानदान की वजह से इंसानी समाज किन मसाइब व मुश्किलात से दोचार है? इन सब सवालों पर इस किताब में तफ़सीली गुफ़्तगू की गई है। किताब की तरतीब में मुस्तनद किताबों से मदद ली गई है।

मौलाना मोहम्मद शमशाद नदवी
उस्ताज़, जामिया-तुल-हिदाया, जयपुर

नाशिर
इदारा तहक़ीक़ाते इस्लामी, जयपुर

- नाम किताब : **इस्लामी ख़ानदान**
- मुसन्निफ़ : मोहम्मद शमशाद नदवी
- तादाद : 1000
- सफ़हात : 184
- पहली इशाअत : 2016 ई.
- कम्पोज़िंग : अल क़लम कम्प्यूटर्स, जयपुर
मो. 8963831115
- पब्लिशर : इदारा तहक़ीक़ाते इस्लामी, जयपुर

اسم الكتاب : **اسلامی خاندان** (الأسرة الإسلامية فی ضوء نصوص الشريعة الإسلامية)

اسم المصنف : الأستاذ محمد شمشاد الندوی حفظه الله

الصفحات : ١٨٤ العدد: ١٠٠٠

ملتزم الطبع والنشر : مؤسسة البحوث الإسلامية، بمدينة جيفور بولاية راجستان، الهند

طبع هذا الكتاب على نفقة أحد اصحاب الخير حفظه الله و رعاه و جزاه احسن ما يجزی به عباده الصالحين۔

क़ारी असअदुल इस्लाम साहब सीतामढ़ी हाल मुक़ीम दौहा (क़तर) की मारफ़त एक साहिबे ख़ैर के माली तआवुन से यह किताब शाए की जा रही है, अल्लाह तआला इन दोनों को दोनों जहानों में कामयाबी व सरबुलन्दी अता फ़रमाए। आमीन।

मिलने के पते :-

1. जामिअ-तुल-हिदाया, रामगढ़ रोड, जयपुर, राजस्थान
2. मकतबा अन्नदविया, दारुल उलूम नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग, लखनऊ
3. इमारते शरईया, फुलवारी शरीफ़ी, पटना, बिहार
4. जामिआ काशिफ़ुल उलूम, जामे मस्जिद बड्डी लैन, औरंगाबाद, महाराष्ट्र
5. माहद अद्दिरासातुल इस्लामिया, 63, दारुस्सलाम, आरिफ़ कॉलोनी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र
6. अल करीम इस्लामिक एकेडमी, यूनुस मंज़िल, रामपुर केशो, फुलकाहाँ, शिवहर, बिहार
7. अन्जुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन, रामपुर केशो, फुलकाहाँ, शिवहर, बिहार

हिन्दी एडीशन

الحمدلله رب العالمين والصلوٰة والسلام على اشرف المرسلين وعلىٰ آلهٖ وصحبهٖ اجمعين

इस्लामी ख़ानदान का हिन्दी एडीशन पेशे ख़िदमत है। इससे क़ब्ल इस किताब के तीन उर्दू एडीशन मंज़रे आम पर आकर मक़बूल हो चुके हैं। उलमाए किराम और असातिज़ा-ए-इज़ाम और मुसन्निफ़ीन ने तवक़्क़ो से ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई व तहसीन फ़रमाई। मैंने इस किताब की तस्नीफ़ व तालीफ़ में जामिअ-तुल-हिदाया की **मरकज़ी लाइब्रेरी**, **हिदायत कलेक्शन लाइब्रेरी** और ई-बुक लाइब्रेरी **अल मकतबा अश्शामिला** से इस्तफ़ादा किया है। मैंने इस बात की हत्तल मक़दूर कोशिश की है कि कोई बात बग़ैर हवाले के तहरीर न करूँ। इन्शा अल्लाह जल्द ही इस किताब का चौथा उर्दू एडीशन ज़रूरी तरमीम व इज़ाफ़े के बाद मंज़रे आम पर आएगा। उसमें उलमाए किराम और साहिबे तस्नीफ़ व तालीफ़ के तास्सुरात भी शामिल किए जाएंगे।

इस हिन्दी एडीशन पर मैं अपने तमाम करम फ़रमाओं व मुहसिनीन ख़ुसूसियत से **हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ज़लुर्रहीम साहब** मुजद्दिदी नक़्शबन्दी मद्दा ज़िल्लहुल आली अमीर जामिअ तुल हिदाया जयपुर और **हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ियाउर्रहीम साहब** मुजद्दिदी मद्दा ज़िल्लहुल आली नायब अमीर जामिअ तुल हिदाया जयपुर का समीमे दिल से मशकूर हूँ कि उनकी इल्म परवरी और इल्मी काविशों की हौसला अफ़ज़ाई और दुआएँ शरीके हाल रहती हैं। मेरी वालिदा माजिदा, असातिज़ा-ए-किराम, अज़ीज़ो अक़ारिब, शागिर्द और वाबस्तगान मेरी नई किताब के ज़ेवरे तबाअत से आरास्ता होने के मुन्तज़िर रहते हैं। मेरी शरीके हयात ना मुसाईद हालात और ज़माने के तक़ाज़ों के बावजूद सब्र व इस्तक़ामत और ईसार व क़ुर्बानी के साथ मेरे तदरीसी तस्नीफ़ी सफ़र में मुआविन हैं। जब भी कोई किताब मंज़रे आम पर आती है तो मेरी अहलिया और औलाद को ढ़ेरों ख़ुशियाँ हासिल हो जाती हैं। अल्लाह तआला उनकी उम्र और सेहत में बरकत अता फ़रमाए। आमीन।

इन्टरनेट ने मुसन्निफ़ीन के लिए नई उम्मीदों के दरवाज़े खोल दिए हैं और उनको ख़ुद किताबें छापने का मौक़ा दिया है। एक सर्वे के मुताबिक़ 2006 के बाद ई-बुक की इशाअत, तबाअत के मुक़ाबले में चार गुना बढ़ गई है। ईमेल, फ़ेसबुक, ट्वीटर किताबों के तआरुफ़ के बेहतरीन ज़राए हैं। मुसन्निफ़ीन इन राहों से भी अपना मतलूबा हदफ़ हासिल कर रहे हैं और क़ारेईन के लिए भी अपनी मतलूबा किताब व मुसन्निफ़ तक रसाई आसान हो गई है बल्कि हज़ारों लाखों किताबों पर मुश्तमिल लाइब्रेरी हर वक़्त उनके साथ रह सकती है। ई-बुक की बढ़ती हुई मक़बूलियत को देखते हुए रक़िमुल हुरूफ़ ने भी अपनी किताबों को वेबसाइट के हवाले किया। मेरी उर्दू किताबों के लिए मुन्दर्जाज़ैल वेबसाइट्स से रुजू करें-

- www.pdf9.com/book of author Muhammad Shamshad Nadwi:1607 html
- www.serat-e-mustaqeem.com
- www.urdufanz.com/60158 Jahaiz Aik Nasoor by Shaykh Muhammad Shamshad
- facebook.com/mohdshamshadnadwi.in

मोहम्मद शमशाद नदवी

फ़ेहरिस्त

❖❖❖

मुक़द्दमा

हज़रत मौलाना मो. राबे साहब हसनी नदवी

नाज़िम नदवतुल उलमा लखनऊ, सदर ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

दारुल उलूम नदवतुल उलमा के फ़रज़न्द अज़ीज़ी मो. शमशाद नदवी जो जामिअ तुल हिदाया में उस्ताद के मनसब पर तदरीस के साथ तसनीफ़ व तालीफ़ का मशग़ला रखते हैं, इनके इस मशग़ले के जो नमूने सामने आये, वो मुफ़ीद और तामीरी सिफ़ात से मुत्तसिफ़ नज़र आए। उनमें से कई पर उन्होंने मुझसे मुक़द्दमा लिखवाया, मुक़द्दमा लिखने के ताल्लुक़ से उनकी मुताल्लिक़ा तसनीफ़ात पर नज़र डालने का मौक़ा मिलता रहा। ख़ुशी होती थी कि वक़्त की ज़रूरत और सहलुल फ़हम अन्दाज़ में उन्होंने इस्लामी नुक़ता-ए-नज़र को पेश किया और इसी के साथ-साथ मुहतात इल्मी तर्ज़ को भी इख़्तियार किया। उनकी इन तस्नीफ़ात के ज़रिए इल्मी पहलू से अच्छे फ़वाइद भी हासिल किये जा सकते हैं और इस्लाही व तरबियती मक़सद में भी मदद मिलती है।

उन्होंने आम तौर से ऐसे मौज़ूआत इख़्तियार किये जिनका मौजूदा ज़िन्दगी से गहरा ताल्लुक़ है और वह वक़्त का मौज़ू बने हुए हैं। मसलन जहेज़ एक नासूर, हिन्दुस्तानी औरतों के मसाइल और मुश्किलात, इस्लाहे मुआशरा और इस्लाम। उनकी यह तसनीफ़ात मुल्क की मुतअद्दद दारुल इशाअतों से शाये हुईं। मसलन फ़रीद बुक डिपो, नई दिल्ली और अल हिदाया इस्लामिक रिसर्च सेन्टर, जयपुर। अब उनकी यह नई किताब **इस्लामी ख़ानदान** शाये होने जा रही है। जो डेढ़ सौ से ज़ाइद सफ़हात पर मुश्तमिल है और इसमें मग़रिबी मुआशरे में ख़ानदानी ज़िन्दगी के गिरावट के जो हालात हैं, उनका जायज़ा मुस्तनद हवालों से पेश करते हुए इस्लाम का ख़ानदानी निज़ाम जिन अहकाम और ख़ुसूसियात पर मुश्तमिल है, उनको सहल लेकिन

आलिमाना अन्दाज़ में बयान किया है जिसमें निकाह के ताल्लुक़ से और औलाद के सिलसिले में जो तरबियती हिदायात हैं उनको पेश किया है। साथ साथ शौहर और बीवी के माबैन ज़िम्मेदारियों और हुक़ूक़ के सिलसिले में जो रहनुमाई वहिये इलाही के ज़रिए हासिल हुई है, उसकी हकीमाना ख़ूबियों का ज़िक्र किया है।

फिर मौजूदा तमद्दुन के हालात में ख़ानदानी ज़िन्दगी में और ख़ास तौर पर औरत के ताल्लुक़ से जो तरह-तरह के मसाइल उठाए जाते हैं और जो उलझनें पेश आती हैं, उनके हवाले से इस्लाम की मुफ़ीद और मुतवाज़िन रहनुमाई बयान की है, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक में जो कोताही आम हो गई है उनकी निशानदेही के साथ इस्लाम की ज़रूरी हिदायात भी पेश की हैं और इस्लाम ने ख़ानदानी ज़िन्दगी की जो अहमियत बताई है और उसमें सिला रहमी और हुस्ने सुलूक और आपस की मुहब्बत और ताल्लुक़ की जो ख़ुसूसियात मुतअय्यन की हैं उनका भी ज़िक्र किया है। इस तरीक़े से उनकी यह तस्नीफ़ ख़ानदान के इस्लामी निज़ाम के ख़द्दो ख़ाल के बयान करने पर एक रहनुमा किताब बन गई है जिसका पढ़ना उन सब लोगों के लिए जो इस सिलसिले में इस्लाम का नुक़ता-ए-नज़र जानना चाहते हैं और अपने ख़ानदानी ताल्लुक़ात में ख़ुदावन्दी अहकाम की पैरवी के तरीक़ों से वाक़िफ़ होना चाहते हैं, एक मुफ़ीद तसनीफ़ है।

हमको ख़ुशी है कि अज़ीज़े गिरामी मोहम्मद शमशाद नदवी ने यह एक अच्छा काम अन्जाम दिया है, अल्लाह तआला क़ुबूल फ़रमाये और ज़्यादा से ज़्यादा मुफ़ीद बनाए।

15 मार्च 2009 ई.

मोहम्मद राबे हसनी नदवी
तकिया कलाँ, रायबरेली

दुआईया कलिमात

हज़रत मौलाना सैय्यद मो. वली रहमानी साहब
सज्जादा नशीन : ख़ानक़ाहे रहमानी मूंगेर (बिहार)
अमीरे शरीअत : इमारते शरईया बिहार, उड़ीसा व झारखण्ड

अज़ीज़ मुकर्रम मौलाना मो. शमशाद नदवी साहब

सलाम मसनून

आज की डाक से आपका ख़त और छः जिल्दें इस्लामी ख़ानदान की मिलीं, जज़ाकुमुल्लाहु ख़ैरा। यह किताब भी उम्दा लिखी गई और अच्छी छपी है। अल्लाह करे ख़ल्क़ और ख़ालिक़ के दरबार में मक़बूल रहे, आमीन।

आपकी क़लमी फ़ुतूहात देखकर ख़ुशी होती है, तदरीस से बचे औक़ात को आपने बड़े अच्छे मसरफ़ में इस्तेमाल किया और कर रहे हैं अल्लाह तआला मज़ीद मवाक़े दे। .... अल्लाह तआला आपके क़लम को रवाँ-दवाँ रखे। आमीन

वस्सलाम

27 अक्टूबर 2015 ई.

सैय्यद मो. वली रहमानी
मूंगेर, बिहार

पेशे लफ़्ज़

हज़रत मौलाना नूर आलम ख़लील अमीनी

चीफ़ एडीटर : 'अद्दाई' देवबन्द, उस्ताज़ अरबी अदब : दारुल उलूम देवबन्द

तहज़ीबे मग़रिब की हमागीर ग़ारतगरी के पेशे नज़र दानिश्वराने इस्लाम हर ज़बान बिलख़ुसूस अरबी में उसकी ख़तरनाकियों से मुतनब्बह करने के लिए बराबर किताबें और मक़ालात लिखते रहे हैं। उर्दू का दामन भी अल्हम्दु लिल्लाह इससे ख़ाली नहीं। इन किताबों और तहरीरों में जहाँ तहज़ीबे मग़रिब की सितमगरी के मुज़मरात व असरात से मुतनब्बह किया गया है, वहीं मग़रिबी मुआशरे में ख़ानदानी निज़ाम की अबतरी, उसके नज़रिया-ए-ज़िन्दगी, उसमें ख़ानदानी निज़ाम के बिखराव को वाशगाफ़ करते हुए यह बताया गया है कि इसके बिलमुक़ाबिल इस्लाम में ख़ानदानी निज़ाम कैसा है? इस्लाम इसकी बक़ा, इसके इत्तिहाद व इस्तिहकाम का ज़ामिन किस तरह है? यहाँ इत्तिहाद व मुहब्बत व बाहमी एहतराम व सुकून व इत्मीनान क्यों है? इसकी बुनियाद किन बातों पर उस्तवार की गई है? यह क्यों बाइसे इफ़्फ़त व पाकदामनी है और इन्सान की जिन्सी बेराहरवी की राह किस तरह रोकता है? गर्ल फ्रेंड व ब्वॉय फ्रेंड और लातादाद औरतों से मावराये निकाह लज़्ज़त अन्दोज़ी से बचने के लिए उसने क्या-क्या तदबीरें वज़ा की हैं? यहाँ वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक व अदाये हुक़ूक़ की कितनी ज़मानतें दी गईं और ताकीदें की गई हैं? हत्ता के मौत के बाद भी इस हुस्ने सुलूक पर पैहम अमल पैरा रहने की पुरज़ोर दावत दी गई है और उनके साथ बदएहतरामी, सख़्त गुफ़्तारी और उन्हें सब्बो शितम करने को गुनाहे कबीरा क़रार दिया गया है। दूसरी तरफ़ वालिदैन पर औलाद की तालीम व तरबियत, उन्हें अच्छी सोहबत में नश्वो नुमा पाने और दीन व दुनिया की सतह पर कामयाब बनकर ख़ुदा की निगाह में मतलूब

व महबूब और ख़ल्क़ की निगाह में सुर्ख़रू हो जाने की राह हमवार करने का फ़रीज़ा आइद किया गया है। यहाँ न सिर्फ़ अहले क़राबत, बल्कि पड़ोसियों, यतीमों, बेवाओं, बेकसों और मज़लूमों के साथ हुस्ने सुलूक, दादरसी और ज़रूरत के वक़्त उनकी भरपूर इमदाद व इआनत को इस्लाम की शनाख़्त, ख़ुदा की क़ुर्बत और दुख़ूले जन्नत का ज़रिआ बताया गया है। यहाँ ज़नो-शौहर के हुक़ूक़ व वाजिबात की वाज़ेह ताईन करके उनका इस तरह पाबन्द बनाया गया है कि उन पर अमल न करने की सूरत में शरीअते इस्लामी की रोशनी में दोनों सज़ा के मुस्तहिक़ होते हैं। न सिर्फ़ आम मुसलमानों बल्कि मज़हब व मसलक से ऊपर उठकर आम इन्सानों, इन्सानी मुआशरे के सारे अफ़राद के हुक़ूक़ की दर्जाबन्दी करके उनकी अदायगी की तालीम दी गई है। यहाँ मीरास की तक़सीम का जो आदिलाना निज़ाम है उसकी नज़ीर दुनिया के किसी भी निज़ामे ख़ानदान में नहीं मिलती। यहाँ अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के ठोस और मुस्तहकम शोबे के ज़रिए फ़र्द को सही सिम्त देने, इन्सानी डगर पर क़ायम रहने और अपनी ज़ात, तमाम बनी नौए इन्सान, तमाम मख़लूक़, पूरी कायनात के लिए नाफ़े बनने और अपने ख़ुदा से जुड़े रहने की मज़बूत बुनियाद फ़राहम की गई है।

इस मौज़ू पर नौजवान व बासलाहियत आलिमे दीन व अहले क़लम मौलाना मोहम्मद शमशाद नदवी, उस्ताद जामिअतुल हिदाया, जयपुर की तालीफ़े लतीफ़ **इस्लामी ख़ानदान** का मुसव्वदा देखने को मिला, नाचीज़ ने जस्ता-जस्ता तक़रीबन पूरी किताब ही देख डाली। बड़े मज़े की तसनीफ़ है। किताब के मशमूलात और मवाद के इन्तिख़ाब के अन्दाज़ से उनकी भरपूर मेहनत का बख़ूबी अन्दाज़ा होता है। उन्होंने तक़रीबन 32 मराजे व मसादिर से फ़ायदा उठाया है जो बहुत मुस्तनद हैं। उनकी तक़रीबन 15 तसानीफ़ हैं। कम उमरी के बावजूद यह बहुत बड़ी कामयाबी और उनके क़लम की जौलानी की दलील है। इसके

अलावा बहुत से सेमीनार में इल्मी व तहक़ीक़ी शिरकत की है, वह माहनामा 'हिदायत' जयपुर के मुआविन मुदीर की हैसियत से भी सरगर्मे अमल हैं। लिखने का ख़ूबसूरत ज़ौक़ है, जो कुछ लिखते हैं उसमें बेसाख़्तगी और रवानी होती है। तवक़्क़ो है कि वह तहरीरी मैदान में बहुत ऊँचा उठेंगे। मौसूफ़ ने इस किताब में मज़कूरुस्सद्र तमाम मौज़ूआत को मरकज़ी और ज़ैली उनवानात के तहत समेटा है और बहुत अच्छा लिखा है।

किताब अगर मवाद से भरपूर हो, उसलूबे तहरीर दिलकश हो, ज़िन्दा रहने और क़ारेईन को पढ़ने के लिए मजबूर करने की सलाहियत रखती हो..... जैसाकि मौसूफ़ की यह किताब है ..... तो फिर किसी मुक़द्दमे, तक़रीज़ और तारीफ़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इस तरह की किताब के लिए यह चीज़ें एक तरह का धब्बा बल्कि किताब के लिए कम क़द्री का बाइस बनती हैं, हाँ किसी मुक़द्दमे का यह फ़ायदा ..... बशर्तेकि सलीक़े से लिखा गया हो ...... ज़रूर होता है कि क़ारी का ज़ेहन पढ़ने के लिए आमादा हो जाता है और किताब का हासिल उसको मुक़द्दमे से, किताब की ख़्वांदगी से पहले मुख़्तसरन अच्छी तरह मालूम हो जाता है जिससे किताब के मज़ामीन को जज़्ब करना उसके लिए आसान होता है।

तवक़्क़ो है और ख़ुदाए करीम की तौफ़ीक़ व लुत्फ़ो करम के तुफ़ैल यक़ीन किया जा सकता है कि यह किताब हाथों हाथ ली जायेगी, ख़ुसूसन इसलिए कि यह क़ीमती मवाद और नफ़ा बख़्शी की सलाहियत से भरपूर है। अल्लाह तआला मुसन्निफ़ के लिए इसको ज़ख़ीरा-ए-आख़िरत बनाए और उन्हें मज़ीद अच्छी-अच्छी किताबें लिखने की तौफ़ीक़ बख़्शता रहे।

15 मई 2009

नूर आलम ख़लील अमीनी
दारुल उलूम देवबन्द

तक़रीज़

हज़रत मौलाना मुफ़्ती मोहम्मद यूसुफ़ तावली साहब

उस्ताज़े हदीस व फ़िक्ह : दारुल उलूम देवबन्द
ख़लीफ़ा मजाज़ हज़रत मुफ़्ती महमूदुल हसन साहब गंगोही

हामिदन व मुसल्लियन

इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्तए हयात है। इन्सानी ज़िन्दगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है कि वहाँ क़ानूने इस्लामी ग़ैर वाज़ेह, मख़्फ़ी व पिन्हाँ हो। इस्लाम के तमाम अहकाम (अज़ क़बीले अवामिर हों या नवाही) उनकी असल इलल व अस्बाब की जानकारी ख़ालिक़े कायनात के लिए मुख़्तस है, गो हर ज़माने में उलमाए हक़ ने अपनी बिसात के मुताबिक़ उनके असरारो निकात बयान करने की सई फ़रमाई है। फ़जज़ाहुमुल्लाहु ख़ैरल जज़ा।

इस ज़ाब्तए हयात और क़ानूने मुकम्मल पर अमल पैरा होने से मिसाली ख़ानदान बअलफ़ाज़े दीगर इस्लामी रिवायात के हामिल ख़ानदान माअ्रज़े ज़हूर में आते हैं और आते रहेंगे और उनके अख़लाक़ो किरदार इस्लाम की सदाक़त की सदा बुलन्द करते रहेंगे। इस्लामी ख़ानदान में क़वानीने इलाही की मुताबिअत का असर मुरत्तब है और इस्लामी ख़ानदान यह वह उनवान है जिसके तहत मुआशरत व मामलात, इक़्तिसादियात व सियासियात उसी तरह दाख़िल हैं जैसे ऐतक़ादात व इबादात। इसी उनवान से तहज़ीबो तमद्दुन, तज़किया-ए-नफ़्स और तदबीरे मंज़िल और सियासते मदनिया के अबवाब खुलते हैं। इसी मौज़ू पर जनाब मौलाना मोहम्मद शमशाद नदवी साहब उस्ताद जामिअतुल हिदाया जयपुर ने **इस्लामी ख़ानदान** के नाम से एक किताब तालीफ़ की है। किताब बहुत उम्दा है। मुरत्तब व मुदल्लल मज़ामीन हैं और किताब का उनवान मानून का उमदा तर्जमान है।

हक़ तआला मौसूफ़ की मेहनत को शरफ़े क़ुबूलियत अता फ़रमाये और हम सबको इस्लामी ख़ानदान का हामिल बनाए।

28-10-1435 हिजरी **मोहम्मद यूसुफ़ तावली**

हर्फ़े चन्द

डॉ. मौलाना सदरुल हसन साहब नदवी मदनी
चीफ़ एडीटर : माहनामा 'अल कौसर' औरंगाबाद
प्रोफ़ेसर : सर सय्यद कॉलेज औरंगाबाद, मराठवाड़ा यूनिवर्सटी औरंगाबाद

इस्लाम आख़िरी मज़हबे हिदायत है और उम्मते मुस्लिमा इस आख़िरी शमए हिदायत की हामिल आख़री उम्मत। इसलिए सालेह और मिसाली मुआशरे की तशकील, उसका बुनियादी और अव्वलीन मतमहे नज़र है क्योंकि सालेह मुआशरे की तशकील के बग़ैर मौत व ज़ीस्त की कशमकश से दोचार इन्सानियत का ख़्वाब, अमनो सुकून कभी शर्मिन्दा-ए-ताबीर न हो सकेगा। इसलिए नबी आख़िरुज़्ज़माँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाक, नफ़ीस, पाकबाज़ और मिसाली किरदार के हामिल अफ़राद के ज़रिए ऐसे मिसाली ख़ानवादे की तशकील की कि आज भी इस हैरत अंगेज़ और ख़िरद रूबा इंक़िलाब पर अक़्ल अंगुश्त बदन्दाँ है।

आज जबकि दुनिया एक्कीसवीं सदी की दहलीज़ पर क़दम रख चुकी है और ज़िन्दगी के हर मैदान में साइंसी ईजादात व इन्किशाफ़ात ने इन्सानियत के दर्द का दरमाँ पेश करने की कोशिश की है लेकिन हक़ीक़त यह है कि बर्क़ व बुख़ार, तदब्बुर, इल्म व हिकमत और हुकूमत के बावजूद इन्सानियत एक ऐसे दौराहे पर खड़ी है जहाँ सुकून की मंज़िल उसके परवाज़े ख़्याल से कोसों दूर और साहिले मुराद उसकी दस्तरस से बहुत परे है। इन हालात में एक मिसाली ख़ानदान ही सालेह मुआशरे को वजूद पज़ीर करके इन्सानियत के रिसते हुए ज़ख़्म के लिए मरहमे जाँ फ़ज़ा साबित हो सकता है।

मक़ामे मसर्रत है कि इस अहम और नाज़ुक मौज़ू पर बिरादरे अज़ीज़ मुकर्रम मौलाना मोहम्मद शमशाद नदवी के क़लक़े गुहरबार ने

दरबारे इन्सानियत में दरबारी का मुक़द्दस फ़रीज़ा अन्जाम देने की कोशिश की है जिसमें वह हर क़दम पर बामुराद व कामयाब हैं, क्योंकि वह दर्द और दरमाँ के गुल आतशी इम्तिजाज़ के रम्ज़ से अच्छी वाक़फ़ियत रखते हैं। इस्लाहे मुआशरा उनका पसंदीदा और तरजीही मौज़ू है। फ़रीद बुक डिपो दिल्ली से उनकी किताब 'जहेज़ एक नासूर' आठ साल पहले मंज़रे आम पर आकर ख़िराजे तहसीन वसूल कर चुकी है। इसी तरह 'हिन्दुस्तान में औरतों को दरपेश मसाइल व मुश्किलात' पर उन्होंने 120 सफ़हात पर मुश्तमिल अपने ख़्यालात की सौग़ात हिन्दुस्तानी मुआशरे को पेश करके उम्मते मुस्लिमा की तरफ़ से फ़र्ज़े किफ़ाया अदा करने की सई-ए-बलीग़ की है और अभी तक़रीबन ग्यारह किताबें ज़ेरे तरतीब हैं जो जल्द ही ज़ेवरे तबा से आरास्ता होकर हमारी तिश्नगी के लिए आबे हयात साबित होगी।

अज़ीज़े मुकर्रम मौलाना मो. शमशाद नदवी जामिअ तुल हिदाया जयपुर राजस्थान में एक लम्बे अर्से से तदरीस की ख़िदमात अन्जाम दे रहे हैं। वह जामिआ के तहक़ीक़ी इदारे अल हिदाया रिसर्च सेन्टर से भी वाबस्ता हैं और पूरी तुन्दही के साथ तहक़ीक़ी काम में मसरूफ़ हैं। इसी तहक़ीक़ी इदारे से उनकी किताब 'इस्लाहे मुआशरा और इस्लाम' शाये होकर मक़बूल हो चुकी है। तदरीसी ज़िम्मेदारियों के अलावा जामिअतुल हिदाया के तर्जमान माहनामा 'हिदायत' की मजलिसे इदारत में भी अज़ीज़म मुकर्रम शामिल हैं और इसके मुआविन मुदीर की हैसियत से बहुस्नो ख़ूबी इदारत की ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। हिदायत के हर शुमारे में उनके रशहाते क़लम से मुझे भी इस्तफ़ादे का मौक़ा मिलता रहता है। अल्लाह तआला जामिआ, ज़िम्मेदाराने जामिआ और जामिआ के तर्जमान को नज़रे बद से बचाए और जामिआ को तरक़्क़ियात से नवाज़े।

ज़ेरे नज़र किताब जिसका नाम 'इस्लामी ख़ानदान' है। तक़रीबन 168 सफ़हात पर फैली हुई है। इस किताब के पहले बाब में

लाइक़ मुसन्निफ़ ने मग़रिबी मुआशरे में ख़ानदानी निज़ाम की अबतरी पर भरपूर रोशनी डाली है। दूसरे बाब में इस्लाम के ख़ानदानी निज़ाम का तफ़सीली जायज़ा पेश किया है जिसमें ख़ानदान की तासीस, निकाह के मक़ासिद, पर्दा, ख़ुला, इद्दत, मुतल्लक़ात और बेवाओं की शादी जैसे मौज़ूआत को खुली किताब की तरह मुआशरे के सामने पेश करने की कोशिश की है। इसके बाद इस्लामी ख़ानदान में औलाद की तरबियत के ज़िम्न में तहक़ीक़ व इफ़्ता, तदरीस, नर्सिंग की तालीम, सनअत व दस्तकारी, उमूरे ख़ानादारी, तिजारत व मआशी इस्तिहकाम पर इल्मी बहस की गई है। इस्लामी ख़ानदान में वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक का मौज़ू बहुत अहम है। फ़ाज़िल मुसन्निफ़ ने इस मौज़ू को भी तिश्ना नहीं छोड़ा है। इस तरह रिश्तेदारों, पड़ोसियों, यतीमों, बेवाओं की किफ़ालत व ख़बरगीरी को भी मुसन्निफ़ ने अपनी तहक़ीक़ का मौज़ू बनाया है। आजकल मीरास की तक़सीम में जिस ग़ैर मुन्सिफ़ाना तरीक़ए कार ने राह पा ली है, उस पर भी किताब में रोशनी डाली गई है और मुन्सिफ़ाना तक़सीम की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया है और अम्र बिल मारूफ़ व नह्य अनिल मुनकर पर बात ख़त्म की गई है।

उम्मीद है कि इस अहम मौज़ू पर तजर्बाकार मुसन्निफ़ के क़लम से निकलने वाली किताब को इल्मी और अवामी हलक़ों में पज़ीराई हासिल होगी। अल्लाह तआला मुसन्निफ़ की इस काविश को शरफ़े क़ुबूलियत से नवाज़े। मैं मुसन्निफ़ को उनकी इस गराँक़दर तालीफ़ पर दिल की गहराईयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह तआला उनके अशहबे क़लम की बर्क़ रफ़्तारी में और इज़ाफ़ा फ़रमाए और उम्मते मुस्लिमा को उनकी किताबों से इस्तफ़ादा और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन।

मो. सदरुल हसन नदवी मदनी

18 अप्रैल 2009

दारुस्सलाम, 63, आरिफ़ कॉलोनी
औरंगाबाद, महाराष्ट्र

तक़रीज़

हज़रत मौलाना मो. यूसुफ़ साहब नदवी

उस्ताज़े हदीस व तफ़सीर : जामिअतुल हिदाया, जयपुर

दुनिया से ज़ुल्म व जिहालत की तारीकी के ख़ात्मे के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे नबी रहमतुल लिल्आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की नेमत व रहमत के साथ मबऊस फ़रमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म व हिदायत के मीनार बनकर जिहालत व गुमराहियों की तारीकियों से अक़वामे आलम को नजात दिलाई और मज़लूम व मक़हूर इन्सानियत को हक़ीक़ी मक़ाम व मर्तबा अता किया।

इस्लामी तालीमात ने क़ब्ल अज़ इस्लाम की जाहिलयते ऊला की गुमराही और जौर व ज़ुल्म की तारीकियों का इज़ाला फ़रमाया और बाद में आने वाली जाहिलियते उख़रा यानी नाम निहाद मग़रिबी तहज़ीब और उसके मुहलिक असराते बद, बेहयाई, बेशर्मी, नफ़्स परस्ती, शहवतो लज़्ज़त के लिए कुछ भी कर गुज़रने का शैतानी जुनून और अख़लाक़ी अनारकी की आग को बुझाने का इन्तिहाई मुअस्सिर व माक़ूल इन्तिज़ाम किया और इन्फ़िरादी ज़िन्दगी से लेकर ख़ानदान, क़बीला और मुआशरा और मिल्लत बल्कि पूरी इन्सानियत की सलाह व फ़लाह का ज़ामिन ज़ाब्तए हयात पेश किया। दौलतो शहवत के भूके, नफ़सानियत व ख़्वाहिशात के परस्तार, ख़ौफ़े ख़ुदा और फ़िक्रे आख़िरत से आरी, इन्साननुमा हैवान, ख़ुदा रसूल के बाग़ी इन्सान की हवस व बेरहमी और संगदिली से पैदाशुदा ग़लाज़तों से सिसकती हुई इन्सानियत को अदलो इन्साफ़ की रोशनी और रहमो करम की राहत पर मुश्तमिल पाकीज़ा शरीअत देकर राहतों व मसर्रतों से लबरेज़ पुरसुकून ख़ुशगवार ज़िन्दगी का रास्ता बताया।

इस्लामी तालीमात के इस अहम और अनमोल पहलू को उजागर करने के लिए अल्लाह तआला के जिन नेक व सईद बन्दों ने मैदाने अमल में क़दम रखा और ख़ुदादाद इल्मो हिकमत के ज़रिए मिल्लत व इन्सानियत की इस्लाह के लिए मुबारक सई फ़रमाई उनमें हमारे फ़ाज़िल रफ़ीक़ मोहतरम मौलाना मो. शमशाद नदवी बतौरे ख़ास क़ाबिले मुबारकबाद हैं और तहसीन व ताईद के बजा तौर पर मुस्तहिक़ हैं। क़ौमो मिल्लत की ख़ैरख़्वाही और

इन्सानी हमदर्दी के जज़्बे से सरशार होकर मुआशरे की इस्लाह व बहबूद के लिए क़लमी काविशों और इल्मी ख़िदमात में मुन्हमिक हैं। एक दहाई से ज़्यादा अरसे पर मुहीत उनकी ख़िदमात के नतीजे में इस्लाहे मुआशरा और ख़वातीन के मामलात व मसाइल पर मुश्तमिल उनकी मुतअद्दद गराँक़दर तसानीफ़ शाये व मक़बूल हो चुकी हैं।

'जहेज़ एक नासूर', 'हिन्दुस्तानी औरतों के मसाइल व मुश्किलात और उम्मत की ज़िम्मेदारियाँ', 'इस्लाहे मुआशरा और इस्लाम' वग़ैरह मुख़्तलिफ़ इदारों और कुतुबख़ानों से शाए होकर अहले इल्म व क़दर शनास हज़रात की दादे तहसीन हासिल कर चुकी हैं। इस तरह यह नई तसनीफ़ 'इस्लामी ख़ानदान' भी साबिक़ा इल्मी मज़ामीन व तहक़ीक़ी तसानीफ़ की तरह उनकी फ़ाज़िलाना व मुहक़्क़िक़ाना इल्मी सलाहियत और क़ाबिले क़द्र बुलन्द फ़िक्री मेयार का नमूना है। मुआशरा और मिल्लत के इन्तिहाई और अहम और फ़ौरी तवज्जो तलब हस्सास व नाज़ुक पेचीदा मसाइल और बारीक गुत्थियों के हल के सिलसिले में उनकी बालिग़ नज़री और क़ुरआन व हदीस की पाकीज़ा तालीमात व हिदायात की रोशनी में उनका कामयाब व सही व मुअस्सिर हल पेश करने की ख़ुदादाद सलाहियत इससे अयाँ होती है।

फ़ाज़िल मुसन्निफ़ ने आलिमाना बसीरत के साथ मग़रिबी आज़ाद मुआशरे की ज़बूँहाली, अख़लाक़ी ज़वाल, इन्सानी क़दरों की पामाली और इसके नतीजे में पैदाशुदा ख़ानदानी इन्तिशार, अख़लाक़ी अनारकी व जिन्सी बेराहरवी का उम्दा तजज़िया करके इसके मुक़ाबले में अहकामे इलाहिया और तालीमाते नबविया के चश्मा-ए-साफ़ी व शाफ़ी से हासिल होने वाले बेशबहा फ़वाइद व समरात, रूहानी व क़ल्बी अमनो अमान और सुकून व इत्मीनान का दिलनशीं मुवाज़ना बड़ी ख़ुश उस्लूबी से पेश किया है और अख़लाक़ी इन्हितात के रोज़ अफ़ज़ूँ मुहलिक मर्ज़ के लिए आसमानी और आफ़ाक़ी जावेदानी नुस्ख़ए शिफ़ा और जाँबलब तिश्ना इन्सानियत के लिए आबे हयात मुहय्या किया है। अल्लाह तआला शरफ़े क़ुबूलियत और अवाम व ख़वास में मक़बूलियत से सरफ़राज़ फ़रमाकर इस्लाहे उम्मत और ज़ख़ीरए आख़िरत का ज़रिआ बनाए और फ़ाज़िल अहले क़लम को जज़ाए ख़ैर और मज़ीद हौसला व हिम्मत अता फ़रमाए। आमीन।

मोहम्मद यूसुफ़
जामिअ तुल हिदाया, जयपुर

तक़रीज़

मौलाना मुफ़्ती क़मर आलम दानिश क़ासमी
ख़ादिमुत्तदरीस वल इफ़्ता, मदरसा रहीमिया, पहाड़ी, भरतपुर

ज़ेरे नज़र किताब 'इस्लामी ख़ानदान' फ़ाज़िल मुसन्निफ़ मौलाना क़ाज़ी मोहम्मद शमशाद नदवी साहब उस्ताज़ जामिअतुल हिदाया, जयपुर व मुआविन मुदीर माहनामा 'हिदायत' जयपुर ने अहसन तरीक़े से तरतीब देकर उम्मते मुस्लिमा के हर-हर फ़र्द के लिए तोहफ़ए हिदायत पेश किया है। इस्लामी ख़ानदान बनाने और मुस्लिम मुआशरे को पाकीज़ा बनाने में इस किताब की हैसियत व अहमियत इन्साइक्लोपेडिया की होगी, इन्शा अल्लाह।

इस पुरफ़ितन दौर में उम्मते मुस्लिमा के बिखरे हुए शीराज़े को रोकने और ख़ानाजंगी दूर करने के लिए आपसी इख़्तिलाफ़ व इन्तिशार, निफ़ाक़ व शिक़ाक़ से हटकर इत्तिहादो इत्तिफ़ाक़ की लड़ी में बंधने के लिए इस्लामी ख़ानदान नामी किताब जो क़ुरआन व हदीस का मुरक़्क़ा है, हर बुराई के ख़ातमे के लिए अकसीर है। हज़राते क़ारेईन ध्यान से इस किताब का मुताला करें और अपने घर में इसकी तालीम को जारी रखें। मुसन्निफ़ मौसूफ़ ने आलिमियत, फ़ज़ीलत, इफ़्ता, क़ज़ा, एम. ए. और सहाफ़त जैसे अहम कोर्स की तकमील की है और सालहा साल से दर्सो तदरीस, तसनीफ़ व तालीफ़, सहाफ़त व इन्शा परदाज़ी और दावते दीन में सरगर्मे अमल हैं और उनकी कई किताबें मंज़रे आम पर आकर मक़बूल हो चुकी हैं और उम्मत के बड़े तबक़े ने उनसे इक्तिसाबे फ़ैज़ किया है। मुसन्निफ़ ने अपनी ज़िन्दगी इल्मी व दीनी ख़िदमत के लिए वक़्फ़ कर दी है। अल्लाह उनकी ख़िदमात व काविशों को शरफ़े क़ुबूलियत से नवाज़कर दारैन की नेमतों से हमकिनार फ़रमाए। आमीन।

अल्लाह तआला इस किताब को शरफ़े क़ुबूलियत से नवाज़कर हर फ़र्दे मुस्लिम के लिए नाफ़े बना दे। आमीन।

बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम

इब्तिदाईयः

इस्लाम एक ज़ाब्तए हयात है। इसमें इंसानी ज़िन्दगी के तमाम गोशों के लिए रहनुमाई मौजूद है। फ़र्द हो या ख़ानदान, मुआशरा हो या मम्लकत सबके लिए दस्तूर व क़वानीन मौजूद हैं जिन पर अमल पैरा होकर दोनों जहाँ की कामयाबी हासिल की जा सकती है। ख़ालिक़े कायनात ने इस्लाम को आख़री व तकमीली दीन क़रार देते हुए कहा :

"आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी है और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसियत से क़ुबूल कर लिया है।"

तारीख़ शाहिद है कि उसने सालेह अफ़राद, मुतवाज़िन ख़ानदान और पाकीज़ा मुआशरे को तशकील देकर पूरी दुनिया में हिदायत, इल्मो आगही, अख़लाक़ व पाकीज़गी और हक़्क़ व इंसाफ़ को आम व सरबुलन्द किया और जिहालत व गुमराही का ख़ात्मा किया।

उसने फ़र्द के लिए ऐसा ज़ाब्ता बनाया जिससे ख़ुद उस शख़्स को दोनों जहाँ में कामयाबी मिले और वह पूरी इंसानियत के लिए नाफ़े बन जाए। इस्लाम की नज़र में सालेह अफ़राद में मुन्दर्जाज़ैल सिफ़ात होना ज़रूरी हैं।

1. वह ताक़तवर और तन्दरुस्त हो, इसलिए डॉक्टर से मशवरा लेने, इलाज कराने और दवा के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई। इसके साथ ही उसको उन चीज़ों से भी दूर रहने के लिए कहा गया जो उसकी सेहत के लिए नुक़सानदेह हैं। जैसे शराब, मन्शियात और तम्बाकू वग़ैरह। इसी तरह उन चीज़ों को बरूएकार लाने की हौसला अफ़ज़ाई की गई जो जिस्म को ताक़तवर बनाने और तन्दरुस्त रखने में मुफ़ीद व मुआविन हों। जैसे तहारत व सफ़ाई और वर्ज़िश वग़ैरह।

2. वह अच्छे अख़लाक़ व किरदार का हामिल हो। झूट, वादा ख़िलाफ़ी और गुस्से से परहेज़ करे, अपनी ग़लती का एतराफ़ करे। वक़ार, संजीदगी, ख़ुश मिज़ाजी, शर्मो हया, तवाज़ो व ख़ाकसारी, अदलो इंसाफ़, रहमो करम, नर्मी व मेहरबानी और सख़ावत को अपनी ज़िन्दगी में दाख़िल करे।
3. वह पाकीज़ा फ़िक्र से मुत्तसिफ़ हो। ज़िक्र और तिलावते क़ुरआन में मशग़ूल रहे और उसमें तदब्बुर करे। क़ुरआन मजीद के अलावा सीरत, तारीख़े असलाफ़, अहादीसे मुबारका, अक़ाइद और फ़िक़ह की किताबों का मुताला करे और उलमा व सुलहा की सोहबत में बैठे और उनसे फ़ैज़ हासिल करे। हो सके तो एक ज़ाती लाइब्रेरी क़ायम करे जिसमें ज़रूरत की किताबें मौजूद हों।
4. रिज़्क़े हलाल के लिए सई करे। भीक माँगने और दूसरों पर इन्हिसार करने से बाज़ रहे। तिजारत या कोई आज़ाद पेशा इख़्तियार करे। धोका देने, रिश्वत लेने और तमाम मामलात में सूद लेने व देने से परहेज़ करे। हराम कमाई के वसाइल को तर्क कर दे और अपनी दौलत को हराम रास्ते में ख़र्च न करे। अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने से दरेग़ न करे और दौलत के ज़रिए ख़ूब सवाब हासिल करने की कोशिश करे।
5. उसका अक़ीदा सही हो, शिर्क व बिदआत से इज्तिनाब करे।
6. उसकी इबादत सही हो, तहारत और वुज़ू का एहतमाम करे। नमाज़ अपने औक़ात में जमाअत के साथ अदा करे। रमज़ान के रोज़े रखे, इस्तिताअत होने पर हज करे और जिहाद की नियत रखे और अल्लाह के रास्ते में अपनी क़ीमती चीज़ क़ुर्बान करने का जज़बा रखे। तौबा व इस्तिग़फ़ार करता रहे।
7. अपने नफ़्स से मुजाहिदा करे। ताआत के ज़रिए अल्लाह का क़ुर्ब, गुनाहों से दूरी, हसनात के ग़लबा और अमले सालेह और इस्लाही व फ़लाही कामों के लिए कोशाँ रहे।

8. अपने औक़ात की हिफ़ाज़त करे। अपने औक़ात को दीनी व दुनियावी फ़लाह व बहबूद के लिए मुनज़्ज़म करे और ऐसे कामों में अपने वक़्त को सर्फ़ न करे जिनसे न दीन का फ़ायदा हो न दुनिया का बल्कि वह उसके लिए वबाले जान बन जाये।
9. वह अपने काम में मुनज़्ज़म हो। ख़ानदानी, समाजी और फ़लाही कामों को बहुस्नो ख़ूबी अंजाम दे और जो भी काम उसके सुपुर्द किया जाए उसको पूरी दयानतदारी से अंजाम दे।
10. दूसरों के लिए नाफ़े बन जाए। उसके क़ौलो अमल और हरकात व सकनात से किसी फ़र्द, ख़ानदान, समाज और मुल्क व क़ौम को नुक़सान न पहुँचे।
11. इल्म सीखने और सिखाने की सई करे और दूसरों तक इस्लाम की दावत पहुँचाने की हत्तल मक़दूर कोशिश करे। ख़ुसूसी तौर पर इल्मे दीन को हासिल करने और उलमा की सोहबत में बैठने को अपने ऊपर लाज़िम कर ले। इसलिए कि बक़दरे ज़रूरत इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है।

ऐसे अफ़राद जिनमें मज़कूरा सिफ़ात हों, उनसे सालेह व मुतवाज़िन ख़ानदान तशकील पाता है। उस ख़ानदान में इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन, बड़ों का एहतराम व अदब, छोटों पर शफ़क़तो मुहब्बत, औरतों के साथ हुसने सुलूक, औलाद और ख़ुद्दाम पर शफ़क़तो मुहब्बत और उनकी तालीम व तरबियत को नुमायाँ तौर पर देखा जा सकता है। ऐसे सालेह और मुतवाज़िन ख़ानदान से पाकीज़ा मुआशरा वुजूद में आता है।

दौरे हाज़िर के बुत परस्त, ख़ुद ग़रज़ और ख़ुदा बेज़ार माहौल ने इंसानी ज़िन्दगी से सुकून व इत्मीनान को सल्ब कर लिया है। फ़र्द की सही तालीमो तरबियत न होने, ख़ानदानी निज़ाम के बिखर जाने और अपने मक़ासिद से दूर हो जाने और सालेह मुआशरा के मफ़क़ूद हो जाने की वजह से इंसानी समाज को मुख़्तलिफ़ ख़तरात व मुश्किलात का सामना है। मौजूदा इंसानी सोसायटी में बड़ों का अदब व एहतराम,

छोटों पर शफ़क़त व मुहब्बत, कमज़ोर व मोहताज की मदद, यतीम व बेवा की किफ़ालत व ख़बरगीरी और आपसी मुहब्बत व ईसार और भाईचारगी की कोई अहमियत व क़द्र नहीं रह गई है बल्कि उसको पुराने नज़रियात व ख़्यालात कहकर उस से बेताल्लुक़ी का इज़हार किया जा रहा है। मग़रिबी तसव्वुरात व ख़्यालात और आमाल की पैरवी व तक़लीद की वजह से मशरिक़ी मुमालिक में भी वह सारी परेशानियाँ सामने आ रही हैं जिनसे मग़रिब दोचार है। इन हालात में ज़रूरत इस बात की है कि इस्लाम के ख़ानदानी निज़ाम की अहमियत व ज़रूरत को उजागर किया जाए। जब हम इस सिलसिले में इस्लामी तालीमात का मुताला करते हैं तो हमारे इस यक़ीन को मज़ीद इस्तेहकाम नसीब होता है कि मौजूदा आलमी मुश्किलात का दायमी हल इस्लाम में मौजूद है। वाज़ेह रहे कि ऐसे मुस्लिम ख़ानदान जिनका ख़ानदानी निज़ाम इस्लामी तालीमात के मुताबिक़ तशकील नहीं पाया है, उनमें वह सारी ख़राबियाँ दाख़िल हो गई हैं जिन्होंने ग़ैरों के ख़ानदान के शीराज़े को बिखेरकर सुकून व एहतराम और मुहब्बत को सल्ब कर लिया है। ऐसे ख़ानदान न हमारे लिए नमूना हैं और न किसी के लिए मुनासिब है कि वह ऐसे ख़ानदान को नमूने के तौर पर पेश करे और उनको बुनियाद बनाकर इस्लाम और मुसलमानों पर लब कुशाई करे।

इस्लाम के तशकीलकर्दा ख़ानदानी निज़ाम के ख़द्दोख़ाल क्या हैं? ऐसे ख़ानदानी निज़ाम के समरात व बरकात क्या हैं? और मौजूदा इंसानी समाज के लिए इस्लामी ख़ानदानी निज़ाम की ज़रूरत क्या है और जदीद ख़ानदानी निज़ाम किन ख़तरात से दोचार है? टूटते रिश्ते और बिखरते ख़ानदान की वजह से इंसानी समाज किन मसाइब व मुश्किलात से दोचार है? इन सब सवालों पर इस किताब में तफ़सीली गुफ़्तगू की गई है। किताब की तरतीब में मुस्तनद किताबों से मदद ली गई है। और हर बाब मेहनत व अर्क़रेज़ी और ग़ौरो फ़िक्र के बाद मुरत्तब किया गया है लेकिन फिर भी ग़लती का इमकान बहरहाल है। क़ारेईन अपनी रायों से आगाह करें ताकि अगले एडीशन में उनको पेशे

नज़र रखा जा सके।

पहले बाब में मग़रिब में ख़ानदानी निज़ाम के दरहम बरहम हो जाने के असबाब और उसके नुक़सानात का तफ़सील से जायज़ा लिया गया है। दूसरे बाब में इस्लाम के ख़ानदानी निज़ाम के ख़द्दो ख़ाल और उसके समरात व बरकात और जदीद दुनिया में उसकी अहमियत व ज़रूरत पर रोशनी डाली गई है।

'हर्फ़े आख़िर' के उनवान से पूरी किताब का ख़ुलासा तहरीर किया गया है और मुसलमानों को अपने ख़ानदान का नए सिरे से जायज़ा लेने और दुनिया को इस्लाम के ख़ानदानी निज़ाम के फ़वाइद व बरकात से मुस्तफ़ीद होने का जज़्बा पैदा करने की कोशिश की गई है।

हज़रत मौलाना सैय्यद मोहम्मद राबे हसनी नदवी साहब हज़रत मौलाना मुफ़्ती मो. यूसुफ़ साह ताउलवीऔर मौलाना मोहम्मद सदरुल हसन साहब नदवी, मदनी का बेहद मशकूर व मम्नून हूँ कि उन्होंने मशग़ूलियात व मस्रूफ़ियात के बावजूद अपनी बेश क़ीमत तक़ारीज़ से इस किताब की वक़अत और अहमियत में इज़ाफ़ा फ़रमाया और मेरी हौसला अफ़्ज़ाई फ़रमाई। इसी तरह हज़रत मौलाना मोहम्मद नूर आलम ख़लील अमीनी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने तदरीसी, तस्नीफ़ी और सहाफ़ती मशग़ूलियात के बावजूद गिराँक़दर पेशे लफ़्ज़ तहरीर फ़रमाकर नए काम का अज़्म व हौसला अता फ़रमाया, उनके लिए शुक्र व इम्तिनान के जज़्बात से मुअल्लिफ़ का दिल मामूर है। अल्लाह तआला इन हज़रात का साया ता देर क़ायम रखे, आमीन।

अल्लाह तआला से दुआ है कि वह इस किताब को मेरे लिए ज़ादे आख़िरत बनाए और इसके नफ़ा को आमो ताम फ़रमाए। आमीन

मो. शमशाद नदवी

जयपुर

24 अगस्त 2014

पहला बाब

जदीद मुआशरे में ख़ानदानी निज़ाम की अबतरी

इस्लामी ख़ानदान किन बुनियादों पर क़ायम होता है? इसके फ़वाइद व समरात क्या हैं? बदलते हालात में इस्लामी ख़ानदानी निज़ाम की अहमियत व ज़रूरत क्या है? इस पर तफ़सीली गुफ़्तगू से पहले मग़रिब में ख़ानदानी निज़ाम की बर्बादी के असबाब व हालात पर एक ताइराना नज़र डाल ली जाये ताकि इस्लामी ख़ानदान की अहमियत व ज़रूरत अच्छी तरह वाज़ेह हो जाये। ग़ौर तलब बात यह भी है कि मग़रिबी मुल्कों और उनके तमद्दुन व तहज़ीब ने पूरे आलमी सतह पर अपने असरात छोड़े हैं। मग़रिबी ममालिक के अज़ीम वसाइल, ईजादात व इख़्तिराआत और बालादस्ती व सरबराही ने मश्रिक़ी ममालिक के ज़हन व फ़िक्र को बदल दिया है। यह ममालिक मग़रिब के नक़्शे क़दम पर चलने और उनकी तहज़ीबो सक़ाफ़त को अपनाने में सआदत महसूस करते हैं। अफ़सोस कि इस आलमी तब्दीली से मुस्लिम ममालिक भी महफ़ूज़ नहीं रह सके हैं। आलमी सतह पर दो मुतज़ाद तहज़ीबों के तसादुम से एक कशमकश का माहौल है। इन्शा अल्लाह हक़ कामयाब होगा और बातिल को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा जिसका आग़ाज़ हो चुका है।

इस्लाम ने एक मिसाली ख़ानदान का नमूना पेश किया है जिसको आसमाने दुनिया ने अमली शक्ल में कामयाबी से हमकिनार होते देखा है। फ़र्द हो या ख़ानदान, मुआशरा हो या मुल्क, इसको सालेह व नाफ़े बनाने और पूरे आलम में सलाह व तक़वा, कामयाबी व कामरानी, हक़्क़ो इन्साफ़ और अमनो अमान को आम करने के लिए इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होना पड़ेगा।

मग़रिबी मुफ़क्किरीन फ़ैमिली सिस्टम के तबाहो बर्बाद हो जाने और उसका बदतरीन मुशाहिदा कर लेने की वजह से मुतफ़क्किर व परेशान हैं।

आइए! हम मग़रिबी तहज़ीब और उसके नज़रिया-ए-ज़िन्दगी, मग़रिबी ख़ानदान की तबाही व बर्बादी और उसके मुज़िर असरात से मुताल्लिक़ चन्द इक़्तिबासात का मुताला करें ताकि असल सूरते हाल की वज़ाहत हो जाये।

मग़रिब का नज़रिया-ए-ज़िन्दगी :

नई तहज़ीब के दाईयों का ख़्याल बल्कि दावा है कि मुतमद्दिन इन्सानी समाज, ईमानो अक़ीदा के तवह्हुमात, अख़लाक़ी अक़दार और मज़ाहिब की तालीम और आसमानी रिसालत से हटकर भी क़ायम हो सकता है बल्कि उसको क़ायम होना चाहिए। इसकी बुनियाद इल्मो साइंस, तंज़ीम, सनअतो हिरफ़त, मआशी और सियासी इस्तिहकाम और उसकी सूझ-बूझ, क़ौमियत, वतनी असबियत और दस्तूरी व जम्हूरी मुआहिदों पर उठनी चाहिए और यह कि समाज की तरक़्क़ी और नश्वोनुमा सिर्फ़ उन जदीद वसाइल व आलात से वाबस्ता है जो हमारे उलूमे तबई, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री वग़ैरह ने पैदा किये हैं।

समाज की कामयाबी और इन्सान की फ़लाह व बहबूद इसमें है कि वह अपनी नफ़्सानी ख़्वाहिशात की तकमील के लिए कायनात और फ़ितरत की तस्ख़ीर करे, कायनाती उलूम ही सरमाया-ए-नजात हैं। माज़ी में इन्सान की नाकामी का सबब यह था कि तआरुफ़ व तबादला-ए-अफ़कार की राहें आसान न थीं और दुनिया मुख़्तलिफ़ हिस्सों में बटी हुई थी।

मग़रिब ने इस नज़रिये को मनवाने के लिए सख़्त इसरार किया और इस जोश व वलवले के साथ जो किसी नव मुस्लिम में पाया जाता है या किसी दाई का ख़ास्सा है।

उसका नारा यह था ''न माबूद है, न दीन है, न ग़ैब है, न ईमान

है, न रूह है और न आख़िरत है।'' उसके नज़दीक शरीअत और उसका रूहानी निज़ाम महज़ चन्द तवह्हुमात हैं और असल हक़ीक़त, एहसास, तजर्बा, लज़्ज़त, मनफ़िअत, वतनियत या तबीअत व जज़्बात, आज़ादी और जम्हूरियत, कम्यूनिज़्म और इश्तिराकियत है। (मग़रिब से कुछ साफ़-साफ़ बातें, मौलाना सय्यद अबुल हसन अली नदवी, स. 64-65)

मग़रिबी तहज़ीब के मुज़िर असरात व नताइज :

कलीसा बहुत पहले यूरोप के माद्दी और फ़िक्री सरकशी के तूफ़ान के सामने अपने हथियार डाल चुका था। पूरे मश्रिक़े इस्लामी ने उसके सियासी और फ़िक्री मारकों के सामने उन्नीसवीं सदी में अपनी पेशानी टेक दी और पूरी दुनिया मश्रिक़ो मग़रिब, शुमाल और जुनूब उसके सामने सरनिगूँ होते चले गये।

हुस्ने इत्तिफ़ाक़ से यूरोप को अपनी तमाम सलाहियतें माद्दी शक्ल में पेश करने का मौक़ा हाथ आया और उसने इस माद्दियत को दुनिया के स्टेज पर नारों, तालियों और ताईदी आवाज़ों की गूंज में पेश किया।

लेकिन यह ड्रामा जो ज़हीनतरीन इन्सानी अक़्लों और आला दर्जे की ज़िहानतों का नतीजा था, अपने मक़ासिद में इस तरह नाकाम हुआ कि उसकी मिसाल तारीख़ में मिलना मुश्किल है।

जिसके नतीजे में यहाँ अन्दर व बाहर अदावत व चपक़लिश है। अफ़राद, तबक़ात और बिरादरियों में कशमकश है, जंग के ख़तरनाक बादल छाये हुए हैं। एक आतिश फ़िशाँ पहाड़ है जो किसी भी मामूली सबब पर फटने के लिए तैयार है। इन्सानियत के हसरतनाक ख़ात्मे की पुरहोल चीख़ें हैं। एतमाद, सुकून और जज़्बाती हम आहंगी मफ़क़ूद है। आसाब और दिलो दिमाग़ पर ख़ौफ़ो हिरास तारी है। एक मुसलसल इज़्तिराब है। अख़्लाक़ी इन्तिशार का नाक़ाबिले क़यास तूफ़ान है। एक रूहानी ख़ला है जो भरता नहीं। एक मुस्तक़िल मायूसी है जो ला इलाज है। यहाँ सिर्फ़ यास व नाउम्मीदी, बदशगूनी, हैरत और इज़्तिराब का आलम है। (मग़रिब से कुछ साफ़-साफ़ बातें, स. 66-67)

मग़रिबी तमद्दुन का ख़ानदान :

यूरोप के तमद्दुन ने फ़र्द की बेक़ैद आज़ादी का नज़रिया देकर ख़ानदान की यकजेहती व वहदते फ़िक्रो नज़र को ख़ासा नुक़सान पहुँचाया और फ़र्द की वाबस्तगी आम मुआशरे से ज़्यादा बढ़ाकर ख़ानदानी वहदत से उसकी वाबस्तगी ख़ासी कमज़ोर की। इसके नतीजे में उसका अपने ख़ानदान से ताल्लुक़ सिर्फ़ इस्तिफ़ादे के दायरे तक महदूद हो गया। चुनांचे जिस हद तक इस दायरे से बाहर होता है अपने ख़ानदान की वहदत से भी बाहर हो जाता है। वालिदैन और उनकी औलाद के माबैन वो रिश्ते बाक़ी नहीं रहते जो पहले निहायत क़वी समझे जाते थे। (समाज की तालीमो तरबियत, मौलाना मुहम्मद राबे हसनी नदवी, स. 51)

मग़रिबी तमद्दुन में चूंकि असल उसूल हुर्रियत है इसलिए घर के अन्दर भी तरबियत का निज़ाम माद्दी मक़ासिद को पेशे नज़र रखते हुए इख़्तियार किया जाता है। इसमें हर फ़र्द के साथ हुर्रियते कामिला का हक़ देते हुए मामला किया जाता है। चुनांचे इस निज़ाम में लड़के को पूरी आज़ादी हासिल है, वह जिस तरह के रुजहानात की तरफ़ माइल हो उसी की तरफ़ चलाया जाता है और जिस बात को उसकी पसंद इख़्तियार करे उसके लिए सहूलत मुहय्या की जाती है। उस से कोई बात बड़े या किसी दूसरे की तरफ़ से बतौर मश्वरे और इस्लाह भी नहीं कही जा सकती। मामला ख़ानदानी रिवायात का हो, ख़्वाह अख़्लाक़ो आदात का हो और ख़्वाह काम व पेशे का हो और ख़्वाह मुफ़ीद व मुज़िर का हो, उसमें आज़ादी व ख़ुद मुख़्तारी की सहूलत दी जाती है। (ऐज़न स. 53)

मग़रिबी तमद्दुन के ज़ेरे असर ख़ानदान में रब्तो ताल्लुक़ सिर्फ़ रिफ़ाक़त और एक दूसरे से नफ़ा व ज़रर की बुनियाद पर क़ायम होता है। औलाद को कमाई और काम के लाइक़ न हो सकने की उम्र तक अपने वालिदैन की मोहताजी होती है और यह मोहताजी ख़त्म होते ही वह उनसे मुस्तग़नी और अलाहिदा हो जाते हैं। चुनांचे मग़रिबी तमद्दुन में औलाद के बड़े और ख़ुद कफ़ील होने पर उनका वालिदैन से रब्त मादूम की हद तक पहुँच जाता है। (ऐज़न स. 54)

हर शख़्स अपनी कमाई से फ़ायदा उठाए, न कमा सकता हो तो हुकूमत उसकी ज़िम्मेदारी ले या फिर उसकी क़िस्मत है भुगते। कोई एक दूसरे का कैसे ज़िम्मेदार हो सकता है? जबकि हर शख़्स की कमाई उसकी ज़रूरत और मसारिफ़ के मुताबिक़ है। इसीलए रिटायर्ड होने के बाद लोगों की हालत अजीब होती है। मसारिफ़ का तो मसला नहीं होता क्योंकि हुकूमत उनको बुढ़ापे का वज़ीफ़ा देती है जो कि बरसरे रोज़गार लोगों की आमदनियों से तक़रीबन 18 फ़ीसद के एतबार से वसूल करती रहती है जिसमें उस शख़्स का भी हिस्सा होता है। अलबत्ता अइज़्ज़ा से मुलाक़ात, अहले ताल्लुक़ की मिज़ाजपुर्सी और हमदर्दी से वह बिल्कुल महरूम रहता है। अपना वक़्त ख़ुद ही गुज़ारना पड़ता है। (दो महीने अमेरिका में, मौलाना मुहम्मद राबे हसनी नदवी, स. 257)

ख़ानदानी निज़ाम की बर्बादी :

दौरे हाज़िर में ख़ानदानी निज़ाम की बर्बादी के असबाब व इलल पर ग़ौर करने के बाद चन्द अहम बातें सामने आती हैं :-

1. मफ़ाद-परस्ती, माद्दियत-पसंदी और ऐश व इशरत की ज़िन्दगी का उमूमी मिज़ाज व चलन।
2. मज़हब से दूरी व बेगानगी और इल्हाद व दहरियत का रुजहान।
3. हमजिन्स-परस्ती और आपसी शादी।
4. मियाँ-बीवी और नाबालिग़ बच्चों पर मुश्तमिल ख़ानदान का फ़रोग़। इसमें वालिदैन और दादा-दादी वग़ैरह को क़याम करने की इजाज़त नहीं होती है। अगर साथ रहने की गुन्जाइश पैदा कर ली गई तो उनकी सरपरस्ती व सरबराही मस्लूब होती है। यतीम, बेवा और अपाहिज व कमज़ोर से बेताल्लुक़ी बरती जाती है और रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी और हुस्ने सुलूक नहीं किया जाता है।
5. ग़ैर फ़ितरी आज़ादी और मसावात।
6. ज़ौजैन का एक दूसरे के लिए ईसार व क़ुर्बानी और मुहब्बत व

उलफ़त का मामला न करना। सदा एक साथ ज़िन्दगी गुज़ारने, औलाद की तालीम व तरबियत के लिए मुश्तरका कोशिश करने, मुस्तक़बिल के लिए मन्सूबाबन्दी करने और एक मुस्तहकम ख़ानदान की बुनियाद डालने के फ़ितरी जज़्बे व शौक़ का मफ़क़ूद होना।

इन्हीं असबाब की वजह से मौजूदा दौर में ख़ानदानी निज़ाम दरहम-बरहम है। मशहूर किताब 'पर्दा' में मग़रिबी ख़ानदानी निज़ाम की बर्बादी यूँ बयान की गई है :-

''इस बेक़ैद शहवानियत और आवारा मुन्शी के इस रिवाजे आम ने दूसरी अज़ीमुश्शान मुसीबत जो फ़्रांसीसी तमद्दुन पर नाज़िल की है, वह ख़ानदानी निज़ाम की तबाही है। ख़ानदान का निज़ाम औरत और मर्द के उस मुस्तक़िल और पायदार ताल्लुक़ से बनता है जिसका नाम निकाह है। इसी ताल्लुक़ की बदौलत अफ़राद की ज़िन्दगी में सुकून, इस्तिक़लाल और सबात पैदा होता है। यही चीज़ उनकी इन्फ़िरादियत को इज्तिमाईयत में तब्दील कर देती है और इन्तिशार (अनारकी) के मैलानात को दबाकर उन्हें तमद्दुन का ख़ादिम बना देती है। इसी निज़ाम के दायरे में मुहब्बत और अमन और ईसार की वह पाकीज़ा फ़िज़ा पैदा होती है जिसमें नई नस्लें सही अख़लाक़, सही तरबियत और सही क़िस्म की तामीरे सीरत के साथ परवान चढ़ सकती हैं। लेकिन जहाँ औरतों और मर्दों के ज़ेहन से निकाह और उसके मक़सद का तसव्वुर बिल्कुल ही निकल गया हो और जहाँ सिन्फ़ी ताल्लुक़ का कोई मक़सद शहवानी आग को बुझा लेने के सिवा लोगों के ज़ेहन में न हो और जहाँ ज़व्वाक़ीन और ज़व्वाक़ात के लश्कर भँवरों की तरह फूल-फूल का रस लेते फिरते हों, वहां यह निज़ाम न क़ायम हो सकता है, न क़ायम रह सकता है। वहां औरतों और मर्दों में यह सलाहियत ही बाक़ी नहीं रहती कि इज़्दिवाज की ज़िम्मेदारियों और उसके हुक़ूक़ व फ़राइज़ और उसके अख़लाक़ी इन्ज़िबात का बोझ सहार सकें और उनकी इस ज़ेहनी व अख़लाक़ी कैफ़ियत का असर यह होता है कि हर नस्ल की तरबियत

पहली नस्ल से बदतर होती है। अफ़राद में ख़ुदग़रज़ी व ख़ुद-परस्ती इतनी तरक़्क़ी कर जाती है कि तमद्दुन का शीराज़ा बिखरने लगता है। नुफ़ूस में तलव्वुन और सीमाबवशी इतनी बढ़ जाती है कि क़ौमी सियासत और उसके बैनुल अक़वामी रवय्ये में भी कोई ठहराव बाक़ी नहीं रहता। घर का सुकून बहम न पहुँचने की वजह से अफ़राद की ज़िन्दगियाँ तल्ख़ से तल्ख़तर हो जाती हैं और एक दायमी इज़्तिराब उनको किसी कल चैन नहीं लेने देता। यह दुनियवी जहन्नम का अज़ाब जिसे इन्सान अपनी अहमक़ाना लज़्ज़त तलबी के जुनून में ख़ुद मोल लेता है।'' (पर्दा, स. 62)

दानिश्वरान व मुफ़क्किरीन फ़ैमिली सिस्टम के तबाह व बर्बाद हो जाने पर फ़िक्रमन्द :

दौरे हाज़िर के दानिश्वरान व मुफ़क्किरीन फ़ैमिली सिस्टम के तबाहो बर्बाद हो जाने पर फ़िक्रमन्द हैं। मुख़्तलिफ़ वसाइल व ज़राए से ख़ानदानी निज़ाम को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। दौरे हाज़िर के मुफ़क्किरीन ख़ानदानी निज़ाम के दरहम-बरहम हो जाने पर किस क़दर परेशान हैं, इसका अन्दाज़ा मुन्दर्जाज़ैल तहरीर से बख़ूबी हो जाता है। चन्द साल पहले सोवियत यूनियन रूस के आख़िरी सदर मिख़ाइल गोर्बाचोफ ने एक किताब 'प्रोस्ट्राइका' लिखी, यह किताब सारी दुनिया में मशहूर हुई। इस किताब में उन्होंने औरतों के बारे में 'स्टेटस ऑफ वुमेन' के नाम से एक बाब क़ायम किया है और इसमें उन्होंने साफ़ और वाज़ेह लफ़्ज़ों में यह बात लिखी है :-

''हमारी मग़रिब की सोसायटी में औरत को घर से बाहर निकाल दिया गया और उसको घर से बाहर निकालने के नतीजे में बेशक हमने कुछ मआशी फ़वाइद हासिल किये और पैदावार में कुछ इज़ाफ़ा हुआ इसलिए कि मर्द भी काम कर रहे हैं और औरतें भी काम कर रही हैं लेकिन पैदावार के ज़्यादा हो जाने के बावजूद इसका लाज़मी नतीजा यह हुआ कि हमारा फ़ैमिली सिस्टम तबाह हो गया

और इस फ़ैमिली सिस्टम के तबाह हो जाने के नतीजे में हमें जो नुक़सानात उठाने पड़े हैं, वह नुक़सानात उन फ़वाइद से ज़्यादा हैं जो प्रोडक्शन के इज़ाफ़े के नतीजे में हमें हासिल हुए। लिहाज़ा मैं अपने मुल्क में 'प्रोस्ट्राइका' के नाम से एक तहरीक शुरू कर रहा हूँ, इसमें मेरा एक बहुत बुनियादी मक़सद यह है कि वह औरत जो घर से बाहर निकल चुकी है उसको वापस घर में कैसे लाया जाये, इसके तरीक़े सोचने पड़ेंगे, वरना् जिस तरह हमारा फ़ैमिली सिस्टम तबाह हो चुका है, उसी तरह हमारी क़ौम भी तबाह हो जायेगी।'' (इस्लाही ख़ुतबात, जिल्द 1, स. 144)

ख़ानदानी निज़ाम के दरहम-बहरम हो जाने की वजह से मग़रिबी तहज़ीब का ज़वाल शुरू हो चुका है। मग़रिबी मुफ़क्किर व फ़लास्फ़र परेशान हैं और किताबें लिखी जा रही हैं कि मग़रिब के मुआशरती निज़ाम को टूटने और बिखरने से किस तरह बचाया जाये। हज़रत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली नदवी ने अपनी किताब 'नई दुनिया' (अमेरिका में साफ़-साफ़ बातें) में तहरीर फ़रमाया है :-

''मग़रिबी तहज़ीब आज तेज़ी के साथ ज़वाल की तरफ़ जा रही है। आपको भी एहसास होगा कि मग़रिबी तहज़ीब का ज़वाल शुरू हो गया है। यह कोई ढकी-छुपी हक़ीक़त नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा सबब यह है कि यहाँ के ख़ानदानी निज़ाम में एक अबतरी पैदा हो गई है। ख़ानदानी निज़ाम टूट रहा है। उसमें इन्तिशार है। शौहर बीवी में जो एतमाद और मुहब्बत होनी चाहिए रोज़-बरोज़ उसमें कमी आ रही है और इस वक़्त के मुफ़क्किर और फ़लास्फ़र परेशान हैं और किताबें लिखी जा रही हैं कि मग़रिब के मुआशरती निज़ाम को टूटने-बिखरने से किस तरह बचाया जाये। तरफ़ैन में मुहब्बत व उलफ़त होनी चाहिए जो ज़िन्दगी की हक़ीक़ी लज़्ज़त है। इसमें फ़क्रो फ़ाक़ा भी होता है तो वह ख़ुश दिली के साथ बर्दाश्त कर लिया जाता है। अभी हमारे मश्रिक़ी ममालिक में बहुत से ऐसे ख़ानदान हैं कि वहाँ खाने को मुश्किल से मिलता है लेकिन उनको जन्नत का मज़ा आता है क्योंकि आपस में

मुहब्बत है। वह एक दूसरे का मुंह देखकर अपना फ़क्रो फ़ाक़ा और अपनी तकलीफ़ भूल जाते हैं। यहाँ सब कुछ है, तमाम वसाइल का क़दमों पर ढेर लग गया है और कायनात की बहुत सी ताक़तों को उन्होंने मुसख़्ख़र कर लिया है लेकिन वह अपने दिल की दुनिया को और अपने घर को जन्नत में तब्दील नहीं कर सकते।'' (नई दुनिया (अमेरिका) में साफ़-साफ़ बातें, स. 122)

इस्लाम का ख़ानदानी निज़ाम अमन व सुकून और तरक़्क़ी व इस्तेहकाम का ज़ामिन :

मज़कूरा तफ़सीलात से यह बात अच्छी तरह वाज़ेह हो गई कि मग़रिब में ख़ानदानी निज़ाम बिखर जाने से मुहब्बत व सुकून और ईसारो हमदर्दी ज़िन्दगी से रुख़सत हो चुके है। उनके मुफ़क्किरीन परेशान हैं और ख़ानदानी निज़ाम को क़ायम करने की मुख़्तलिफ़ तदाबीर कर रहे हैं और मग़रिब के नक़्शे क़दम पर चलने वाले ममालिक और अशख़ास भी मुख़्तलिफ़ मसाइब और मुश्किलात से दोचार हैं और उनसे नजात हासिल करने के लिए सरगर्दां हैं। वह हैरान व परेशान होकर इधर उधर झांक रहे हैं और सुकून के मुतलाशी हैं। इन हालात में उम्मते मुस्लिमा को आगे बढ़कर उनको थामना चाहिए और उनके सामने इस्लामी तालीमात को वाज़ेह तरीक़े पर पेश करना चाहिए। सबसे पहले ऐसे ख़ानदान का नमूना पेश करना चाहिए जो इस्लामी अहकाम के मुताबिक़ क़ायम हों। यह हक़ीक़त है कि इस्लाम का ख़ानदानी निज़ाम इफ़रात व तफ़रीत से पाक है। इसमें सुकून व मुहब्बत और तरक़्क़ी व कामयाबी मुज़मर है लिहाज़ा पूरी दुनिया को बिला किसी तअस्सुब, तंग-नज़री और पसो-पेश के इस्लामी निज़ाम को अपना लेना चाहिए। उम्मते मुस्लिमा को भी चाहिए कि वह अपने ख़ानदान को ऐसा सालेह व पाकीज़ा बनायें जो दूसरों के लिए क़ाबिले तक़लीद और आईडियल बन जाये।

दूसरा बाब

इस्लाम का ख़ानदानी निज़ाम

निकाह ख़ानदान का मंबा व सरचश्मा है और इसके ज़रिए एक ख़ानदान का वजूद अमल में आता है। अगर ज़ौजैन नेक व सालेह हों तो एक सालेह व पाकीज़ा ख़ानदान वजूद में आता है। इसलिए इस्लाम में निकाह और उसके मुताल्लिक़ात पर तफ़सीली अहकाम व क़वानीन मौजूद हैं। नस्ले इन्सानी के फ़रोग़ व अफ़्ज़ाइश और ज़्यादा से ज़्यादा पाकीज़ा ख़ानदान को वजूद में लाने के लिए इस्लाम ने निकाह की तरग़ीब व ताकीद की है। रहबानियत की मज़म्मत की है और निकाह को इबादत का दर्जा दिया है। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अम्बियाए किराम ने निकाह किया।

ख़ानदान की तासीस :-

निकाह से ख़ानदान की तासीस होती है। निकाह अम्बियाए किराम की सुन्नत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद इस बात की शहादत देता है ''और हमने यक़ीनन आपसे पहले रसूल भेजे और हमने उनको बीवियाँ और बच्चे भी दिये।'' (सूरह राद, आयत : 38)

अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया को एक मर्द और औरत की पाकीज़ा मुलाक़ात से आबाद फ़रमाया। सूरह हुजरात में है – ''ऐ लोगो! हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और तुमको मुख़्तलिफ़ क़ौमें और मुख़्तलिफ़ ख़ानदान बनाया ताकि एक दूसरे की शनाख़्त कर सको। अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे बड़ा शरीफ़ वही है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार हो।'' (सूरह अल-हुजरात : 13)

नस्ले इन्सानी की बक़ा और अफ़ज़ाइश व फ़रोग़ का पाकीज़ा ज़रिआ निकाह है। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा बच्चे जनने वाली औरतों से निकाह की तरग़ीब दी है। इरशादे नबवी है: ''तुम ज़्यादा मुहब्बत करने वाली, ज़्यादा बच्चे जनने वाली औरत से शादी करो ताकि तुम्हारी वजह से मैं और उम्मतों पर फ़ख्र करूँ।'' (अबू दाऊद, जिल्द 2, स. 227)

हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख़स्सी होने की इजाज़त तलब की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फ़रमा दिया। हज़रत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं : ''रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन को ख़स्सी होने से मना फ़रमा दिया और अगर उनको इजाज़त मिल जाती तो हम ज़रूर ख़स्सी हो जाते।'' (तिरमिज़ी, जिल्द 3, स. 394)

जो शख़्स हक़्क़े ज़ौजियत, तआम, पोशाक और रिहाइश का नज़्म कर सकता हो, उसको शादी कर लेना चाहिए क्योंकि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : ''जो शख़्स निकाह की ताक़त रखता हो, उसको निकाह कर लेना चाहिए, अगर उसने निकाह नहीं किया तो उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं।'' (मजमउज़ ज़वाइद, जिल्द 2, स. 251)

चन्द सहाबा-ए-किराम ने निकाह न करने और पूरी ज़िन्दगी इबादत में मशग़ूल रहने का अज़्म किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना फ़रमाया : ''मैं तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ और तक़वा इख़्तियार करने वाला हूँ लेकिन मैं रोज़ा रखता हूँ, इफ़्तार भी करता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूं और सोता भी हूँ और औरतों से शादी भी करता हूँ जिसने मेरी सुन्नत से रूगर्दानी की, उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं।'' (बुख़ारी जिल्द 3, स. 237)

हर क़िस्म की क़राबतों और रिश्तेदारियों की जड़ यही निकाह है। यह न होता तो दुनिया का कोई भी रिश्ता पैदा न हो सकता था

इसलिए कि दुनिया की हर क़राबत और ताल्लुक़ का रिश्ता इसी की बदौलत वजूद में आया है। निकाह के ज़रिए ही एक ख़ानदान और मुआशरा तश्कील पाता है।

निकाह के मक़ासिद :

निकाह के अहम मक़ासिद तीन हैं। निकाह का एक मक़सद तो तवालुद व तनासुल है। इसलिए क़ुरआने करीम ने बीवी को मर्द के लिए खेती क़रार दिया है। ''तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, सो जाओ अपनी खेती में जहाँ से चाहो।'' (सूरह बक़रा : 223)

अहादीसे मुबारका में भी निकाह के इस मक़सद को वाज़ेह किया गया है।

निकाह का दूसरा मक़सद इफ़्फ़तो पाकदामनी का हुसूल है। इस्लाम में अस्मत व इफ़्फ़त की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसकी ख़ातिर उसने ज़िना व बेहयाई को नाजाइज़ और निकाह को जाइज़ ही नहीं बल्कि उसको इबादत क़रार दिया है। इसकी ख़ातिर उसने पर्दे को लाज़िम और मर्द व औरत के आज़ादाना इख़्तिलात को मम्नू क़रार दिया है।

निकाह का तीसरा मक़सद मियाँ-बीवी का एक दूसरे से सुकून हासिल करना है। दोनों को ऐसा सुकून व क़रार हासिल होता है जिसका हुसूल निकाह के बग़ैर मुम्किन नहीं है। शौहर का अपनी बीवी से सुकून हासिल करने को अल्लाह ने अपनी निशानी क़रार दिया है। इस सुकून के साये में दोनों की मुहब्बत व उलफ़त वक़्त गुज़रने के साथ बढ़ती चली जाती है। सूरह रूम में है : ''और उसकी निशानियों में से यह है कि उसने तुम्हारे वास्ते तुम्हारी जिन्स की बीवियाँ बनाईं ताकि तुमको उनके पास आराम मिले और तुम मियाँ-बीवी में मुहब्बतो उलफ़त पैदा की, इसमें उन लोगों के लिए निशानियाँ हैं जो फ़िक्र से काम लेते हैं।'' (सूरह रूम : 21)

एक मौक़े पर हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: "दो मुहब्बत करने वालों के लिए निकाह जैसी कोई चीज़ नहीं देखी गई।" (इब्ने माजा जिल्द 1, स. 593)

दीनदारी को तरजीह हासिल है :

निकाह को अन्जाम देने के लिए इस्लाम ने एक नक़्शे राह मुतअय्यन किया है जिस पर चलकर दोनों जहाँ में कामयाबी व सरबुलन्दी हासिल की जा सकती है। इसको हुसूले माल का ज़रिआ बनाने से उसने मना किया है। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनदारी को तरजीह देने का हुक्म दिया है : "हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : उमूमन चार चीज़ों की वजह से औरत से निकाह किया जाता है। उसके माल, हसब व नसब, हुस्न व जमाल और उसके दीन की वजह से। ऐ अबू हुरैरह! दीनदार औरत से निकाह करके कामयाबी हासिल करो। तुम्हारे हाथ ग़ुबार आलूद हों।"(बुख़ारी जिल्द 3, स. 242)

इस्लाम ने जहाँ लड़के वालों से दीनदार लड़की को तरजीह देने का हुक्म दिया है वहीं लड़की वालों को यह हुक्म दिया है कि वह अपनी लड़की का निकाह उस शख़्स से करें जो दीनदार हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमया : "जब तुम लोगों की तरफ़ ऐसा शख़्स पैग़ामे निकाह भेजे जिसके दीन व अख़लाक़ को तुम पसंद करते हो तो उससे अपनी लड़की का निकाह कर दो और अगर ऐसा न करोगे (साहिबे जाह व माल लड़कों की तलाश में अपनी लड़कियों को बिठाए रखोगे) तो ज़मीन में फ़ित्ना व फ़साद फैल जायेगा।" (तिरमिज़ी जिल्द 5, स. 394)

सबसे बाबरकत निकाह :

सबसे बाबरकत निकाह वह है जिसमें कम से कम अख़राजात हों जैसाकि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :

''सबसे बाबरकत निकाह वह है जिसमें अख़राजात कम से कम हों।'' (मुसनद अहमद बिन हम्बल, जिल्द 6, स. 82)

यह हदीस क़यामत तक आने वाले इन्सानों के लिए मशअले राह है। इसकी रोशनी में निकाह को दोनों जहाँ के लिए मुफ़ीद व नाफ़े बनाया जा सकता है। ख़ानदान और मुआशरे को उन तमाम मुश्किलात व मसाइल से नजात दिलायी जा सकती है जिससे मौजूदा इन्सानी मुआशरा दोचार है। आज फ़ुजूल-ख़र्ची व नुमाइश, रस्मो रिवाज, ख़ुराफ़ात व बिदआत, तिलक और जहेज़ को निकाह का लाज़मी व ज़रूरी हिस्सा क़रार देकर निकाह और उसके मक़ासिद के हुसूल को मुश्किल बना दिया गया है।

ख़ानदान के मक़ासिद :

ख़ानदान के चन्द मक़ासिद हैं, अगर उन मक़ासिद को बरूए-कार न लाया जाए तो ख़ानदान और मुआशरा तबाही व नाकामी की जानिब गामज़न हो जाता है और इन्सानी ज़िन्दगी से चैनो सुकून, राहतो-इत्मीनान और तरक़्क़ी व कामरानी रुख़सत हो जाती है। इन मक़ासिद में सबसे अहम बक़ाए नस्ल है बल्कि बक़ाए नस्ल के साथ-साथ अफ़ज़ाइशे नस्ले इन्सानी भी है। हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ूब मुहब्बत करने वाली और ज़्यादा बच्चे देने वाली औरत से निकाह का हुक्म दिया है।

''हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत पर अमल नहीं किया, वह मुझ से नहीं। तुम लोग निकाह करो ताकि मैं दूसरी उम्मतों के मुक़ाबले में तुम्हारी कसरत पर फ़ख्ऱ करूंगा। साहिबे हैसियत को निकाह कर लेना चाहिए और जो निकाह की इस्तिताअत न रखे उसको रोज़ा रखना चाहिए इसलिए कि रोज़ा उसके लिए ढाल है।'' (इब्ने माजा, जिल्द 1, स. 592)

यह हदीस और इस मफ़हूम की दीगर अहादीस से यह बात वाज़ेह हो जाती है कि इस्लाम नस्ले इन्सानी के फ़रोग़ को पसंदीदगी की निगाह से देखता है और औलाद को दुनिया में आने से रोकने और उनको क़त्ल करने से सख़्ती से मना करता है और फ़ैमिली प्लानिंग के तमाम मन्सूबों को नाजाइज़ क़रार देता है। इसलिए कि हर आने वाला अपने मुक़द्दर और रिज़्क़ के साथ आता है और उसके आने से इन्सानी आबादी को किसी तरह का ख़तरा नहीं है और न ही ग़िज़ाई क़िल्लत का अन्देशा है। अल्लाह ही ज़मीन से ग़ल्ला पैदा करता है। फ़ी नफ़्सिही ज़मीन में कोई ताक़त नहीं है। अल्लाह पाक अपनी हिकमतो मस्लिहत से दुनिया के निज़ाम को चला रहा है। अगर ज़ख़ीरा अन्दोज़ी और माद्दियत परस्ती को छोड़ दिया जाये तो इन्सानी ग़िज़ा और ख़ुराक का कोई बोहरान पैदा न हो। इसके साथ ही उम्मते मुस्लिमा की जितनी ज़्यादा आबादी होगी उसी क़दर इस्लाम का बोलबाला होगा। आज जबकि क़ौमों की तक़दीर के फ़ैसले अकसरियत और अक़ल्लियत की बुनियाद पर हो रहे हैं, इस हदीस की हक़्क़ानियत व अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है। आज से चौदह सौ साल पहले हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मते मुस्लिमा को जो हिदायत फ़रमाई, उसके फ़वाइद व मनाफ़े वक़्त गुज़रने के साथ मज़ीद बढ़ते चले गये लेकिन अफ़सोस कि आज उम्मते मुस्लिमा का एक तबक़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की अज़मत व मनाफ़े को समझने से क़ासिर है।

तरबियते औलाद :

ख़ानदान की तशकील का एक मक़सद तरबियते औलाद है। इस्लाम ने औलाद के साथ हुस्ने सुलूक करने, शफ़क़त व मेहरबानी से पेश आने और उनकी अच्छी तालीमो तरबियत करने का हुक्म दिया है। वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि बालिग़ होने से पहले औलाद को अच्छी आदतों, ख़सलतों और ज़िक्रो इबादात का आदी बनायें इसलिए कि एक

मोमिन को जहाँ इस बात की फ़िक्र व लगन होती है कि उसकी औलाद की दुनियावी ज़िन्दगी सँवर जाये और इज़्ज़तो सरबुलन्दी में उससे बहुत आगे निकल जाये, इससे कहीं ज़्यादा इस बात की फ़िक्र होनी चाहिए कि वह अज़ाबे क़ब्र से बच जाये, जहन्नम की आग से बच जाये और जन्नत में दाख़िल हो जाये। इस पर हम आगे बहस करेंगे।

मुहब्बत :

मुहब्बत एक अनमोल और बेश क़ीमत दौलत है। अल्लाह ने अपने बन्दों पर इसको बतौर एहसान पेश किया है। बे-सते नबवी से पहले क़त्लो-ग़ारतगरी का माहौल था। एक जमाअत दूसरी जमाअत के, एक क़बीला दूसरे क़बीले के ख़ून का प्यासा बना हुआ था। हर तरफ़ बदअमनी व बेइत्मीनानी की फ़िज़ा थी। इस्लाम ने उनको आपस में मिलाकर उलफ़त व मुहब्बत और ईसार व हमदर्दी का तरजुमान बना दिया। अल्लाह ने उसे बतौर इनाम पेश किया है। सूरह आले इमरान की इस आयत को ग़ौर से पढ़िए : ''अल्लाह की नेमत को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में उलफ़त डाल दी, पस तुम उसकी मेहरबानी से भाई-भाई हो गये और तुम आग के गढ़े के किनारे पहुँच चुके थे तो उसने तुम्हें बचा लिया। अल्लाह इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी निशानियाँ बयान करता है कि तुम हिदायत पाओ।'' (सूरह आले इमरान : 103)

मुहब्बत अतिया-ए-ख़ुदावन्दी है। एक अनमोल इनाम है जो वह अपने बन्दे के दिलों में डालता है। शौहर अपनी बीवी से, बीवी अपने शौहर से, वालिदैन अपनी औलाद से, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से, एक दोस्त दूसरे दोस्त से, एक जमाअत दूसरी जमाअत से आपसी ताल्लुक़ व मुहब्बत रखती है। यह अल्लाह का फ़ज़्ल व इनाम है। यह एक ऐसा तोहफ़ा है जिसको माल व दौलत से हासिल नहीं किया जा सकता है। अल्लाह तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख़ातिब होकर फ़रमाया : ''वह वही है जिसने आपको अपनी (ग़ैबी)

इमदाद (मलाइका) से और (ज़ाहिरी इमदाद) मुसलमानों से क़ुव्वत दी और उनके क़ुलूब में इत्तिफ़ाक़ पैदा कर दिया। अगर आप दुनिया भर का माल ख़र्च करते तब भी उनके क़ुलूब में इत्तिफ़ाक़ पैदा न कर सकते लेकिन अल्लाह ही ने उनमें बाहम इत्तिफ़ाक़ पैदा कर दिया। बेशक वह ज़बरदस्त हिकमत वाला है।'' (सूरह अनफ़ाल : 63)

ख़ानदान में मुहब्बत का आग़ाज़ मियाँ-बीवी की मुहब्बत से होता है। सूरह रूम में अल्लाह ने ज़ौजैन की मुहब्बत व रहमत को अपनी निशानी क़रार देते हुए फ़रमाया : ''और उसकी निशानियों में से यह है कि उसने तुम्हारी जिन्स की बीवियाँ बनाईं ताकि तुमको उनके पास आराम मिले और तुम मियाँ-बीवी में मुहब्बत और हमदर्दी पैदा की।'' (सूरह रूम : 21)

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : ''दो मुहब्बत करने वालों के लिए निकाह जैसी कोई चीज़ नहीं देखी गई।'' (इब्ने माजा, जिल्द 1, स. 592)

मुहब्बत व उलफ़त का दायरा जूँ-जूँ वसी होता जाता है, उसी क़द्र ख़ानदान और मुआशरे में अमनो अमान, ख़ुशी व राहत, चैनो सुकून और तरक़्क़ी व कामरानी का दायरा फैलता जाता है। उस ख़ानदान की औलाद में दूसरों से मुहब्बत और आराम पहुँचाने का जज़्बा बदर्जा-ए-अतम पाया जाता है लेकिन जिस ख़ानदान में बच्चे शफ़क़त व मुहब्बत से महरूम रहते हैं उनके अन्दर ख़ुदग़रज़ी व मफ़ाद-परस्ती ज़्यादा होती है। ऐसे बच्चे बड़े होकर समाज और इन्सानियत के लिए नुक़सानदेह होते हैं।

तहफ़्फ़ुज़ :

शरीअत के पाँच मक़ासिद हैं। उनमें जानो माल और अस्मतो आबरू की हिफ़ाज़त व तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल है। ख़ानदान की बुनियाद

निकाह से डाली जाती है और इस निकाह के ज़रिए मियाँ-बीवी दोनों एक दूसरे की जान, माल और इज़्ज़त की हिफ़ाज़त का सामान करते हैं। क़ुरआन में शादी-शुदा मर्द को मुहसिन (हिफ़ाज़त में लाने वाला) और शादी-शुदा औरत को मुहसना (हिफ़ाज़त में लाई गई) कहा गया है। ग़ैर शादी-शुदा मर्द और औरत की जान, माल और इज़्ज़त व आबरू जाते रहने का हर लम्हा ख़तरा बना रहता है। शैतान और उसके हवारिईन ऐसे मर्दो औरत को सीधे रास्ते से हटाने और बुराईयों में मुब्तिला कर देने की फ़िक्र व कोशिश करते रहते हैं। ऐसे अफ़राद दीगर ख़ानदान और समाज के लिए नुक़्सानदेह साबित होते हैं। उनकी बहू बेटियों की अस्मत जाते रहने का ख़ौफ़ क़ायम रहता है।

आराम व सुकून :

सुकून व राहत की सबसे बड़ी आमाजगाह ख़ानदान है। इन्सान थका-मान्दा जब घर वापस आता है तो वालिदैन, बीवी और बच्चों को देखकर उसकी थकावट जाती रहती है। वह नई ताज़गी और राहत महसूस करता है। वालिदैन की शफ़क़तो मुहब्बत, बीवी की मुस्कुराहट और बच्चों की उछलकूद और प्यारी-प्यारी बातों में जो लुत्फ़ व मज़ा, सुकून व फ़रहत और ख़ुशी व मसर्रत मयस्सर आती है, उसे लाखों दौलत ख़र्च करके भी हासिल नहीं किया जा सकता। बड़ी परेशानी व मुसीबत को झेल जाना ख़ानदान के साथ आसान हो जाता है। बीमार हो जाने पर उसकी ख़िदमत और तीमारदारी इस तरह की जाती है कि बीमारी और तकलीफ़ में कमी हो जाती है। इन्सान को शादी से जहाँ नफ़्सानी ख़्वाहिशात की तकमील होती है वहीं औलाद उसकी आँखों की ठण्डक और बुढ़ापे का सहारा बनती है और उसको सुकून व इत्मीनान की ऐसी दौलत हासिल होती है जिसका हुसूल किसी और तरीक़े से मुम्किन न था।

एहसासे ज़िम्मेदारी :

इस्लाम ने ताक़त व सलाहियत के मुताबिक़ हर फ़र्द को कुछ फ़राइज़ व ज़िम्मेदारियाँ सुपुर्द की हैं। इस्लाम के ख़ानदानी निज़ाम में मर्द पर दौलत हासिल करने और अपने मातहत की जुमला ज़रूरियात पूरी करने की ज़िम्मेदारी डाली गई है। जबकि औरत को घर के इन्तिज़ाम व इन्सिराम का ज़िम्मेदार बनाया गया है और घर के अन्दर उसको मलका का दर्जा हासिल होता है और औलाद पर इताअत व फ़रमां-बरदारी की ज़िम्मेदारी तफ़वीज़ की गई है। लेकिन इसके बावजूद हुदूदे शरईया में रहते हुए औरत मर्द के काम में हाथ बंटाती है और मर्द अपनी बीवी की मुआविनत करते हुए घरेलू कामकाज में दिलचस्पी लेता है और बच्चे छोटे-मोटे काम में अपने वालिदैन की मदद करते हैं तो इस्लाम इसको पसंदीदगी की नज़र से देखता है। ख़ानदान में सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी मर्द की होती है। उस पर कस्बे रिज़्क़े हलाल, तरबियते औलाद और घर के निज़ाम को इस्लामी अहकाम के मुताबिक़ चलाने की ज़िम्मेदारी आयद होती है। क़यामत के दिन हर फ़र्द से उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में सवाल किया जायेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : ''तुम में से हर शख़्स निगेहबान है और हर एक से उसके मातहत के बारे में पूछा जायेगा।'' (बुख़ारी, जिल्द 1, स. 160, बाबुल जुमा फ़िल क़ुरा वल मुदुन)

ख़ानदानी इख़्तिलाफ़ात के अस्बाब

इस्लाम ने ख़ानदानी निज़ाम को मरबूत व मुस्तहकम बनाने और उसको इन्तिशार व इज़्तिराब से बचाने के लिए एक मोतदिल दस्तूरुल अमल बनाया है। जिस पर अमल–पैरा होकर ख़ानदान कामयाबी व सुकून से हमकिनार हो सकता है। लेकिन जब ख़ानदान के अफ़राद फ़राइज़ व क़वानीन की पाबन्दी में कोताही करते हैं तो ख़ानदान में इख़्तिलाफ़ व इन्तिशार पैदा होता है। ख़ानदान को इख़्तिलाफ़ व इन्तिशार से बचाने के लिए दर्ज ज़ैल उमूर को पेशे नज़र रखना चाहिए:–

1. सरबराह की सरबराही को तस्लीम किया जाये और तमाम जाइज़ उमूर में उसकी इताअत की जाए। अगर हर फ़र्द अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारना शुरू कर दे और ज़ाब्तों की पाबन्दी न करे और उन फ़राइज़ को अदा न करे जो उस पर आयद होते हैं तो ख़ानदान में इन्तिशार व बेचैनी पैदा होना फ़ितरी अम्र है।
2. हर फ़र्द अपनी ज़िम्मेदारी को निभाये और दूसरों की कोताही से सर्फ़े नज़र करे। अलबत्ता एक दूसरे की इस्लाह की कोशिश करते हुए हर एक अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाता रहे और दूसरों की कोताही व ग़फ़लत को बुनियाद बनाकर ख़ुद कोताही न करे।
3. बड़ों का एहतराम किया जाये और छोटों पर शफ़क़त की जाये। हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : ''जो हमारे छोटों पर रहम न करे और बड़ों की इज़्ज़त न करे, वह हम में से नहीं।'' (तिरमिज़ी जिल्द 4, स. 284)

   आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़कूरा फ़रमान में अज़ीम

हिकमत व फ़वाइद पोशीदा हैं। अगर इसपर ईमानदारी से अमल किया जाये तो दुनिया अमन का गहवारा बन जाये।

4. मामलात साफ़ रखे जायें। मामलात की सफ़ाई से आपसी मुहब्बत हमेशा क़ायम रहती है। हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : ''आपस में भाईयों की तरह रहो और मामलात अजनबियों की तरह करो।''
5. तालीमो तरबियत का बेहतर नज़्म किया जाये। ऐसा माहौल पैदा किया जाये कि अफ़रादे ख़ानदान बक़दरे ज़रूरत दीनी तालीम हासिल कर सकें और ऐसी ज़ेहनसाज़ी की जाये कि उनका दीन पर चलना आसान हो जाये। जाइज़ हुदूद में असरी उलूम हासिल करने का मौक़ा दिया जाये और ऐसी तालीम व ट्रेनिंग हासिल करने की खुली इजाज़त व सहूलत दी जाये जिसके ज़रिए जाइज़ तरीक़े से दौलत का हुसूल मुम्किन हो इसलिए कि जिहालत और फ़क्र व मुफ़्लिसी ख़ानदान के शीराज़े को बिखेर देती है।
6. मूरिस के मरने के बाद बिला ताख़ीर तरके की तक़सीम अमल में लाई जाये। हर हक़दार को उसका पूरा हक़ दिया जाये। औरतों को उनके हिस्से का तरका ज़रूर दिया जाये। अगर तक़सीमे तरके के वक़्त ऐसे रिश्तेदार आ जायें जिनका तरके में मुतअय्यन हिस्सा नहीं है तो उनको भी कुछ दे दिया जाये।
7. ख़ानदान के तमाम अफ़राद में तवाज़ो और ईसार पैदा किया जाये। तकब्बुर, ग़ुरूर और ख़ुद-ग़रज़ी व मफ़ाद-परस्ती ख़ानदान और समाज के लिए सम्मे क़ातिल है।
8. तनाज़िआत और झगड़े का माहौल पैदा न होने दिया जाये। अगर ऐसी नौबत आ जाये तो फ़ौरी तौर पर सुलह सफ़ाई करा दी जाये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : ''क्या मैं तुम्हें न बताऊँ कि नमाज़, रोज़ा और सदक़ा से बढ़कर फ़ज़ीलत

वाला कौनसा काम है? सहाबा ने अर्ज़ किया ज़रूर बताइये, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : लोगों के दर्मियान सुलह सफ़ाई कराना क्योंकि ताल्लुक़ात का बिगाड़ मूंडने वाली चीज़ है, बालों को मूंडने वाली नहीं बल्कि दीन को मूंडने वाली है।'' (तिरमिज़ी जिल्द 4, स. 573)

9. वादा ख़िलाफ़ी न की जाये। यह ख़ानदान और मुआशरे में ख़राबियाँ पैदा करती है। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : ''अपने भाई से झगड़ा न करो, उसके साथ नामुनासिब मज़ाक़ न करो, उसके साथ कोई ऐसा वादा न करो जिसको पूरा न कर सको, यानी वादा ख़िलाफ़ी न करो।'' (तिरमिज़ी, जिल्द 4, स. 316)

10. ग़लत बयानी से न काम लिया जाये और उन तमाम बुरे आमाल मसलन हसद, बुग़्ज़ व अदावत, कीना, ग़ीबत, बदगुमानी, ज़ुल्मो सितम, चुग़लख़ोरी, गाली गलौज और तोहमत वग़ैरह से बचा जाये। हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : ''यह बड़ी ही ख़्यानत की बात है कि तुम अपने भाई को कोई ऐसी बात सुनाओ जिसको वह समझ रहा हो कि तुम उसको सच्ची बात बता रहे हो लेकिन हक़ीक़त में तुम उसके सामने झूठ बोल रहे हो।'' (अबू दाऊद, जिल्द 4, स. 295)

11. दूसरों की जानिब से दी गई तकलीफ़ पर सब्र किया जाये और इन्तिक़ाम लिये बग़ैर ताल्लुक़ात क़ायम रखे जायें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : ''वह मुसलमान जो लोगों के साथ मेलजोल रखता है और लोगों की जानिब से पहुँचने वाली तकलीफ़ पर सब्र करता है। उस मुसलमान से बेहतर है जो लोगों से मेलजोल नहीं रखता और न उन तकालीफ़ पर सब्र करता है जो लोगों की जानिब से उसे पहुँचती है।'' (तिरमिज़ी, हदीस नं. 2507)

ख़ानदान के चार अरकान :

ख़ानदानी निज़ाम के अहम अरकान चार हैं। शौहर, बीवी, वालिदैन और औलाद। इनके अलावा दूसरे अफ़राद उनके साथ ज़िमनी तौर पर शामिल हैं। इनमें से हर एक के अपने फ़राइज़ व हुक़ूक़ हैं और हर एक से उनके फ़राइज़ के सिलसिले में क़यामत में पूछा जायेगा। इस्लाम ने उनको हुक़ूक़ो फ़राइज़ के ज़रिए इस तरह आपस में मिला दिया है कि सभी अपना-अपना मुस्तक़िल वजूद रखने के बावजूद एक हो जाते हैं। हर एक के हुक़ूक़ व फ़राइज़ पर अगले सफ़हात में बहस करेंगे।

अरकाने ख़ानदान की ज़िम्मेदारियाँ :

ख़ानदान के तमाम अरकान की ज़िम्मेदारी है कि वह एक दूसरे के हुक़ूक़ को अदा करने की फ़िक्र और कोशिश करते रहें और एक दूसरे के ज़िम्मे जो काम हो उसको बख़ूबी अन्जाम दें और अपने क़ौल व अमल से किसी को नुक़सान न पहुँचाएं और आपसी मदद व तआवुन से ख़ानदान की तरक़्क़ी व इस्तिहकाम, अमन व सुकून और तरक़्क़ी व कामयाबी के अमल को आगे बढ़ाएं। नेक कामों में एक दूसरे की मदद करे और किसी बुराई में किसी का साथ न दे बल्कि सब मिलकर उस बुराई को दूर करें ताकि ख़ानदान पाकीज़ा व सालेह रहे। इस सिलसिले में सभी अरकाने ख़ानदान को अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियों और हुक़ूक़ से वाक़िफ़ होना ज़रूरी है। इन्शा अल्लाह अगले सफ़हात में हम अलग-अलग उनवान से इस पर बहस करेंगे।

शौहर के हुक़ूक़ :

इस्लाम ने ज़ौजैन को उन तमाम उमूर को अन्जाम देने का हुक्म दिया है जो ज़ौजैन की फ़ितरी मुहब्बत व ताल्लुक़ में इज़ाफ़े का बाइस

हो और दुनियावी फ़लाह और उख़रवी नजात का ज़रिआ हो। इस्लाम ने दोनों के हुक़ूक़ व फ़राइज़ को वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया ताकि मियाँ-बीवी दोनों अपने ऊपर आइद हुक़ूक़ व फ़राइज़ को अदा करते हुए ख़ानदान में सुकून व इत्मीनान और कामरानी व तरक़्क़ी का दरवाज़ा खोल सकें और आख़िरत के अज्र व सवाब को पा सकें। तारीख़ शाहिद है कि जब भी मियाँ-बीवी ने इस्लाम के बताए हुए हुक़ूक़ व फ़राइज़ को बहुस्नो ख़ूबी अन्जाम दिया, ख़ानदान और मुआशरा सुकून व इत्मीनान और तरक़्क़ी व इस्तिहकाम से हमकिनार हुआ। लेकिन जब-जब भी इस्लाम के मुतअय्यन कर्दा हुक़ूक़ व फ़राइज़ से रूगर्दानी की गई, इसके नतीजे में दुनिया नाकामियों और दुश्वारियों से दोचार होती रही। यह सिलसिला ता हुनूज़ जारी है। अगरचे मग़रिबी मुआशरा और उसके नक़्शे क़दम पर चलने वाले मुआशरे में उसके ख़िलाफ़ कमरबस्ता होने का जज़्बा शिद्दत से उभर रहा है और उनके मुफ़क्किरीन फ़ैमिली सिस्टम को बहाल करने और उसको मुस्तहकम करने के लिए तदाबीर कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनको मुकम्मल कामयाबी नहीं मिल सकी है। अगर वह अपने अज़्म व इरादे में मुख़्लिस हैं और चाहते हैं कि उनका ख़ानदान और मुआशरा सुकून व तरक़्क़ी से हमकिनार हो तो उनको बिला किसी तअस्सुब के इस्लामी तालीमात को हिरज़े जाँ बना लेना चाहिए।

इस्लाम ने मियाँ-बीवी पर ऐसे हुक़ूक़ व फ़राइज़ आइद किये हैं जो ख़ानदान को सुकून व तरक़्क़ी से हमकिनार करते हैं और उनको अपनाकर फ़ैमिली सिस्टम को मुस्तहकम किया जा सकता है। वह हुक़ूक़ व फ़राइज़ क्या हैं? उनकी बाबत हम क़द्रे तफ़सील से गुफ़्तगू करेंगे।

शौहर का हक़ उसकी बीवी पर यह है कि वह उसके नेक कामों में फ़रमाँ-बरदारी करे और अपने नफ़्स और उसके माल की हिफ़ाज़त करे और अपनी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत और अमल से उसको

नाराज़ न करे और जब वह थका-मांदा घर आए तो उसका ख़न्दा पेशानी से इस्तक़बाल करे।

इब्ने माजा में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : "औरतों में बेहतरीन बीवी वह है जिसकी तरफ़ तुम देखो तो वह तुमको ख़ुश कर दे और जब तुम उसको हुक्म दो तो वह तुम्हारी फ़रमाँ-बरदारी करे और तुम्हारे ग़ायबाने में अपने नफ़्स और तुम्हारे माल की हिफ़ाज़त करे।" (इब्ने माजा, जिल्द अव्वल, स. 596)

इस्लाम ने अल्लाह की इताअत और दीनी फ़राइज़ की अन्जाम-देही और शौहर की इताअत को एक साथ बयान किया है जिससे उसकी अहमियत मज़ीद उजागर हो जाती है।

"हज़रत अब्दुर रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिस औरत ने पाँच वक़्त की नमाज़ पढ़ी, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी शर्मगाह की हिफ़ाज़त की और अपने ख़ाविन्द की फ़रमाँ-बरदारी की तो (उस औरत के लिए बशारत है कि) वह जिस दरवाज़े से चाहे जन्नत में दाख़िल हो जाये।" (अत्तरग़ीब वत्तरहीब, जिल्द 3, स. 52)

शौहर की इताअत व फ़रमाँ-बरदारी और उसको ख़ुशो ख़ुर्रम रखने पर जन्नत की ख़ुशख़बरी है जैसाकि इस हदीस से भी साबित होता है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : "जो औरत इस हाल में मरे कि उसका शौहर उससे राज़ी व ख़ुश हो तो वह जन्नत में दाख़िल होगी।" (तिरमिज़ी, जिल्द 3, स. 466)

फ़रमाँ-बरदार व इताअत शिआर बीवियों के लिए जहाँ जन्नत की ख़ुशख़बरी है, वहीं नाफ़रमान बीवियों के लिए दोज़ख़ का दर्दनाक अज़ाब मुतअय्यन है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: "..... और मैंने दोज़ख़ को देखा, वैसा मंज़र कभी नहीं देखा। मैंने

उसमें ज़्यादातर औरतों को देखा। सहाबा-ए-किराम ने कहा : अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों है? आप ने फ़रमाया नाशुक्री की वजह से। कहा गया, वह अल्लाह के साथ नाशुक्री करती हैं, तो आपने फ़रमाया : वह शौहर की नाशुक्री करती हैं, अगर तुम हमेशा उनके साथ भलाई का मामला करते रहो, फिर कभी तुम्हारी जानिब से किसी कमी को पा लिया तो कहेगी कि आपकी जानिब से कभी किसी भलाई को पाया ही नहीं।'' (बुख़ारी, जिल्द 3, स. 261)

''हज़रत मआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अनहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल करते हैं कि आपने फ़रमाया : कोई औरत दुनिया में अपने शौहर को तकलीफ़ पहुँचाती है तो उसकी जन्नत वाली बीवी यानी बड़ी आँखों वाली हूर कहती है, तुझ पर अल्लाह की मार पड़े (यानी अल्लाह तुझे जन्नत और अपनी रहमत से दूर रखे), अपने शौहर को तकलीफ़ न पहुँचा क्योंकि वह (दुनिया में) तेरा मेहमान है जो जल्द ही तुझ से जुदा होकर हमारे पास (जन्नत में) आएगा।'' (इब्ने माजा जिल्द 1, स. 649)

औरत की फ़रमाँ-बरदारी में अहम यह भी है कि वह हर वक़्त वज़ीफ़ा-ए-ज़ौजियत के लिए तैयार रहे। जब शौहर उसको हमबिस्तरी के लिए बुलाए तो हरगिज़ इनकार न करे।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : ''जब शौहर अपनी बीवी को बिस्तर की तरफ़ बुलाए और वह न आए और शौहर ने रात ग़ुस्से की हालत में गुज़ारी तो फ़रिश्ते सुबह तक उस पर लानत करते हैं।'' (अबू दाऊद जिल्द दोम, स. 244)

बीवी नफ़ली रोज़ा और नफ़ली हज शौहर की इजाज़त के बग़ैर अदा न करे और उसकी इजाज़त के बग़ैर किसी को घर में न आने दे। हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : ''किसी औरत के लिए रोज़ा रखना हलाल नहीं है जब्कि उसका शौहर मौजूद हो, हां उसकी इजाज़त से रोज़ा रख सकती है और शौहर की इजाज़त के बग़ैर उसके घर में किसी को आने की इजाज़त न दे।'' (मुस्लिम, जिल्द 2, स. 711)

शौहर का हक़ बीवी पर यह भी है कि वह किसी को घर में शौहर की इजाज़त के बग़ैर दाख़िल न होने दे। अम्र बिन अहवस जोशमी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि उन्होंने हज्जतुल विदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहते हुए सुना : ''लोगो! औरतों के हक़ में मेरी नेकी की वसीयत को मानो कि यह तुम्हारे हाथ में क़ैद हैं। तुम सिवा उसके किसी और बात का हक़ नहीं रखते लेकिन यह कि वह खुली बेहयाई का काम करें, मगर ऐसा करें तो उनको ख़्वाबगाह में अलाहिदा कर दो और उनको हल्की मार मारो। अगर वह तुम्हारी बात मान लें तो फिर उन पर इलज़ाम लगाने के पहलू न ढूंढो। बेशक तुम्हारा औरतों पर यह हक़ है कि वह तुम्हारे बिस्तर को दूसरों से पामाल न करायें जिनको तुम पसंद नहीं करते और न तुम्हारे घरों में उनको आने की इजाज़त दें जिनका आना तुमको पसंद नहीं और हाँ उनका हक़ तुम पर यह है कि उनको पहनाने और खिलाने में नेकी करो।'' (इब्ने माजा, जिल्द अव्वल स. 594)

शौहर की ख़िदमत :

इस्लाम ने मर्दो औरत के हुक़ूक़ व वाजिबात में मसावात क़ायम की। अलबत्ता दोनों को फ़ितरी व जिस्मानी सलाहियत के एतबार से अलग-अलग फ़राइज़ तफ़वीज़ किये। मर्द मेहनत व काविश करने और रोज़ी कमाने की ज़्यादा क़ुदरत रखता है और औरत घरेलू राहत व आराम को फ़राहम करने, घरेलू माहौल को पुरसुकून बनाने, औलाद की तरबियत और दीगर घरेलू कामकाज को अच्छी तरह अन्जाम देने की

ज़्यादा सलाहियत रखती है इसलिए इस्लाम ने मर्द और औरत दोनों को उसकी तबीअत और फ़ितरत के मुताबिक़ हुक़ूक़ व फ़राइज़ का मुकल्लफ़ बनाया है ताकि घर ख़ारजी और दाख़ली दोनों एतबार से मुनज़्ज़म हो जाये।

सरवरे कायनात हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के दर्मियान फ़ैसला फ़रमाया, घर की ख़िदमत पर हज़रत फ़ातिमा को और काम और रोज़ी की फ़राहमी पर हज़रत अली को मामूर किया।

बुख़ारी और मुस्लिम की रिवायत है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबीए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि चक्की की वजह से हाथों में निशान पड़ गये हैं और उन्होंने एक ख़ादिमा तलब की, तो आपने फ़रमाया कि मैं तुम दोनों को ऐसी चीज़ न बताऊँ जो उस चीज़ से बेहतर हो जिसका दोनों सवाल कर रहे हो। जब तुम लेटने लगो तो 33 बार सुब्हानल्लाह, 33 बार अल्हम्दु लिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर कहो, क्योंकि यह तुम दोनों के लिए ख़ादिम से बेहतर है।

हज़रत असमा बिन्ते अबी बकर ने फ़रमाया मैं अपने शौहर ज़ुबैर के घर की मुकम्मल ख़िदमत करती थी। उनके पास एक घोड़ा था, मैं उसकी देखरेख करती, उसके लिए घास काटती, उसकी निगरानी करती और उसको पानी पिलाती थी। इसके साथ ही डोल भरती और आटा गूंधती और अपने सर पर तीन फ़रसख़ दूर ज़मीन से गठरी को ढोती थी।

हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की ख़िदमत गुज़ारी के उनवान से अल्लामा सय्यद सुलेमान नदवी अपनी मशहूर किताब 'सीरते आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा' में लिखते हैं :-

''घर में अगरचे ख़ादिमा मौजूद थी लेकिन हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम ख़ुद अपने

हाथ से अन्जाम देती थीं। ग़ल्ला ख़ुद पीसती थीं, ख़ुद गूंधती थीं, बिस्तर अपने हाथ से बिछाती थीं, वुज़ू का पानी ख़ुद लाकर रखती थीं। आप कुर्बानी के जो ऊँट भेजते उसके लिए ख़ुद क़लावा बंटती थीं। आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में अपने हाथ से कंघा करती थीं, जिस्मे मुबारक में इत्र मल देती थीं। आपके कपड़े अपने हाथ से धोती थीं, सोते वक़्त मिस्वाक और पानी सिरहाने रखती थीं, मिस्वाक को सफ़ाई की ग़रज़ से धोया करती थीं, घर में आपका कोई मेहमान आता तो मेहमान की ख़िदमत अन्जाम देतीं। चुनांचे हज़रत क़ैस ग़फ़्फ़ारी जो सुफ़्फ़ा वालों में से थे, बयान करते हैं कि एक दिन आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों से फ़रमाया कि आइशा के घर चलो, जब हुजरे में पहुँचे तो फ़रमाया : आइशा हम लोगों को खाना खिलाओ। वह चूनी का पका हुआ खाना लाईं, आपने खाने की कोई और चीज़ माँगी तो छोहारे का हरीरा पेश किया, फिर पीने की चीज़ माँगी तो एक बड़े प्याले में दूध हाज़िर किया, इसके बाद एक और छोटे प्याले में पानी लाईं।'' (सीरते आइशा, स. 48-49)

मज़कूरा रिवायात से इस्तिदलाल करते हुए उलमा की एक जमाअत का मसलक यह है कि बीवी अपने घर की ख़िदमत अन्जाम दे और शौहर उसकी मुकम्मल किफ़ालत करे। सय्यिदा फ़ातिमा ज़हरा ने शिकायत की तो रसूलुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से यह नहीं कहा कि उस पर ख़िदमत वाजिब नहीं है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत असमा रज़ियल्लाहु अन्हा को शौहर की ख़िदमत करते हुए देखा तो यह नहीं कहा कि उस पर ख़िदमत वाजिब नहीं है बल्कि उसकी ख़िदमत को लाज़िम क़रार दिया और तमाम सहाबा-ए-किराम ने अपनी बीवियों पर ख़िदमत को लाज़िम क़रार दिया। बावजूद इसके कि औरतों में से बाज़ इससे ख़ुश थीं तो बाज़ नाराज़ थीं।

इबने क़य्यिम ने कहा कि फ़क़ीरी व मालदारी और शराफ़त व

दयानत की वजह से तफ़रीक़ सही नहीं है। दुनिया की औरतों में सबसे अफ़ज़ल हज़रत फ़ातिमा अपने शौहर की ख़िदमत करती थीं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में शिकायत लेकर आईं तो आपने शिकायत को नहीं सुना।

नबी और उनके अस्हाब की बीवियाँ आटा गूंधने, रोटी बनाने, बिस्तर बिछाने, फ़र्श साफ़ करने और खाना लगाने की ज़िम्मेदारियाँ अन्जाम देती थीं। दौरे रिसालत की औरतें इन उमूर को अन्जाम देती थीं और सहाबा-ए-किराम इन उमूर में कोताही करने पर उनको मारते थे और उनसे ख़िदमत लेते थे।

लेकिन हज़रत इमाम मालिक, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा और हज़रत इमाम शाफ़अ़ी का मसलक यह है कि बीवी पर शौहर की ख़िदमत वाजिब नहीं है इसलिए कि अक़्दे निकाह का मक़सूद इस्तिम्ता है न कि मनाफ़े हासिल करना और ख़िदमत लेना है। मज़कूरा अहादीस ततव्वो और मकारिमे अख़लाक़ पर दलालत करती हैं।

ज़ौजेन में बाहमी यगांगत के लिए आपसी झूट जाइज़ :

घरेलू माहौल को पुरसुकून बनाने और इज़्दिवाजी ज़िन्दगी को ख़ुशगवार और पुरलुत्फ़ बनाने के लिए झूट बोलने तक की रुख़्सत दी गई है। हालांकि आम हालत में झूट बोलना गुनाहे कबीरा है। हदीस में आता है कि तीन मक़ामात पर झूट बोलना जाइज़ है। मैदाने जंग में, लोगों के दर्मियान सुलह सफ़ाई कराने में, शौहर को अपनी बीवी की दिलजोई और बीवी को अपने शौहर की दिलजोई की ख़ातिर झूट बोलने की इजाज़त है।

हज़रत उम्मे कुलसुम बिन अतिया रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करती हैं कि मैंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना : ''मैं झूटा शुमार नहीं करता उस शख़्स को जो लोगों

के दर्मियान सुलह सफ़ाई के लिए झूट बोलता है। इससे उसका मक़सद सिर्फ़ इस्लाह होता है और उस शख़्स को जो जंग में झूट बोलता है और उस शख़्स को जो अपनी बीवी को ख़ुश करने के लिए झूट बोलता है और उस औरत को जो अपने शौहर को ख़ुश करने के लिए झूट बोलती है।''(अबू दाऊद जिल्द 4, स. 282)

बीवी अपने शौहर के घर क़याम करे :-

शौहर का हक़ यह भी है कि वह अपनी बीवी को घर में रोके रखे और उसको बाहर निकलने से मना कर दे लेकिन इस शर्त के साथ कि मकान बीवी के लाइक़ हो और इज़्दिवाजी ज़िन्दगी बसर करने के क़ाबिल हो, इसी को शरई मसकन कहा जाता है। जब मस्कन इसके लाइक़ न हो और उसमें हुक़ूक़े ज़ौजिया पूरा करना मुम्किन न हो जो निकाह का मक़सूद है तो उसमें औरत के लिए क़याम करना लाज़िम नहीं है इसलिए कि यह ग़ैर शरई मसकन है। इसी तरह दूसरों की मौजूदगी इज़्दिवाजी ज़िन्दगी गुज़ारने से माने हो या उनसे ज़रर लाहिक़ हो या अपने सामान के ज़ाए होने से डरती हो और मस्कन ज़रूरी सहूलियात से ख़ाली हो या वह ऐसी हालत में हो जिसमें बीवी डर महसूस करती हो या पड़ोसी बुरे हों। इन तमाम सूरतों में बीवी का घर में रुके रहना लाज़िम नहीं है।

बीवी को दूसरी जगह मुन्तक़िल करना :

शौहर का हक़ यह भी है कि वह जहाँ चाहे अपनी बीवी को मुन्तक़िल करे। अल्लाह तआला फ़रमाता है : ''तुम उन (मुतल्लक़ा) औरतों को अपनी वुसअत के मुवाफ़िक़ रहने का मकान दो, जहाँ तुम रहते हो और उनको तंग करने के लिए तकलीफ़ मत पहुँचाओ।'' (सूरह तलाक़ : 6)

अलबत्ता अक़्दे निकाह के वक़्त औरत ने यह शर्त रखी कि वह उसको घर से नहीं निकालेगा और उसको दूसरे शहर में मुन्तक़िल नहीं करेगा तो शौहर पर इस शर्त को पूरा करना वाजिब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस क़ौल की वजह से – "जिन शर्तों का पूरा किया जाना तुम्हारे लिए ज़रूरी है उनमें सबसे अहम शर्त वह है जिसके ज़रिए तुमने शर्मगाहों को हलाल किया है।"(तिरमिज़ी, जिल्द 2, स. 434, बुख़ारी जिल्द 3, स. 252 मामूली तब्दीली के साथ)

यह इमाम अहमद, इस्हाक़ बिन राहवै और इमाम औज़ाई का मसलक है। दीगर फ़ुक़हाए किराम का मसलक यह है कि इस शर्त को पूरा करना लाज़िम नहीं है। उन्होंने इस हदीस के बारे में कहा है कि महर में शर्त को पूरा करना वाजिब है।

बीवी का काम से रुक जाना :

उलमा ने बीवी को ऐसे आमाल अन्जाम देने से मना किया है जिनसे शौहर के हुक़ूक़ की अदायगी में कोताही और नुक़सान लाज़िम आए। मसलन उसकी इजाज़त के बग़ैर घर से निकल जाना, लेकिन ऐसे आमाल जो उसको नुक़सान न पहुँचाए उनको अन्जाम देने की इजाज़त है।

बीवी का घर से निकलना :

हनफ़िया ने औरत को अपने शौहर की मर्ज़ी के बग़ैर घर से बाहर निकलने की इजाज़त दी है जबकि वालिदैन में से कोई बीमार हो। (अलफ़िक़्हुल इस्लामी जिल्द 7, स. 336)

बक़द्रे ज़रूरत इल्म हासिल करना औरत पर वाजिब है लिहाज़ा अक़्दे निकाह के बाद बक़द्रे ज़रूरत इल्म हासिल करना चाहती है तो शौहर पर वाजिब है कि वह उसको सिखलाए। अगर शौहर इस पर क़ादिर न हो तो औरत का उलमा और इल्म की मजलिस में निकलना

वाजिब है ताकि वह दीनी अहकाम को जाने अगरचे इसमें शौहर की इजाज़त न हो। अगर बीवी इस क़दर अहकाम से वाक़िफ़ है जो अल्लाह ने उस पर फ़र्ज़ किया है या शौहर फ़क़ीह हो और उसको तालीम देता हो तो उसे इल्म के हुसूल के लिए शौहर की इजाज़त के बग़ैर निकलने का कोई हक़ नहीं है। इमाम फ़ख़रुद्दीन हसन बिन मन्सूर फ़रमाते हैं –

''अगर औरत अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर किसी इल्मी मजलिस में शरीक होना चाहे तो उसको इसका हक़ नहीं है लेकिन कोई मसला उसको दरपेश हो तो वह अपने शौहर से दरयाफ़्त करेगी। अब अगर शौहर आलिम है और वह ख़ुद ही उसे मसला बता दे, या जाहिल हो और वह दूसरों से तहक़ीक़ करके उसको इत्तिला दे दे तो उसको शौहर की इजाज़त के बग़ैर घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन शौहर तहक़ीक़ करके न बताये तो वह बिला इजाज़त भी किसी इल्मी मजलिस में जाकर दरयाफ़्त कर सकती है क्योंकि तलबे इल्म मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ हो जाता है जबकि वह इसके मोहताज हों इसलिए ऐसी हालत में तलबे इल्म को शौहर के हक़ पर मुक़द्दम रखा जायेगा। अगर औरत को कोई मुतअय्यन मसला दरपेश न हो लेकिन वह नमाज़ और वुज़ू वग़ैरह के मसाइल सीखने के लिए किसी इल्मी मजलिस में शरीक होना चाहे, अगर शौहर इन मसाइल को जानता हो और उसे सिखा भी रहा हो तो उसे घर से नहीं निकलना चाहिए जब तक कि शौहर उसको इजाज़त न दे और अगर ख़ुद शौहर को इन मसाइल का इल्म नहीं है तो बेहतर है कि शौहर उसको इल्मी मजालिस में शरीक होने की इजाज़त दे दे और अगर कोई मसलेहत माने हो तो शौहर को इसका भी हक़ है कि वह उसको बाहर जाने की इजाज़त न दे और इससे शौहर पर कोई इलज़ाम नहीं आयेगा। शौहर की इजाज़त के बग़ैर निकलने की उनको गुन्जाइश नहीं है जब तक कि

कोई ज़रूरी मसला पेश न आए।'' (फ़तावा क़ाज़ी ख़ान अलमतबूआ अलल फ़तावा अल हिन्दिया जिल्द 1, स. 443)

औरत पर वाजिब है कि वह जब घर से निकले तो उसके जिस्म का कोई हिस्सा सिवाए चेहरा व हथेली के ज़ाहिर न हो इसलिए के सत्र का छुपाना वाजिब है।

अल्लाह तआला फ़रमाता है –

''और क़दीम ज़माना–ए–जाहिलियत के दस्तूर के मुवाफ़िक़ मत फिरो।''(सूरह अहज़ाब : 33)

तबर्रुज यह है कि वह भड़काने वाली हरकत व चाल को अपनाए। तबर्रुज यह भी है कि औरत ऐसा बारीक लिबास पहने जिससे उसका जिस्म दिखाई दे।

हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया –

''जहन्नमियों की दो क़िस्मों को मैंने अब तक नहीं देखा, एक ऐसी क़ौम होगी जिसके साथ गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे जिन से लोगों को मार रहे होंगे, दूसरी क़िस्म उन औरतों की होगी जिनकी तरफ़ लोग माइल होंगे और वह लोगों को अपनी जानिब माइल करेंगी, उनके सर ऊँट के कोहान की तरह होंगे, वह जन्नत में दाख़िल नहीं होंगी और न उसकी ख़ुशबू पा सकेंगी, हालांकि उसकी ख़ुशबू दूर दराज़ से महसूस की जायेगी।'' (मुस्लिम जिल्द 4, स. 2192)

औरत तेज़ ख़ुशबू लगाकर न निकले क्योंकि ख़ुशबू लोगों को उसकी जानिब माइल कर देगी और उसमें दिलचस्पी पैदा करेगी। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़राया – ''जो औरत मुअत्तर होकर किसी क़ौम से गुज़रती है ताकि वह उसकी ख़ुशबू पाएँ तो वह ज़ानिया है।'' (रवाहुल हाकिम अन अबी मूसा जिल्द 2, स. 396, सूरह नूर की तफ़सीर में)

औरत के लिए बेहतर है कि वह घर में रहे, बिला ज़रूरत बाहर न निकले, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया – ''औरत पर्दे में रहने की चीज़ है, चुनांचे जब कोई औरत अपने पर्दे से बाहर निकलती है तो शैतान उसको मर्दों की नज़र में अच्छा करके दिखाता है।'' (तिरमिज़ी जिल्द 3, स. 476)

सरज़निश का हक़ :

शौहर अपनी नाफ़रमान बीवी को सज़ा दे सकता है जब वह उसको समझाकर मायूस हो चुका हो और नर्म गुफ़्तारी और नसीहत व तंबीह बेसूद साबित हो चुकी हो। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाफ़रमानी करने पर मारने और बिस्तर अलाहिदा करने का हुक्म दिया है। इसके बाद वह नाफ़रमानी से बाज़ आ जाए तो सरज़निश व तादीब से शौहर का रुक जाना वाजिब है।

शौहर को सरज़निश का हक़ उस वक़्त हासिल होगा जब वह ऐसे उमूर में फ़रमाँबरदारी न करे जो उस पर वाजिब है। उलमा ने नुशूज़ की तशरीह यह की है कि बीवी अपने शौहर की ऐसे उमूर में नाफ़रमानी करे जो उस पर वाजिब है। ज़ौजैन में से हर एक दूसरे से नफ़रत करे, शौहर की इजाज़त के बग़ैर घर से निकल जाये। नुशूज़ की अलामतें अमली भी हैं और क़ौली भी।

अमल के ज़रिए नुशूज़ यह है कि जब शौहर उसको मुहब्बत और ख़न्दापेशानी के साथ बुलाए तो वह एराज़ करे और मुँह बिसोरे। क़ौल के ज़रिए नुशूज़ यह है कि सख़्त जुमले से उसका जवाब दे जबकि शौहर उसके साथ नर्मी से पेश आए। हज़रत मौलाना अल्लामा सय्यद सुलेमान नदवी नुशूज़ की तशरीह करते हुए रक़मतराज़ हैं –

''लुग़त में नुशूज़ के माना उठ जाने के हैं और औरत के हक़ में इसके इस्तिलाही माना जो हैं वह मुफ़स्सिर इब्ने जरीर तबरी के अलफ़ाज़ में हस्बे ज़ैल हैं–

और इसके माना यह हैं कि तुम उन औरतों की वह हालत देखो

जिससे तुमको उनके नुशूज़ का डर हो यानी उधर देखा जिधर उनको देखना नहीं चाहिए, वह आएं और निकल जायें और तुमको उनकी बाबत शक हो जाये।

मुहम्मद बिन काब अलक़ुरज़ी से मनक़ूल है कि जब मर्द देखे कि औरत (घर) से बाहर आने जाने में उसके हुक़ूक़ में क़ुसूर कर रही है तो उससे ज़बान से कहे कि मैंने तुझसे यह हरकत देखी, यह देखी, तू अब बाज़ आ जा।''

फ़िक़ह की किताबों में है ''नुशूज़ वाली औरत वह है जो अपने शौहर के घर से निकल जाए और अपने आपको उसके सुपुर्द न होने दे।

ग़रज़ यह कि नाशिज़ा औरत वह है जिसमें बद अख़लाक़ी की बाज़ मुश्तबह अलामतें पाई जायें। कुछ मुफ़स्सिरीन ने इसको और वुसअत दी है और बताया है कि नाशिज़ा औरत वह है जो अपने शौहर पर बुलन्दी चाहे, उसका हुक्म न माने, उससे बेरुख़ी करे और उससे बुग़्ज़ रखे।

मेरे ख़्याल में यह दोनों तफ़सीरें दुरुस्त हैं और दर हक़ीक़त पूरी आयत पढ़ने से नुशूज़ के माना आप खुल जाते हैं। आयते मज़कूरा पूरी तरह यह है-

''मर्द औरतों के निगराँ हैं इस सबब से कि अल्लाह ने बाज़ों को बाज़ों पर फ़ज़ीलत दी है और इस सबब से कि मर्दों ने अपने माल ख़र्च किये हैं सो जो औरतें नेक हैं, इताअत करती हैं, मर्द की अदम मौजूदगी में बहिफ़ाज़त इलाही निगेहदाश्त करती हैं और जिसके नुशूज़ का तुमको डर हो तो उनको समझाओ और उनको ख़्वाबगाह में इलाहिदा कर दो और उनको मारो। तो अगर वह तुम्हारा कहा मान लें तो फिर उन पर रास्ता तलाश न करो।''(सूरह निसा आयत : 34)

इस आयत में मर्द की तरजीह की जो दो बातें बयान की हैं उनके नतीजे में यह फ़रमाया है कि नेक बीवियाँ वह हैं जो अपने शौहरों की फ़रमाँबरदार हैं और उनके पीठ पीछे उनके घरबार और

इज़्ज़तो आबरू की हिफ़ाज़त करती हैं। इसके बाद है कि अब जिस औरत से तुम्हें नुशूज़ का डर हो तो उसको पहले समझाओ, न माने तो ख़लवत में उससे किनारा करो या उससे बात करना छोड़ दो, इस पर भी न माने तो उसको ज़रा मारो, अब भी अगर कहा मान ले तो फिर उसको सताने या तलाक वग़ैरह देने के लिए हीला और बहाना मत ढूंढो।

अब जब ऊपर मैं बता चुका कि मर्दों को औरतों की निगरानी और देखभाल का हक़ हासिल है। फिर यह भी कहा जा चुका कि नेक बीवियाँ वह हैं जो शौहरों की फ़रमाँबरदार हैं और शौहरों के पीछे उनके घर बार, मालो दौलत ओर इज़्ज़त व आबरू की हिफ़ाज़त करती हैं और उसके बाद यह है कि अगर तुम्हें औरत के नुशूज़ का डर हो तो यह यह करो। इससे मालूम हुआ कि औरत का नुशूज़ यह है कि उसके जो दो फ़र्ज़ पहले बताये गये हैं यानी शौहर की फ़रमाँबरदारी और शौहर के पीछे उसके घरबार और इज़्ज़त व आबरू की हिफ़ाज़त जो औरत इन दोनों को या इन दोनों में से किसी एक फ़र्ज़ को भी अदा नहीं करती वही नाशिज़ा है और ऐसी ही औरत की तम्बीह की इजाज़त दी गई है।

'शौहर की इज़्ज़त व आबरू की हिफ़ाज़त' के अलफ़ाज़ से जिस तरफ़ इशारा है उसकी तशरीह अहादीस में मौजूद है – ''आपने फ़रमाया सबसे बेहतर औरत वह है कि जब मर्द उसको देखे तो ख़ुश हो जाए और जब कोई हुक्म दे तो वह मान ले और जब शौहर घर पर मौजूद न हो तो वह अपनी जान और उसके माल की हिफ़ाज़त करे, अपनी जान की हिफ़ाज़त से मक़सूद इफ़्फ़त व अस्मत है।''

हज्जतुल विदा के ख़ुतबे में औरतों के हुक़ूक़ की निस्बत आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फ़िक़रे हैं उनमें नुशूज़ के इस माना की पूरी सराहत है।

सही मुस्लिम में है – ''औरतों के बारे में ख़ुदा से डरो कि वह

तुम्हारे बस में हैं। तुम्हारा उन पर यह हक़ है कि वह तुम्हारे बिस्तर को किसी से न रोंदवाएं जिसको तुम नापसंद करते हो और अगर वह ऐसा करें तो उनको इतना मारो जो तकलीफ़देह न हो।''(मुस्लिम)

अलग़रज़ आख़री दर्जे पर औरत की तम्बीह की यह इजाज़त ख़ास हालात में है और शुरू की तशरीह में यह है कि यह ज़र्ब ग़ैर मुबरह यानी ऐसी मार हो जिससे औरत के किसी उज़्व को नुक़सान न पहुँचे बल्कि यहाँ तक सराहत है कि इससे मक़सूद मिस्वाक वग़ैरह से मारना है जिससे तम्बीह के सिवा कोई चोट नहीं आ सकती वरना औरतों को आम तौर से यूँ मारना इस्लामी तहज़ीब के ख़िलाफ़ है, यह ज़माना-ए-जाहिलियत का दस्तूर था जिसकी इस्लाम ने इस्लाह की है।

अयास बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हुक्म दिया कि ख़ुदा की बन्दियों (अपनी बीवियों) को मारा न करो, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आकर अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, बीवियाँ अपने शौहरों पर दिलेर हो गईं हैं तो आपने मारने की रुख़सत अता की। नतीजा यह हुआ कि बहुत सी औरतें अहले बैते नबवी के सामने अपने शौहरों की शिकायतें ले-लेकर आईं। यह देखकर आपने फ़रमाया, आले मुहम्मद के गिर्द बहुत सी औरतें चक्कर काटती रहीं जो अपने अपने शौहरों की शिकायतें लेकर आई थीं। यह (यानी बीवियों से ऐसी बदसुलूकी करने वाले) तुम में से अच्छे लोग नहीं।

एक सहाबिया ने अपने निकाह के मुताल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा लिया और एक शख़्स के पैग़ाम का ज़िक्र किया। आप ने फ़रमाया वह अपना डण्डा अपने कन्धे से नीचे नहीं उतारता यानी वह मारपीट किया करता है और ज़रा-ज़रा सी बात पर ख़फ़ा होता रहता है। इससे मालूम हुआ कि आपने उसके फ़ैल को नापसंद फ़रमाया। एक सहाबी ने आकर शिकायत की, या रसूलल्लाह मेरी बीवी बदज़बान है, फ़रमाया तलाक़ देदो, अर्ज़ की उससे मेरी

औलाद है और मुद्दत से मेरे साथ है। फ़रमाया तो उसको समझाया करो, उसमें सलाहियत होगी तो क़ुबूल करेगी लेकिन अपनी बीवी को लौण्डी की तरह मारा न करो। एक दूसरे मौक़े पर फ़रमाया, कोई अपनी बीवी को ग़ुलाम की तरह कोड़े न मारा करे। यह कोई अच्छी बात नहीं कि एक वक़्त कोड़े मारे और दूसरे वक़्त उससे हमबिस्तर हो। (सीरतुन्नबी जिल्द 6, स. 265 ता 270)

बीवी का शौहर के लिए बनाव सिंघार करना मुस्तहसन है :-

औरत का अपने शौहर के लिए सुरमा, ख़िज़ाब, ख़ुशबू और दीगर ज़ीनत के सामान से अपने आपको आरास्ता करना मुस्तहसन है। 'नैलुल औतार' में है - "हज़रत करीमा बिन्ते हमाम से रिवायत है, वह फ़रमाती हैं कि मैं मस्जिद में दाख़िल हुई तो हज़रत आयशा के लिए लोगों ने मस्जिद को ख़ाली कर दिया। एक औरत ने उनसे पूछा, ऐ उम्मुल मोमिनीन मेहंदी के सिलसिले में आप क्या कहती हैं? तो उन्होंने फ़रमाया, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस (मेहंदी) के रंग को पसंद फ़रमाते थे और इसकी बू को नापसंद फ़रमाते थे। दो हैज़ के दरमियान या हर हैज़ के वक़्त तुमपर हराम नहीं है।"(नैलुल औतार जिल्द 6, स. 218)

बीवी के लिए दस्तूरे हयात :

ज़ौजैन के एक दूसरे पर हुक़ूक़ व फ़राइज़ इसलिए आइद किये गये हैं ताकि घर के हर फ़र्द को सुकून व इत्मीनान और तरक़्क़ी व कामयाबी हासिल हो जाए और ख़ानदान व मुआशरा सलाहो फ़लाह से हमकिनार हो सके। ख़ानदान की तामीर और बच्चों की तालीम व तरबियत में मियाँ-बीवी का बाहमी तआवुन बेहद ज़रूरी है। इस सिलसिले में शैख़ मज़हरुल हमवी लेबनानी ने बीवियों को कामयाब ज़िन्दगी गुज़ारने और अपने आमालो किरदार की वजह से अपने घर को

जन्नत बनाने के लिए चन्द हिदायात व नसाइह का पाबन्द बनाया है। अगर ख़वातीन इन हिदायात पर अमल करें तो हर घर जन्नत का नमूना बन सकता है।

- बीवी की हैसियत से आप अपने घर में ख़ुशबूदार फूल की मानिन्द हैं, चुनांचे आपका शौहर जब घर में दाख़िल हो तो उसे अपनी इस ख़ूशबू का एहसास दिलाइये।
- अपने हर क़ौलो फ़ैल से शौहर को राहत का सामान मुहय्या कीजिए।
- अपनी गुफ़्तार को सरापा सादा और क़ल्बो जाँ का नमूना बनाइये, तन्ज़ व तान और बहस व तकरार से मुकम्मल इज्तिनाब कीजिए।
- मर्द को घर के सरबराह होने की हैसियत से उसके हक़ीक़ी मफ़हूम के साथ तस्लीम कीजिए और इस अम्र का इदराक कि एक औरत को मर्द की सरबराही और निगरानी की कितनी शदीद ज़रूरत होती है, यह मनफ़ी ख़्याल हरगिज़ अपने दिल में पलने न दीजिए कि यह औरत के साथ ज़ुल्मो ना इन्साफ़ी और उसके हुक़ूक़ की पामाली है।
- अपनी आवाज़ शौहर के सामने तेज़ न कीजिए।
- कोशिश कीजिए कि आप दोनों रात में तहज्जुद की नमाज़ एक साथ अदा करें, इस तरह आप दोनों के लिए नूरानियत, सआदत, सुकून, इत्मीनान और उलफ़तो मुहब्बत में ज़बरदस्त इज़ाफ़ा होगा।
- शौहर की नाराज़गी के वक़्त आप बिल्कुल ख़ामोशी इख़्तियार कर लीजिए, उसको राज़ी किये बग़ैर न सोएँ, याद रखिए आपका शौहर आपकी जन्नत है या जहन्नम।

- जब वह बाहर जाने की तैयारी कर रहा हो तो उसके सामने मौजूद रहिए और रवाना होते हुए उसे रुख़सत कीजिए।
- उसको उसके कपड़ों के इन्तेख़ाब में अपनी दिलचस्पी का एहसास दिलाइये और ख़ुद उसके लिए लिबास का इन्तिख़ाब कीजिए।
- उसकी ज़रूरत की चीज़ों की फ़राहमी में बारीकबीनी और समझदारी का सुबूत दीजिए, ताकि आप दोनों के दर्मियान बेहतरीन ताल्लुक़ात परवान चढ़ें।
- अपने शौहर की जानिब से माज़िरत का इन्तिज़ार न कीजिए और न उसको किसी मामले में माज़िरत करने पर मजबूर करें सिवाए इसके कि वह ख़ुद किसी ग़लती पर अमली तौर पर माज़िरतख़्वाहाना तर्ज़ इख़्तियार कर ले।
- शौहर के लिबास और उसकी वज़ा क़ता का ख़ास ख़्याल रखिए, अगरचे वह ख़ुद इस मामले में एहतमाम न करता हो।
- हमेशा अपने शौहर की तरफ़ से इज़हारे मुहब्बत और इज़हारे रग़बत में पहल करने की मुन्तज़िर न रहिए बल्कि ख़ुद इसमें पहल का एहतमाम कीजिए।
- हर रात में उसके लिए दुल्हन बनकर रहिए और शदीद ज़रूरत के बग़ैर शौहर से पहले न सोइये।
- अपने हुस्ने मामला का बदला फ़ौरन न चाहें, क्योंकि बहुत सारे शौहर अपने एहसासात और जज़्बात को ज़ाहिर नहीं करते या ज़ाहिर कर ही नहीं पाते।
- शौहर के अहवाल में दिलचस्पी के साथ मशग़ूल रहिए लेकिन तकल्लुफ़ और मसनूईपन से गुरेज़ कीजिए।
- जब वह सफ़र से वापस आए तो मुहब्बत से भरपूर बशाशत

और दिली गर्मजोशी का मुज़ाहिरा कीजिए।

- हमेशा इसका ध्यान रखिए कि शौहर, ख़ुदा के साथ क़ुर्ब और ताल्लुक़ का अहम वसीला है।
- हमेशा इसकी कोशिश कीजिए कि ज़ाहिरी वज़ा क़ता में गुफ़्तार और शौहर के इस्तक़बाल में जिद्दत और ताज़गी बरक़रार रहे।
- जब वह आपसे कुछ तलब करे तो उस मौक़े पर सुस्ती और बोझल अन्दाज़ इख़्तियार करने के बजाय चुस्ती और दिलचस्पी का मुज़ाहिरा कीजिए।
- घर की सफ़ाई सुथराई और सजावट का ख़ास ख़्याल करते हुए शौहर को अपने अन्दाज़ से अपने इस जज़्बे का एहसास कराइये कि यह सब कुछ आप उसे ख़ुश करने के लिए कर रही हैं।
- घर के कामकाज और रख-रखाव में नज़्म और पाबन्दी-ए-वक़्त का ख़ास ख़्याल रखिए।
- औरतों से मुताल्लिक़ बाज़ घरेलू महारत के काम ज़रूर सीखिए।
- जब आपका शौहर घर में कोई खाने पीने का सामान या दीगर कोई चीज़ लाए तो शुक्रिया अदा कीजिए और तारीफ़ व सताइश से उसका इस्तक़बाल कीजिए।
- घर की ख़ूबसूरती और तरतीबो इन्तिज़ाम की ख़ूब कोशिश कीजिए, अगरचे आपका शौहर आपसे ख़ूबसूरती और सादगी को जमा करने का मुतालबा न करता हो मगर आप ख़ुद इस अम्र का लिहाज़ रखिए।
- इसराफ़ और बेजा ख़र्च से बचते हुए क़नाअत का दामन थामे रहिए ताकि आमदनी और अख़राजात का तवाज़ुन बरक़रार रहे।
- अपने और औलाद से मुताल्लिक़ ज़रूरी मामलात में हमेशा अपने

आपको शौहर की राय और उसके मशवरों का हाजतमन्द समझें, लेकिन छोटे-छोटे ग़ैर ज़रूरी मसाइल को उसके सामने पेश करने से भी गुरेज़ कीजिए।

- हमेशा ध्यान रखिए कि आप औरत हैं, लिहाज़ा अपनी निस्वानियत की पासदारी भी करती रहिए और मुनासिब वक़्त में बेहतर तौर पर ख़ुद को भी अपनी निस्वानियत का एहसास दिलाती रहिए।
- जब शौहर किसी सफ़र से तवील मुद्दत के बाद लौटे तो उसकी ग़ैर मौजूदगी में पेश आने वाली मुश्किलात और मशक़्क़तों को शिकवे और नाराज़गी के अन्दाज़ में पेश न कीजिए।
- अपने बच्चों को भी उनकी उम्र के लिहाज़ से अपने वालिद के घर लौटने के वक़्त इस्तक़बाल करने के आदाब सिखाइये।
- शौहर के घर लौटते ही या सोकर उठने के वक़्त या खाना खाते वक़्त अपने बच्चों की शिकायतें उसके सामने पेश न कीजिए, इस तरह करने से शौहर और बच्चों दोनों पर मुज़िर असरात मुरत्तब होंगे। बल्कि यह शिकायत दूसरे मुनासिब मौक़े पर कीजिए।
- बच्चों की सरज़निश करते हुए या उन्हें तंबीह के तौर पर सज़ा देते हुए शौहर के साथ दख़ल अन्दाज़ी न कीजिए।
- अपने शौहर और बच्चों के दर्मियान बेहतरीन ख़ुशगवार ताल्लुक़ात उस्तवार करने की कोशिश कीजिए, ख़्वाह आपके शौहर कितने ही मसरूफ़ हों मगर यह कोशिश ऐसी हिकमते अमली के साथ होनी चाहिए कि उनके कामों से दूर गया हो तो उन्हें इसका एहसास दिलाइये कि आप उनकी ग़ैर मौजूदगी में बच्चों की ज़िम्मेदारी का बोझ उठायेंगी और शौहर की मुशावरत

के साथ सारे काम अन्जाम देंगी।

- अपनी औलाद की तरबियत के लिए अपनाए गए उसूलों और तरीक़ों के नताइज का फ़ौरी इन्तिज़ार न कीजिए, वरना शौहर के मायूस हो जाने या तरबियत से ग़ाफ़िल हो जाने का इम्कान है।
- अपनी औलाद की ग़लतियों पर सिर्फ़ तंबीह कर देना काफ़ी नहीं बल्कि उन्हें मुनासिब सज़ा भी दीजिए।
- बच्चों की फ़राग़त के औक़ात में और ख़ासकर छुट्टियों में उनके लिए किसी सेहतमंद और मुफ़ीद मशग़ले का इन्तेख़ाब कीजिए ताकि उनकी सलाहियतें परवान चढ़ें।
- अपनी बेटियों की दोस्त बनकर रहिए और उनके मामले में फ़ितरी व तबई तब्दीलियों का एहसास व इदराक कीजिए कि जिनसे नौजवान लड़कियों को मरहलावार गुज़रना पड़ता है।
- तरबियत के अमली नमूने इख़्तियार करके अपनी बच्चियों की शख़्सी तरबियत करते हुए उसमें निखार पैदा करने की कोशिश कीजिए।
- शौहर की दिलबस्तगी और उसके साथ बेहतरीन तवज्जो का मामला करते हुए औलाद की ख़बरगीरी और घर के काम का ऐसा नज़्म बनाइये कि इन तीनों ज़िम्मेदारियों की अदायगी में तवाज़ुन बरक़रार रहे।
- शौहर के वालिदैन के साथ अपने वालिदैन जैसी मुहब्बत व एहतराम और ख़िदमत का ख़्याल रखिए, उन्होंने आपको एक बेहतरीन और बेश क़ीमत हदिया आपके शौहर की सूरत में अता किया है।
- शौहर के रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात

का ख़ास एहतमाम कीजिए, ख़्वाह आपके शौहर ख़ुद से इसका ज़्यादा एहतमाम न करते हों।

- शौहर के मेहमानों की ख़ातिर मदारात का भी ख़्याल रखिए और अचानक मेहमान आ जाने या मेहमानों की कसरते आमद व रफ़्त से नाराज़गी और चिड़चिड़ेपन का मुज़ाहिरा न कीजिए।
- शौहर के ज़रूरी काग़ज़ात, फ़ाइलें और अहम सामान की ख़ास हिफ़ाज़त कीजिए और उसे संभालकर रखिए।
- घर को हर वक़्त इस अन्दाज़ से रखिए कि किसी भी वक़्त कोई मेहमान आ जाए तो ख़िफ़्फ़त और शर्मिन्दगी महसूस न हो और शौहर की किताबें, फ़ाइलें और रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों को क़रीने और तरतीब से रखिए।
- देर से घर आने पर बाज़पुर्स और नाराज़गी का तरीक़ा अपनाने के बजाय शौहर को अपने शौक़ो रग़बत के साथ इन्तिज़ार का एहसास दिलाते हुए उसे घर का बोझ उठाने पर सताइशी कलिमात से भी नवाज़िए।
- शौहर को किसी बात से तंग होकर ग़ुस्से का इज़हार का मौक़ा न दीजिए बल्कि इशारे और अन्दाज़े से भी फ़ौरन उनकी मर्ज़ी को भाँप लेना चाहिए।
- अपने शौहर से ज़्यादा शिकवे शिकायत करने से बाज़ रहिए।
- शौहर को हमेशा इस बात का एहसास दिलाती रहिए कि उनके काम सबसे अव्वलीन तरजीह के लाइक़ हैं चाहे आपको दूसरी मसरूफ़ियात कितनी ही दरपेश हों।
- याद रखिए, शौहर का यह हक़ है कि वह आपके और आपके घर वालों के दरमियान होने वाले उमूर और मामलात से वाक़िफ़ और बाख़बर रहे।

- आप शौहर को इस बात का एहसास दिलाइये कि आपको अपने शौहर पर तवज्जो और प्यार है, कामयाब बीवी वही होती है जिसकी मुहब्बत और ताल्लुक़ का शौहर को इदराक हो।
- कामकाज की कसरत और घरेलू उमूर में मशग़ूलियत आपकी तबीअत पर मनफ़ी असरात मुरत्तब न करने पायें।
- अपने घर की बातों को इधर-उधर न फैलाइये, अपने घर के राज़ों को महफ़ूज़ रखने का एहतमाम कीजिए।
- दूसरे लोगों के साथ अपने शौहर का कभी मुवाज़ना न कीजिए बल्कि अपने शौहर की ख़ूबियों को देखा कीजिए।
- औरतों में इस्लाह का काम करने के लिए मशवरे के तरीक़े को मुअस्सिर बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आप सहूलत और हिकमते अमली के साथ वक़्त ज़ाए किये बग़ैर मतलूबा हदफ़ हासिल कर सकें।
- वह माद्दी मेयारी ज़िन्दगी जो आम तौर पर औरतों को अपने में मुन्हमिक रखती है, आप उस माद्दी मेयार से बख़ूबी वाक़िफ़ रहिए ताकि दूसरी ख़वातीन को मुनासिब और नर्म गुफ़्तगू के ज़रिए इस माद्दियत से निकाल सकें।
- अपनी बहनों के साथ काम करते हुए उनके दिल जीतने की कोशिश कीजिए, फिर वह अक़्ल व शऊर के साथ आपकी ताबेदार हो जायेंगी, यही तरीक़ा-ए-कार ख़वातीन के लिहाज़ से ज़्यादा मुनासिब है।
- अपने कामों में अपने साथ दूसरों को शरीक कीजिए जो आपकी अदम मौजूदगी में आपके कामों का बोझ उठा सकें, इस तर्ज़े अमल से आपकी ज़िम्मेदारियों का बोझ बढ़ने नहीं पायेगा बल्कि इसमें तवाज़ुन क़ायम रहेगा। (बशुक्रिया माहनामा अल फ़ारुक़, कराची)

ख़ानदान का सरबराह मर्द है :

ख़ानदान में मर्द सरबराह, मुहाफ़िज़ और निगराँ है क्योंकि अल्लाह ने उसके अन्दर ऐसी ख़ूबियाँ रख दी हैं जिनकी वजह से वह औरत के मुक़ाबले में सरबराही के काम को बहुस्नो ख़ूबी अन्जाम देने की इस्तिताअत रखता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इस्लाम ने औरत को महकूम व बांदी बना दिया बल्कि वह अपने दायरे में ख़ुदमुख़्तार और मलका है। लेकिन मर्द को औरत पर एक गुना फ़ज़ीलत इसलिए दी गई है ताकि ख़ानदान इन्तिशार और बदनज़मी का शिकार न हो।

सरबराह पर अल्लाह और उसके रसूल ने कुछ हुदूद व क़वाइद मुतअय्यन कर दिये हैं जिनपर अमल करना उसके लिए ज़रूरी है।

ख़ानदान में मर्द को क़व्वाम क्यों नामज़द किया गया है इसके बारे में ख़ालिक़े कायनात ख़ुद फ़रमाता है –

''मर्द हाकिम हैं औरतों पर इस सबब से कि अल्लाह ने बाज़ों को बाज़ों पर फ़ज़ीलत दी है और इसस सबब से कि मर्दों ने अपने माल ख़र्च किये हैं।'' (सूरह निसा आयत : 34)

मुहम्मद क़ुतुब अपनी मशहूर किताब 'शुब्हात हौलल इस्लाम' में मर्द की सरबराही की हिकमत व इल्लत बयान करते हुए रक़म तराज़ हैं – ''..... जहाँ तक दूसरे मसले यानी ख़ानदान की सरबराही का ताल्लुक़ है तो इसकी नौईयत ऐसी है कि इससे सिर्फ़ वही फ़र्द ओहदा बरआ हो सकता है जिसमें इन्तिज़ामी सलाहियत हो और जो ख़ानदान के मामलात की निगरानी और इन्तिज़ाम कर सकता हो और ख़ानदान एक मर्द, औरत और बच्चों के इश्तिराक और उससे पैदा होने वाली ज़िम्मेदारियों का नाम है। दूसरे मुआशरती इदारों की मानिन्द ख़ानदान को भी एक ज़िम्मेदार सरबराह की ज़रूरत होती है जिसकी अदम

मौजूदगी में आयली ज़िन्दगी इन्तिशार और बिल आख़िर तबाही का शिकार हो सकती है। ख़ानदान की सरबाही के सिलसिले में तीन सूरतें हो सकती हैं। एक यह कि मर्द ख़ानदान का हाकिम हो, दूसरे यह कि औरत उसकी सरबराही करे और तीसरे यह कि मर्द और औरत दोनों बैक वक़्त ख़ानदान की सरबराही के मनसब पर फ़ाइज़ हों।

तीसरी सूरत तो ज़ाहिर है कि ख़ारिज अज़ बहस है क्योंकि हमारा तजर्बा हमें बताता है कि जहाँ दो सरबराह हों वहाँ सिरे से कोई सरबराह न होने की हालत से भी ज़्यादा इन्तिशार और मसाइब जन्म लेते हैं। ज़मीन व आसामनों की तख़लीक़ की तरफ़ इशारा करते हुए क़ुरआने हकीम में इरशाद होता है– ''ज़मीन या आसमान में अगर अल्लाह तआला के सिवा और माबूद होता तो ज़मीन आसमान दोनों बरहम हो जाते।''(सूरह अम्बिया आयत 21)

''तो हर ख़ुदा अपनी मख़लूक़ को जुदा कर लेता और एक दूसरे पर चढ़ाई करता।''(अलमोमिनून आयत 91)

अगर इन ख़्याली ख़ुदाओं का यह हाल है तो तसव्वुर कीजिए कि उन इन्सानों का क्या हाल होगा जो इस क़दर ज़ालिम और बेइन्साफ़ वाक़े हुए हैं।

इस तरह हमारे सामने सिर्फ़ दो सूरतें बाक़ी रह जाती हैं जिन पर बहस करने से पहले हम क़ारेईन के सामने एक सवाल रखते हैं। अपनी सलाहियतों के लिहाज़ से ख़ानदान की सरबराही के लिए औरत और मर्द में से कौन ज़्यादा मौज़ूँ है? क्या अक़ली सलाहियतों से मुसल्लह मर्द, उसकी ज़िम्मेदारियों से बेहतर तौर पर ओहदा बरआ हो सकता है या वह औरत जिसका इम्तियाज़ी वस्फ़ ही उसकी जज़्बातियत है। जूँही हम इस मसले पर ग़ौर करते हैं कि अपनी ज़ेहनी सलाहियतों और मज़बूत जिस्म की बदौलत मर्द इस क़ाबिल है कि ख़ानदान का हाकिम

बने या औरत जो अपनी फ़ितरत के लिहाज़ से सख़्त जज़्बाती और इन्फ़िआलपज़ीर वाक़े हुई है और इक़दाम की मर्दाना सिफ़ात से आरी है तो मसला ख़ुद बख़ुद तय हो जाता है। ख़ुद औरत भी किसी ऐसे मर्द को पसंद नहीं करती जो कमज़ोर हो और वह उसको बआसानी दबा ले। ऐसे मर्द से वह नफ़रत करती है और कभी उस पर एतमाद नहीं करती। औरत का यह तर्ज़े अमल उस ज़ेहनी रवय्ये के बचे-कुचे असरात का नतीजा हो सकता है जो गुज़िश्ता कई सौ साल की तरबियत और वरासत के तौर पर उसको मिला है। मगर बहरहाल यह वाक़िआ है कि औरत आज भी उसी मर्द में कशिश पाती है जो जिस्मानी लिहाज़ से तन्दरुस्त, तवाना और मज़बूत हो। यह हक़ीक़त अमरीकी ख़वातीन की ज़िन्दगियों में पूरी तरह जलवागर मिलती है। अमरीकी औरत को मर्द के साथ बराबर के हुक़ूक़ हासिल हैं और उसकी आज़ाद हैसियत को भी वहाँ तस्लीम किया जा चुका है मगर इसके बावजूद मर्द से मग़लूब होकर उसे ख़ुशी होती है। वह ऐसे मर्द से मुहब्बत करती है और हर तरह से उसका दिल जीतने की कोशिश करती है, वह मर्द के मज़बूत जिस्म और कुशादा सीने को देखकर मुतास्सिर होती है और जब जिस्मानी क़ुव्वत के मामले में उसे अपने से कहीं ज़्यादा मज़बूत और क़वी पाती है तो अपने आपको उसके हवाले कर देती है।

औरत को ख़ानदान की सरदारी का शौक़ सिर्फ़ उसी वक़्त तक रह सकता है जब तक कि औलाद नहीं हो जाती और उसको उसकी तालीम या तरबियत की कोई फ़िक्र दामनगीर नहीं होती, बच्चों की मौजूदगी में इन इज़ाफ़ी फ़राइज़ के लिए उसके पास वक़्त ही नहीं बचता क्योंकि माँ की हैसियत से उस पर जो फ़राइज़ आइद होते हैं वह कुछ कम मुश्किल और दिक़्क़त तलब नहीं होते।

इसका यह मतलब बहरहाल नहीं है कि घर में औरत मर्द की

ग़ुलाम और वह उसका जाबिर आक़ा बनकर रहे क्योंकि घर की सरबराही चन्द ऐसे फ़राइज़ और ज़िम्मेदारी का नाम है जिन्हें सिर्फ़ उसी सूरत में पूरा किया जा सकता है जबकि ख़ाविन्द और बीवी के दर्मियान मुहब्बत और तआवुन की फ़िज़ा क़ायम हो। घरेलू ज़िन्दगी की कामयाबी के लिए बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम और मुस्तक़िल हमदर्दी नागुज़ीर ज़रूरियात हैं। इस्लाम बाहमी कशमकश और मुसाबिक़त के बजाय मर्द और औरत के दर्मियान मुहब्बत, इफ़हाम व तफ़हीम और मुस्तक़िल हमदर्दी को आयली ज़िन्दगी की असास बनाना चाहता है। क़ुरआने हकीम में इरशाद है – ''और इन औरतों के साथ ख़ूबी के साथ गुज़रान करो।''(सूरह निसा, आयत : 19)

और पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है –

''तुम में सबसे अच्छा वह है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है।''(तिरमिज़ी)

गोया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी के अख़लाक़ को मापने के लिए जो पैमाना मुक़र्रर किया है वह अपनी बीवी के साथ उसका सुलूक है और वाक़िआ यह है कि यह बहुत ही सही पैमाना है क्योंकि कोई आदमी उस वक़्त तक अपनी बीवी से बदसुलूकी नहीं कर सकता जब तक कि वह रूहानी तौर पर मरीज़ न हो और उसमें नेकी की कोई हिस ही बाक़ी न रही हो या वह किसी ज़ेहनी उलझन का शिकार न हो। (शुब्हात हौलल इस्लाम, तर्जुमा इस्लाम और जदीद ज़ेहन के शुब्हात, स. 196-199)

मर्द की सरबराही में औरत घरेलू काम, बच्चों की परवरिश व निगहदाश्त और तालीम व तरबियत जैसे उमूर को अन्जाम दे। घर से बाहर के काम मसलन रोज़ी कमाने और ज़रूरियाते ज़िन्दगी फ़राहम करने की ज़िम्मेदारी मर्द पर है इसलिए औरत को बिला ज़रूरत अपने

शौहर की मर्ज़ी के बग़ैर घर से बाहर क़दम नहीं निकालना चाहिए। हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया –

''जब औरत अपने शौहर की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ घर से बाहर निकलती है तो आसामन का हर फ़रिश्ता उस पर लानत भेजता है। इन्सान और जिन्न के सिवा हर वह चीज़ जिस पर से वह गुज़रती है उस वक़्त तक फटकार भेजती है जब तक कि वह वापस न आ जाये।'' (अत्तरग़ीब वत्तरहीब, जिल्द 3, स. 59)

अगर सरबराह नेक काम का हुक्म दे तो ख़ानदान के अफ़राद को उसकी इताअत करनी चाहिए, वरना उसकी इताअत किसी पर लाज़िम नहीं है क्योंकि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया – ''उस शख़्स की फ़रमाँबरदारी नहीं की जायेगी जो अल्लाह की फ़रमाँबरदारी न करे।''

''अल्लाह की नाफ़रमानी में इताअत वाजिब नहीं, फ़रमाँबरदारी सिर्फ़ नेक काम में है।''(मुसनद अहमद बिन हम्बल, जिल्द 1, स. 94)

''अल्लाह की नाफ़रमानी में मख़लूक़ की इताअत वाजिब नहीं।'' (ऐज़न स. 131)

जब मर्द को एक गुना औरत पर फ़ज़ीलत हासिल है तो औरत को चाहिए कि वह अपने शौहर की फ़रमाँबरदारी करते हुए घर में सुकून व इस्तेहकाम क़ायम रखे और नेक काम में उसकी मुआवनत करे, यह नेक औरतों की अलामत है।

इसी तरह औलाद को भी अपने वालिदैन के हुक्म को बजा लाने की ताकीद की गई है – ''और तेरे रब ने हुक्म कर दिया है कि बजुज़ उसके किसी और की इबादत मत करो ओर तुम अपने माँ-बाप के साथ हुस्ने सुलूक किया करो, अगर तुम्हारे पास उनमें से कोई एक या दोनों के दोनों बुढ़ापे को पहुँच जायें तो उनको कभी (हाँ से) हूँ भी

मत करना और न उनको झिड़कना और उनसे ख़ूब अदब से बात करना।'' (सूरह बनी इस्राईल आयत 23)

ज़ौजैन की आपसी मुहब्बत व हमदर्दी और फ़रमाँ बरदारी व मुआवनत की वजह से घर का सुकून व इस्तेहकाम क़ायम है, अगर कोई इस सुकून को दरहम बरहम करे तो उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : ''जिसने ख़ादिम को उसके आक़ा के ख़िलाफ़ उकसाया वह हम में से नहीं, जिसने किसी औरत को उसके शौहर के ख़िलाफ़ बदगुमानी पैदा कर दी उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं।'' (मुसनद अहमद बिन हंबल, जिल्द 2, स. 397)

एक दूसरी रिवायत में है –

''हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया औरत अपनी किसी (दीनी) बहन के बारे में यह न कहे कि इसको तलाक़ दे दो, उस औरत को तलाक़ दिलवाने का मक़सद यह हो कि वह उसके प्याले को ख़ाली कर दे यानी उसको तलाक़ दिलवाकर उसके सारे हुक़ूक़ ख़ुद समेट ले और उसके ख़ाविन्द से ख़ुद निकाह कर ले क्योंकि उसके लिए वही है जो उसके मुक़द्दर में लिखा जा चुका है।'' (बुख़ारी जिल्द 4, स. 144)

सरबराहे ख़ानदान का अहम तरीन फ़र्ज़ :–

सरबराहे ख़ानदान का अहम तरीन फ़र्ज़ यह है कि वह अपने अहलो अयाल की दीनी व दुनियावी फ़लाह व कामयाबी के लिए हर मुम्किन कोशिश करे। कामिल तवज्जो, दिलसोज़ी व लगन और मुहब्बत व शफ़क़त के साथ उनकी इस्लाह व तरबियत करे। कभी नर्मी से तो

कभी सख़्ती से इस्लाह व तरबियत के अमल को जारी रखे और इस बात की हर वक़्त फ़िक्र करे कि उससे वाबस्ता तमाम अफ़राद आख़िरत में कामयाब हो जायें और अज़ाबे इलाही से महफ़ूज़ हो जायें।

अल्लाह तआला का इरशाद है :- ''ऐ ईमान वालो! तुम अपने को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं जिस पर तुन्दख़ू (और) मज़बूत फ़रिश्ते (मुतअय्यन) हैं। जो ख़ुदा की नाफ़रमानी नहीं करते किसी बात में जो उनको हुक्म दिया जाता है और जो कुछ उनको हुक्म दिया जाता है उसको फ़ौरन बजा लाते हैं।''(सूरह तहरीम, आयत 6)

सरबराहे ख़ानदान का अपने मातहत की जाइज़ हुदूद में दुनियावी तरक़्क़ी व कामयाबी के लिए फ़िक्रो कोशिश करना जाइज़ है। वह उनकी हमा जिहत तरक़्क़ी के लिए अपनी पूरी सलाहियत व ताक़त ख़र्च करे और उनके खाने पीने, लिबास और रिहाइश का बेहतरीन नज़्म करे और उनकी जुमला ज़रूरियात मुहय्या करे।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया - ''आदमी के गुनहगार होने के लिए काफ़ी है कि वह उन लोगों के हुक़ूक़ को ज़ाए कर दे जिनकी रोज़ी उसके ज़िम्मे है।''(अबू दाऊद जिल्द 2, स. 136, हदीस नं० 692)

इस्लामी ख़ानदान में तअद्दुदे इज़्दिवाज

इस्लाम ने मर्द को इजाज़त दी है कि वह बैक वक़्त चार औरतों को निकाह में रखे। अगर मर्द दूसरी, तीसरी और चौथी शादी कर ले तो औरतों को आपस में मुहब्बत व ताल्लुक़ और कुशादा क़ल्बी के साथ रहना चाहिए।

हम पर यह एतराज़ है कि उस ख़ानदान में सुकूनो इत्मीनान कैसे बाक़ी रह सकता है जिसमें तअद्दुदे इज़्दिवाज की इजाज़त है। क्योंकि सौकनों का आपसी हसद, कीना और ग़ीबत व बदगुमानी तो ख़ानदान के लिए सम्मे क़ातिल है। यह एतराज़ बेबुनियाद है इसलिए इस्लाम ने तअद्दुदे इज़्दिवाज की इजाज़त कई अहम मसलहतों की बुनियाद पर दी है। यहाँ उन हिकमतों और मसलहतों के बयान करने का मौक़ा नहीं अलबत्ता उनमें से चन्द को ज़िक्र किया जा रहा है।

1. इस्लाम सारे इन्सानों के लिए आया है, लिहाज़ा मुसलमानों की तादाद जितनी ज़्यादा होगी, उसी क़दर क़ाइद, दाई और माहिरे इल्म व फ़न की कसरत होगी, उसी क़दर पैग़ामे रिसालत की तबलीग़ में आसानी होगी।
2. बेवाओं और यतीम बच्चों की किफ़ालत और उनकी इफ़्फ़त व अस्मत की हिफ़ाज़त का बेहतरीन रास्ता तअद्दुदे इज़्दिवाज है।
3. बाज़ ख़ित्तों में औरतों की तादाद ज़्यादा होती है। और मर्दों की शरह पैदाइश कम होती है, ऐसे इलाक़ों के बाशिन्दों के लिए इस्लाम में इसका बेहतरीन हल मौजूद है।
4. बीवी के फ़रमाँबरदार होने के बावजूद उस पर ऐसे अय्याम गुज़रते हैं जिनमें वह वज़ीफ़ा-ए-ज़ौजियत अदा करने से क़ासिर होती है, मसलन बीमारी, हैज़ और निफ़ास। इस मुद्दत

में ऐसे मर्दों के ज़िना में मुब्तिला हो जाने का शदीद ख़तरा रहता है जो जिन्सी ख़्वाहिश पर कन्ट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऐसी हालत में दो ही रास्ते रह जाते हैं या तो दूसरी शादी की इजाज़त दी जाए या उसको ज़िना की खुली छूट दी जाये कि वह दूसरों की बीवियों के साथ मुँह काला करता फिरे। इस्लाम ने ज़िना को हराम और दूसरी शादी को हलाल क़रार दिया। भला बताइए यह इन्सानियत के साथ इन्साफ़ है या ज़ुल्म?

5. बीवी बांझ है। सारी तदाबीर के बावजूद औलाद नहीं हो रही है। शौहर की तमन्ना व आरज़ू है कि औलाद उसके दिल का सुकून, आँखों की ठण्डक और बुढ़ापे का सहारा हो या वह ऐसी बीमारी में मुब्तिला है जिससे शिफ़ा की उम्मीद मादूम हो चुकी है, घर का निज़ाम दरहम बरहम है। ऐसी हालत में मर्द को दूसरी शादी की इजाज़त न देना ज़ुल्म है और यह ख़तरा भी है कि वह बीवी को मुख़्तलिफ़ बहानों से हलाक कर दे या तलाक़ देकर जुदा कर दे। इन हालात में इस्लाम ने पहली बीवी के साथ हुस्ने सुलूक और प्यार का मामला करते हुए दूसरी शादी करने की इजाज़त दी है, शौहर को चाहिए कि वह हर एक के हुक़ूक़ अदा करता रहे और मसावात व अद्ल का दामन न छोड़े।

6. बाज़ मर्द को एक औरत से जिन्सी ख़्वाहिश पूरी नहीं होती, उसके अन्दर जिन्सी प्यास और तिश्नगी बाक़ी रहती है। अगर उसको दूसरी शादी की इजाज़त न दी जाये तो गुनाह में मुलव्विस हो जाने का अन्देशा व ख़तरा है।

7. नस्ले इन्सानी की अफ़ज़ाइश के लिए ज़रूरी है कि चार शादियों की इजाज़त दी जाए। हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने

फ़रमाया ''तुम ज़्यादा बच्चे जनने वाली और ज़्यादा मुहब्बत करने वाली औरत से शादी करो ताकि मैं तुम्हारी वजह से और उम्मतों पर फ़ख़्र करूँ।''

इमाम अबू ज़ोहरा अपनी किताब में तअद्दुदे अज़्वाज की हिकमत व मसलिहत को बयान करते हुए लिखते हैं –

''..... अगर रिश्ता-ए-इज़्दिवाज की इस बाज़ाब्ता सूरत को ममनू क़रार दे दिया जाए तो बेज़ाब्ता शादियों की भरमार हो जायेगी और नतीजा यह होगा कि औरतों और बच्चों दोनों के हुक़ूक़ ज़ाए होंगे इसलिए कि बसा औक़ात मर्दों की तरफ़ से पेशकश न होने की वजह से औरत ख़ुद शादीशुदा मर्द से रिश्ता-ए-इज़्दिवाज क़ायम करने के लिए आमादा हो जाती है। अब अगर उसको शादी की इजाज़त न मिले तो या तो वह ग़लत रास्ते पर जा पड़ेगी, वरना उसकी निस्वानियत मुर्दा पड़ जायेगी और आसाब में इख़्तिलाल रूनुमा हो जायेगा। इल्ला यह कि वह ग़ैर मामूली इरादे की मालिक हो (और यह बहुत शाज़ो नादिर है) यह दोनों ही सूरतें औरत के लिए शदीद नुक़सानदेह हैं। हर शख़्स जानता है कि जिन मुल्कों में तअद्दुदे इज़्दिवाज ममनू है वहाँ दोस्त बनाने और आज़ाद शहवतरानी की बीमारी बकसरत फैली हुई है। औरत के लिए बदरजहा बेहतर है कि वह एक शख़्स की बीवी हो, बजाय इसके कि वह बेशुमार लोगों की दोस्त हो।''

इस मौक़े पर हम जोज़फ़ लोबोन के अलफ़ाज़ नक़ल करना चाहेंगे, वह कहता है –

''तअद्दुदे इज़्दिवाज का उसूल सिर्फ़ इस्लाम के साथ मख़सूस नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले अरबों, ईरानियों, यहूदियों और इनके अलावा दूसरी मश्रिक़ी अक़वाम में यह चीज़ राइज थी। पस जिन क़ौमों ने इस्लाम क़ुबूल किया, उनके लिए यह कोई नई

चीज़ न थी। तअद्दुदे इज़्दिवाज के उसूल को ममनू क़रार देना जो अहले मशरिक़ की आबो हवा की पैदावार है और जो उनके रगो पै में सरायत किये हुए है और हम नहीं समझते कि कोई भी ज़िन्दा मज़हब इसकी जुरअत कर सकता है। ख़ुद मग़रिब में जहाँ की आबो हवा सर्द है और जिसकी वजह से तबाए में हैजानअंगेज़ी बहुत कम है, वहाँ भी एक बीवी पर इक्तिफ़ा करने का उसूल सिर्फ़ क़ानून की किताबों में पाया जाता है इसलिए कि इन्सानी तबाए इसको क़ुबूल करने के लिए आमादा नहीं हैं। शाज़ो नादिर ही इस पर कहीं अमल किया जाता है। फिर कोई वजह नहीं कि अहले मशरिक़ के यहाँ पाया जाने वाला क़ानूनी तअद्दुदे इज़्दिवाज का उसूल अहले यूरोप के यहाँ पाए जाने वाले ख़ुफ़िया तअद्दुदे इज़्दिवाज के उसूल से फ़रोतर हो बल्कि हमारे ख़्याल में तो वह इससे बदरजहा बेहतर है। शायद यही वजह है कि मशरिक़ के लोग जो हमारे मुल्कों के दौरों पर आते हैं जब उनके सामने (तअद्दुदे इज़्दिवाज पर) एहतिजाज की बात आती है तो उस पर वह हैरत व इस्तेजाब का इज़हार करते हैं और इसको बिल्कुल बिइल्तिफ़ाती से टाल देते हैं।''

''..... चन्द साल पहले बर्तानिया के बड़े पादरी ने अलल एलान कह दिया कि मुआशरे में इन्हितात की लहर जिस तेज़ी से बढ़ती जा रही है, उसको रोकने का इसके सिवा कोई ज़रिआ नहीं कि बर्तानवी क़ानून में तअद्दुदे इज़्दिवाज को ज़ाइज़ क़रार दिया जाए। उसके मुतालबे की बुनियाद यह थी कि इंजील में एक आयत भी ऐसी नहीं जिसमें तअद्दुदे इज़्दिवाज को ममनू क़रार दिया गया हो। यह चीज़ महज़ कलीसा की ख़ुदसाख़्ता रिवायत है। इंजील के बयानात नीज़ दीगर आसमानी किताबों में इसका सुराग़ नहीं मिलता।'' (इन्सानी मुआशरा इस्लाम के साये में, स. 122-124)

इसी सिलसिले में एक फ़ाज़िला ख़ातून मिसेज़ ऐनी बेसेंट की

तहरीर पेश करना मुनासिब मालूम होता है, वह लिखती हैं –

"आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो मज़हबे इस्लाम पर इसलिए तनक़ीद करते हैं कि यह महदूद तअद्दुदे इज़्दिवाज को जाइज़ क़रार देता है लेकिन आपको मेरी वह तनक़ीद नहीं बताई जाती जो मैंने लंदन के एक हॉल में तक़रीर करते हुए की थी, मैंने सामिईन से कहा था कि यक ज़ौजगी के साथ वसी पैमाने पर ज़नान बाज़ारी की मौजूदगी निफ़ाक़ है और महदूद तअद्दुदे इज़्दिवाज से ज़्यादा ज़िल्लत आमेज़ है। क़ुदरती तौर पर इस क़िस्म के बयानात का लोग बुरा मानते हैं लेकिन इसे बतलाना ज़रूरी है क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि औरतों के मुताल्लिक़ इस्लाम के क़वानीन अभी हालिया ज़माने तक इंगलैण्ड में अपनाए जा रहे थे, यह सबसे मुंसिफ़ाना क़ानून था जो दुनिया में पाया जाता था। जायदाद, वरासत के हुक़ूक़ और तलाक़ के मामलात में यह मग़रिब से कहीं आगे था और औरतों के हुक़ूक़ का मुहाफ़िज़ था। यक ज़ौजगी और तअद्दुदे अज़्वाज के अलफ़ाज़ ने लोगों को मसहूर कर दिया है और उन्हें मग़रिब में औरत की इस ज़िल्लत पर नज़र डालना चाहिए जिसे उसके अव्वलीन मुहाफ़िज़ सड़कों पर सिर्फ़ इसलिए फेंक देते हैं कि इससे उनका दिल भर जाता है और फिर उनकी कोई मदद नहीं करता।" (तहज़ीबो तमद्दुन पर इस्लाम के असरात व एहसासात, स. 74-75)

एक मुसलमान मर्द नफ़क़ा अदा करने और अदल करने पर क़ादिर हो, उसको चार औरतों से निकाह करने की इजाज़त है लेकिन अद्ल न करने का अन्देशा हो तो एक ही पर इक्तिफ़ा करना चाहिए। एक मर्द की मुतअद्दद बीवियों के एक साथ रहने की वजह से कभी शौहर और उसके घर वालों को उलझनों का सामना करना पड़ता है। यह भी हक़ीक़त है कि इस्लामी तरबियत और पाकीज़ा माहौल न होने की वजह से कई मसाइल और मुश्किलात सामने आ रहे हैं लेकिन कई

अहम मसलिहतों और मनाफ़े की ख़ातिर इस्लाम ने तअद्दुदे इज़्दिवाज की इजाज़त दी है और इस सिलसिले में एक ऐसा ज़ाब्ता बनाया है जिससे शौहर, मुतअद्दद बीवियों और घर के दीगर लोगों को मुहब्बत व उलफ़त और सुकून व इत्मीनान की ज़िन्दगी नसीब होती है। सभी के लिए ज़रूरी है कि इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए उख़रवी कामयाबी व नजात पर यक़ीन रखें और यह बात ज़ेहन में होनी चाहिए कि सारे जहाँ के मालिक व ख़ालिक़ के सामने हमें अपने किये का हिसाब देना होगा।

शौहर को चाहिए कि वह अपनी तमाम बीवियों के साथ अदलो इन्साफ़ करे और उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करे और अपने आमाल व किरदार से सबको ख़ुश रखने की सई करे। जिसने अद्ल नहीं किया वह क़यामत के दिन इस हाल में होगा कि उसका एक पहलू झुका हुआ होगा। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया – ''जिसकी दो बीवियाँ हों और उसने उन दोनों के माबैन इन्साफ़ व मसावात नहीं किया तो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसका एक पहलू झुका हुआ होगा।'' (तिरमिज़ी जिल्द 3, स. 447)

अदल व इंसाफ़ एक ऐसी गिराँमायह दौलत है जिसके समरात व बरकात दोनों जहाँ में हासिल होंगे। अदल व इंसाफ़ करने वाले अल्लाह की दायीं जानिब नूर के मिम्बरों पर होंगे। सही मुस्लिम में है – ''बेशक इंसाफ़ करने वाले अल्लाह की दायीं जानिब नूर के मिम्बरों पर होंगे और अल्लाह के दोनों हाथ यमीन (दायाँ) हैं। यह वही लोग होंगे जो इंसाफ़ के साथ फ़ैसला करते हैं और अपने अहलो अयाल और मातहतों के साथ अदल व इंसाफ़ का मामला करते हैं।'' (सही मुस्लिम, जिल्द 3, स. 1458, हदीस 1827)

तमाम बीवियों को अपने शौहर के हुक्मों की फ़रमाँ बरदारी

करनी चाहिए और अपने अख़लाक़ व किरदार से शौहर को ख़ुश व मुत्मइन रखना चाहिए। अगर किसी औरत का इस हाल में इन्तिक़ाल हो गया कि उसका शौहर उससे राज़ी था तो वह जन्नत में जायेगी जैसा कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : ''जब किसी औरत का इन्तिक़ाल हो जाए और उसका शौहर उससे राज़ी हो तो वह जन्नत में दाख़िल होगी।'' (इब्ने माजा जिल्द 1, स. 595)

तमाम सौकनों को आपस में मुहब्बतो उलफ़त क़ायम रखना चाहिए और बदगुमानी, ग़ीबत, हसद और कीना से बचना चाहिए। रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया–

''तुम बदगुमानी से बचो, बेशक बदगुमानी सबसे झूठी बात है और टोह में न पड़ो और एक दूसरे से बेजा बढ़ने की हवस न करो और आपस में हसद न करो और बाहम बुग़ज़ व कीना न रखो और एक दूसरे के पीछे न पड़ो और अल्लाह के बन्दो भाई–भाई हो जाओ।'' (अल अदबुल मुफ़रद लिलबुख़ारी स. 148)

वही मुसलमान औरत मुसलमान कहलाने की मुस्तहिक़ है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान मर्द और औरत महफ़ूज़ हों।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया– ''मुसलमान वह है जिसकी ज़बान और हाथ के शर से दूसरे मुसलमान महफ़ूज़ रहें और हक़ीक़ी मुहाजिर वह है जो अल्लाह की मना की हुई चीज़ों को तर्क कर दे।''(बुख़ारी जिल्द 2, स. 13)

अगर कभी आपस में बात बन्द हो जाए तो तीन दिन के अन्दर अपने इख़्तिलाफ़ को दूर करके बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया – ''किसी मुसलमान के

लिए जाइज़ नहीं है कि अपने भाई को तीन दिन से ज़्यादा छोड़े, जिसने तीन दिन से ज़्यादा अपने भाई को छोड़ दिया और मर गया तो दोज़ख़ में दाख़िल होगा।'' (अबू दाऊद जिल्द 4, स. 279)

भला बतलाइये इन हिदायात पर अमल पैरा हो जाने के बाद क्या ख़ानदान में नफ़रत व अदावत, हसद, कीना, ग़ीबत और लड़ाई झगड़े की तवक़्क़ो की जा सकती है।

तलाक़ :

ज़ौजैन की आपसी मुहब्बत से दोनों की ज़िन्दगी ख़ुशगवार व पायदार हो जाती है। दोनों के इश्तिराक व तआवुन से एक ख़ानदान वजूद में आता है उसमें वालिदैन को एहतराम व इज़्ज़त का मुक़ाम हासिल होता है और औलाद की सही तालीम व तरबियत होती है लेकिन किसी वजह से दोनों में ना इत्तिफ़ाक़ी हो जाये और एक साथ ज़िन्दगी गुज़ारना नामुमकिन हो जाए तो दोनों का जुदा हो जाना ही बेहतर है। लेकिन दोनों को माज़ी की ख़ुशगवार यादों और मुस्तक़बिल पर ग़ौरो फ़िक्र और औलाद के मुस्तक़बिल को मद्दे नज़र रखते हुए फ़ैसला करना चाहिए। इस्लाम में तलाक़ की इजाज़त है लेकिन तलाक़ से पहले दोनों को चन्द उमूर व हिदायात पर अमल करने का पाबन्द बनाया गया है ताकि एक बसा बसाया घर उजड़ न जाये। अल्लाह ने शौहर को बीवी के साथ हुस्ने सुलूक करने और उसकी ख़ूबियों पर निगाह रखने का हुक्म फ़रमाया –

''उनके साथ भले तरीक़े से रहो, अगर तुम्हें वह नापसंद हों तो अजब नहीं कि तुम एक चीज़ को नापसंद करो और अल्लाह ने उसमें बहुत कुछ भलाई रख दी हो।'' (सूरह निसा, आयत :19)

बीवी अपने शौहर की ख़िदमत करे और उसके हुक्म को बजा

लाये और अपने क़ौलो अमल से उसको नाराज़ न करे, एक मौक़े पर हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया – ''मोमिन के लिए तक़वा के बाद नेक औरत से बेहतर कोई चीज़ नहीं कि शौहर जो कहे वह माने, शौहर जब उसकी तरफ़ देखे तो उसको ख़ुश कर दे और शौहर उसको क़सम लेकर कुछ कहे तो उसकी क़सम पूरी कर दे और अगर शौहर घर पर न हो तो अपने नफ़्स और शौहर के माल की पूरी हिफ़ाज़त करे।'' (इब्ने माजा, जिल्द 1, स. 596)

इस्लाम ने उन तमाम चीज़ों को जाइज़ क़रार दिया जिनसे ज़ौजैन की ज़िन्दगी ख़ुशगवार हो जाये और उन तमाम रास्तों को नाजाइज़ क़रार दिया जिनसे दोनों की ज़िन्दगी में तलख़ी व बदमज़गी पैदा हो जाये और मामला तलाक़ तक जा पहुँचे। अगरचे मजबूरी की हालत में तलाक़ देना जाइज़ है लेकिन अल्लाह के नज़दीक तलाक़ हलाल चीज़ों में सबसे नापसंदीदा चीज़ है। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया – ''अल्लाह के नज़दीक हलाल चीज़ों में सबसे नापसंदीदा चीज़ तलाक़ है।'' (अबू दाऊद जिल्द 2, स. 261)

दूसरी जानिब औरत को भी बिला वजह तलाक़ का मुतालबा करने से मना फ़रमा दिया। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया –

''जिस किसी औरत ने अपने शौहर से बिला वजह तलाक़ का मुतालबा किया तो उस (औरत) पर जन्नत की ख़ुशबू हराम है।'' (तिरमिज़ी जिल्द 3, स. 493)

इसी तरह किसी मर्द या औरत के लिए जाइज़ नहीं है कि वह ज़ौजैन की ख़ुशगवार ज़िन्दगी में तलख़ी व बदमज़गी पैदा कर दे। उनके दर्मियान जुदाई की कोई तदबीर करे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बदगुमानी और नफ़रत व अदावत डाल दे। हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु

अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : ''वह हम में से नहीं जिसने किसी औरत को उसके शौहर के ख़िलाफ़ या किसी ग़ुलाम को उसके आक़ा के ख़िलाफ़ उकसाया।'' (अबू दाऊद, जिल्द 2, स. 261)

एक दूसरी रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''कोई औरत अपनी बहन की तलाक़ तलब न करे ताकि वह उन नेमतों और ख़ुशहालियों को हासिल कर ले जो उसकी बहन को हासिल है।'' (सुनन तिरमिज़ी जिल्द 3, स. 495)

मियाँ-बीवी दोनों अपनी इस्लाह की कोशिश करें और तलाक़ की नौबत न आने दें। रिश्तेदारों को भी चाहिए कि दोनों में सुलह व सफ़ाई की हत्तल मक़दूर सई करें। जब सारी कोशिशें नाकाम हो जायें तब शौहर को तलाक़ का इरादा करना चाहिए।

सूरह निसा में है - ''और जिन औरतों से तुम्हें सरकशी का अन्देशा हो, उन्हें समझाओ। ख़्वाबगाहों में उनसे इलाहिदा रहो और मारो, फिर अगर वह तुम्हारी फ़रमाँबरदार हो जायें तो ख़्वाह मख़्वाह उन पर दस्त दराज़ी के लिए बहाने तलाश न करो। यक़ीन रखो कि ऊपर अल्लाह मौजूद है जो बड़ा और बालातर है, अगर तुम लोगों को कहीं मियाँ-बीवी के ताल्लुक़ात बिगड़ जाने का अन्देशा हो तो एक हकम मर्द के रिश्तेदारों में से और एक औरत के रिश्तेदारों में से मुक़र्रर कर दो, वह दोनों इस्लाह करना चाहेंगे तो अल्लाह उनके दरमियान मुवाफ़िक़त की सूरत निकाल देगा। अल्लाह सब कुछ जानता है और बाख़बर है।'' (सूरह निसा आयत : 34-35)

सारी तदबीर नाकाम हो जाने के बाद जुदाई से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। इसलिए कि ज़ौजैन में आपसी मुहब्बत व उलफ़त, ईसार व क़ुर्बानी और मदद व तआवुन बाक़ी नहीं रहा तो अब उनका जुदा हो

जाना ही ख़ानदान और मुआशरे के लिए नाफ़े व सूदमन्द है। यही वजह है कि इस्लाम ने कई हिकमत व मसलिहत के तहत तलाक़ की इजाज़त दी है। तलाक़ की इजाज़त न देना फ़ितरत के ख़िलाफ़ है। जिन मज़ाहिब में तलाक़ की इजाज़त नहीं थी उनके पैरूकार मुख़्तलिफ़ दुश्वारियों में गिरफ़्तार थे। आख़िर उनके पैरूकार अपने मुल्की क़वानीन में तलाक़ की गुंजाइश पैदा करने पर मजबूर हुए। लेकिन वह इस सिलसिले में इफ़रात व तफ़रीत के शिकार हो गये जिसके नतीजे में निकाह का रिश्ता ग़ैर मुस्तहकम हो गया और तलाक़ की ऐसी कसरत हुई कि मामूली मामूली बातें भी तलाक़ का ज़रिआ बन गईं। इस इन्हितात के दौर में भी मुस्लिम मुआशरे में तलाक़ का फ़ीसद मग़रिबी मुआशरे और उनके नक़्शे क़दम पर क़ायम मुआशरे के मुक़ाबले में बहुत कम है।

इन हालात में ज़रूरी है कि दुनिया इस्लाम के ज़ाब्ता-ए-तलाक़ का आज़ादाना मुताला करे और अपने मुल्की क़वानीन में इस्लाह करे और अपने ख़ानदान और मुआशरे में ऐसा फ़ितरी निज़ाम क़ायम करे जो इफ़रात व तफ़रीत से ख़ाली हो।

बीवी को मुअल्लक़ रखने की मुमानिअत :

ज़ौजैन के दरमियान मुहब्बत व उलफ़त और शफ़क़त व मुहब्बत के बजाय नफ़रत व अदावत पैदा हो जाये और दोनों की ज़िन्दगी नाख़ुशगवार और अज़ियतनाक हो जाए और दोनों को इस बात का यक़ीन हो जाये कि अब एक दूसरे के साथ रहने में हुदूदुल्लाह से तजावुज़ कर जायेंगे तो दोनों का अलाहिदा हो जाना ही बेहतर है। लेकिन दोनों अपने मुस्तक़बिल के बारे में ग़ौर व फ़िक्र कर लें और तलाक़ से पहले सुलह व सफ़ाई की सारी तदबीरों को बरूए कार लायें। जब सुलह व सफ़ाई की सारी तदबीरें नाकाम हो जायें तो आख़री

चारा-ए-कार के तौर पर शौहर को तलाक़ देना चाहिए लेकिन बैक वक़्त तीन तलाक़ देना ममनू है। इद्दत के दौरान हुस्ने सुलूक और ज़रूरियात की तकमील का ख़्याल रखे और इद्दत ख़त्म होने के बाद ख़ुश अख़लाक़ी के साथ जुदा कर दे या औरत जब ख़ुला की दरख़्वास्त करे तो इसके एवज़ उससे ऐसा मुतालबा न करे जिसकी अदायगी उसके लिए दुश्वार और तकलीफ़देह हो। जिस क़दर उसने महर अदा किया है उससे ज़्यादा न ले और उसके लिए जाइज़ नहीं है कि बीवी को मुख़्तलिफ़ तरीक़ों और बहानों से मुअल्लक़ रखे।

इरशादे ख़ुदावन्दी है - ''तलाक़ दो मर्तबा की है, फिर ख़्वाह रख लेना क़ायदे के मुवाफ़िक़ ख़्वाह छोड़ देना ख़ुश उनवानी के साथ और तुम्हारे लिए यह बात हलाल नहीं है कि (छोड़ने के वक़्त) कुछ भी लो (गो) उसमें से (सही) जो तुमने उनको (महर में) दिया था मगर यह कि मियाँ-बीवी दोनों को एहतमाल हो कि अल्लाह के ज़ाब्तों को क़ायम नहीं रख सकेंगे, सो अगर तुम लोगों को यह एहतमाल हो कि वह दोनों ज़वाबिते ख़ुदावन्दी को क़ायम न रख सकेंगे तो दोनों पर कोई गुनाह नहीं होगा उस (माल के लेने देने) में जिसको देकर औरत अपनी जान छुड़ा ले।'' (सूरह बक़रा : 229)

''और जब तुम ने औरतों को (रजई) तलाक़ दे दी, फिर वह अपनी इद्दत गुज़ारने के क़रीब पहुँच जायें तो या तो तुम उनको क़ायदे के मुवाफ़िक़ (रजअत करके) निकाह में रहने दो या क़ायदे के मुवाफ़िक़ उनको रिहाई दो और उनको तकलीफ़ पहुँचाने की ग़रज़ से मत रोको, इस इरादे से कि उन पर ज़ुल्म किया करोगे।'' (सूरह बक़रा : 231)

''और जब तुम लोगों ने अपनी बीवियों को तलाक़ दे दी फिर वह औरतें अपनी इद्दत भी पूरी कर चुकीं तो तुम उनको इस बात से न

रोको कि वह अपने शौहरों से निकाह कर लें, जबकि बाहम रज़ामन्द हो जायें क़ायदे के मुवाफ़िक़।'' (सूरह बक़रा : 232)

''फिर जब वह मुतल्लक़ा औरतें अपनी इद्दत गुज़ारने के क़रीब पहुँच जायें (तो तुमको दो इख़्तियार हैं या तो) उनको क़ायदे के मुवाफ़िक़ निकाह में रहने दो या क़ायदे के मुवाफ़िक़ उनको रिहाई दो और आपस में दो मोतबर शख़्सों को गवाह कर लो (ऐ गवाहों अगर गवाही की ज़रूरत पड़े तो) ठीक ठीक अल्लाह के वास्ते (बिला रू रिआयत) गवाही दो।'' (सूरह तलाक़ : 2)

इन आयाते क़ुरआनिया से यह बात रोज़े रौशन की तरह अयाँ हो गई कि बीवी को मुअल्लक़ रखना जाइज़ नहीं है। ज़माना-ए - जाहिलियत में तलाक़ की कोई हद मुतअय्यन नहीं थी सो तलाक़ के बाद भी ज़ालिम शौहर से रिहाई नसीब नहीं होती थी। शौहर जब चाहता तलाक़ दे देता और जब चाहता रुजू कर लेता। बेचारी औरत न उस शौहर की मुहब्बत पाती और न जुदा हो पाती कि दूसरे मर्द से शादी करके अपनी ज़िन्दगी खुशगवार बना सके लेकिन इस्लाम ने सिन्फ़े नाज़ुक पर एहसान करते हुए तलाक़ की आख़री हद मुतअय्यन कर दी ताकि औरत को अपने बारे में फ़ैसला करने का हक़ हासिल हो जाये। अगर कोई अपनी बीवी के साथ हुस्ने सुलूक नहीं करता और न उसको तलाक़ देकर जुदा करता है और न ख़ुला के लिए तैयार है तो ऐसी हालत में औरत को इस्लामी अदालत में रुजू करने का हक़ हासिल है।

बीवी के हुक़ूक़ :

शौहर पर बीवी का हक़ यह है कि वह उसके साथ हुसने सुलूक करे और उसके साथ बेहतर बर्ताव करते हुए उसकी तमाम जाइज़ ज़रूरियात पूरी करे। उसकी हौसला अफ़ज़ाई करे और मामूली

कोताहियों को नज़र अन्दाज़ करे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाता है – ''और उनके साथ भले तरीक़े से रहो, अगर वह तुम्हें नापसंद हों तो अजब नहीं कि तुम एक चीज़ को नापसंद करो और अल्लाह ने उसमें बहुत कुछ भलाई रख दी हो।'' (सूरह निसा : 19)

रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनीन में सबसे बेहतर उस शख़्स को क़रार दिया है जिसका मामला औरतों के साथ बेहतर हो।

''ईमान के एतबार से कामिल मोमिनीन वह हैं जिनके अख़लाक़ सबसे अच्छे हों और अख़लाक़ के एतबार से सबसे बेहतर वह हैं जो तुम में औरतों के लिए बेहतर हों।'' (तिरमिज़ी स. 162)

हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाजे मुतह्हरात के साथ नर्मी व शफ़क़त का मामला फ़रमाते थे, उनके कामों में हाथ बटाया करते थे, यहाँ तक कि उनकी दिलजोई की ख़ातिर मुसाबक़ा भी किया करते थे। एक ग़ज़वे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा शरीके सफ़र थीं, तमाम सहाबा को आगे बढ़ जाने का हुक्म दिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फ़रमाया, आओ दौड़ें, देखें कौन आगे निकल जाता है। यह दुबली पतली थीं आगे निकल गईं। कई साल बाद इसी क़िस्म का फिर एक और मौक़ा आया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि अब मैं भारी भरकम हो गई थी, अब की मर्तबा आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गये। फ़रमाया, आयशा यह उस दिन का जवाब है। (सुनन अबू दाऊद, बाबुस्सबक़)

एक मर्तबा हज़रत मुआविया बिन हैदा ने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया ''हम पर बीवी का क्या हक़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब ख़ुद खाए तो उसको खिलाए,

जब ख़ुद पहने तो उसको पहनाए, न उसके मुँह पर थप्पड़ मारे, न उसको बुरा भला कहे और न घर के अलावा उसकी सज़ा के लिए उसको इलाहिदा करे।''(इबने माजा जिल्द 1 स. 593)

औरत की फ़ितरत में कजी है, लिहाज़ा मर्द उसकी कजी के साथ लुत्फ़ अन्दोज़ हो और उसके साथ ख़ुशगवार ज़िन्दगी गुज़ारे। हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया – ''बिला शुब्हा औरत पस्ली से पैदा की गई है, तुम हरगिज़ उसको सीधा नहीं कर सकते, अगर तुम उससे फ़ायदा उठाना चाहते हो तो कजी के बावजूद फ़ायदा उठाओ। अगर तुमने उसको सीधा करने की कोशिश की तो तुम उसको तोड़ दोगे, उसका तोड़ना तलाक़ है।'' (मुस्लिम जिल्द 2, स. 1091)

मर्द को चाहिए कि उसकी ख़ूबियों पर निगाह रखे और मामूली कोताहियों और ग़लतियों को माफ़ करे और उसकी फ़ितरी कजी पर सब्र करते हुए उसके साथ अच्छी ज़िन्दगी गुज़ारे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया – ''कोई मोमिन किसी मोमिना से बुग़्ज़ न रखे अगर उसकी एक आदत नापसंद हो तो उसकी दूसरी आदत से राज़ी हो जाये।'' (मुस्लिम जिल्द 2, स. 1091, हदीस नं. 1469)

शौहर पर वाजिब है कि वह अपनी बीवी को उन तमाम चीज़ों से महफ़ूज़ रखे जिनसे उसकी जान और इज़्ज़त व आबरू को ख़तरा लाहिक़ हो। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया – ''तीन क़िस्म के लोग जन्नत में दाख़िल नहीं होंगे। वालिद का नाफ़रमान, दय्यूस और मर्दों की मुशाबहत करने वाली औरतें।'' (नसाई जिल्द 5, स. 80)

एक दूसरी रिवायत में है कि सहाब-ए किराम ने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दय्यूस का मतलब पूछा तो आपने फ़रमाया–

''ऐसा शख़्स जो इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन उसके घर वालों पर दाख़िल हुआ।'' (तबरानी)

मुबाशरत का हक़ :

शौहर अपनी बीवी से मुबाशरत करे और एक दूसरे को शैतान के मक्र व फ़रेब से बचाए। मुस्लिम की एक रिवायत के मुताबिक़ जिमाअ करना अज्र व सवाब का ज़रिआ है। एक मर्तबा रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''बीवी से जिमाअ करने में तुम्हारे लिये सवाब है। सहाबा-ए-किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह! हम में से अगर कोई अपनी शहवत को पूरा करता है, तो क्या इसके लिए अज्र है? फ़रमाया, तुम्हारा क्या ख़्याल है अगर वह अपनी शहवत को किसी हराम जगह पर पूरा करता तो उसको गुनाह होता, इसी तरह हलाल जगह में शहवत को पूरा करने में अज्र है।''

इमाम इब्ने हज़्म के नज़दीक शौहर पर बीवी से मुजामअत करना फ़र्ज़ है। कम अज़ कम हर तुहर में एक जिमाअ करना चाहिए, इसमें कोताही करने वाला गुनहगार होगा। उनकी दलील अल्लाह का यह कलाम है- ''फिर जब वह अच्छी तरह पाक हो जायें तो उनके पास आ जाओ जिस जगह से तुमको अल्लाह ने इजाज़त दी है।'' (सूरह बक़रा : 222)

इमाम शाफ़ई के नज़दीक शौहर पर मुजामअत वाजिब नहीं है। यह शौहर का हक़ है। चाहे इस्तेमाल करे या न करे। इमाम अहमद बिन हम्बल मुक़ीम के लिए चार महीने और मुसाफ़िर के लिए छः महीने में जिमाअ करने को लाज़िम क़रार देते हैं।

जम्हूर उलमा के नज़दीक शौहर पर जिमाअ करना वाजिब है। मजबूरी के बग़ैर उससे रूगर्दानी करना बाइसे गुनाह है। जबकि इस सिलसिले में उलमाए अहनाफ़ के दो तबक़े हैं। हज़रत मौलाना

अब्दुस्समद रहमानी साबिक़ नायब अमीरे शरीअत बिहार व उड़ीसा अपनी मशहूर किताब ''किताबुल फ़स्ख़ वत्तफ़रीक़'' में लिखते हैं-
''एक जमाअत के नज़दीक शौहर पर मज़ीद मुजामअत वाजिब तो है मगर यह दयानतन वाजिब है, क़ज़ाअन और क़ानून वाजिब नहीं है, यानी शौहर अगर मुजामअत छोड़ दे तो बीवी को न तो शौहर से मुजामअत के मुतालबे का हक़ है और न क़ाज़ी की अदालत में औरत को इसके मुताल्लिक़ दादख़्वाही का हक़ है और न क़ाज़ी को इसका हक़ है कि वह शौहर को इस पर मजबूर करे। दूसरी जमाअत के नज़दीक शौहर पर मज़ीद मुजामअत दयानतन वाजिब तो है ही क़ज़ाअन भी वाजिब है। हनफ़िया की इस दूसरी जमाअत की ताईद अहदे फ़ारूक़ी के उस वाक़िए से भी होती है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़िदमत में एक औरत आई और उसने अपने शौहर के अदमे अदाए हुक़ूक़े ज़ौजियत के मुताल्लिक़ इन अलफ़ाज़ में इस्तिग़ासा किया ''ऐ अमीरुल मोमिनीन! मेरा शौहर दिन को रोज़ा रखता है और रात भर ख़ुदा की इबादत करता है और मैं इसको बुरा समझती हूँ कि अपने शौहर की शिकायत करूँ।'' हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह सुनकर फ़रमाया ''तुम्हारा यह शौहर बड़ा अच्छा आदमी है'' औरत ने यह सुनकर फिर अपनी बात को दोहराया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर वही जवाब दिया और कुछ मज़ीद बात नहीं फ़रमाई। हज़रत काब बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़िदमत में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन! यह औरत अपने शौहर के अदमे अदाए हुक़ूक़े ज़ौजियत की शिकायत कर रही है, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया, जिस तरह तुमने उसके इशारे की बात को समझा है, तुम ही उन दोनों के दरमियान फ़ैसला कर दो। हज़रत काब ने उसके शौहर को बुला भेजा, जब वह आया तो

औरत से कहा, तुम क्या कहती हो? तो उस औरत ने यह शैर पढ़ा–

''ऐ अक़्लमन्द क़ाज़ी, मेरे रफ़ीक़े हयात (शौहर) को मेरे बिस्तर से उनकी मस्जिद ने ग़ाफ़िल कर दिया है, अब उनको हिदायत कीजिए, उनकी इबादत ने उनको मेरे साथ सोने से बेज़ार कर दिया है और वह उनको रात दिन किसी वक़्त सोने नहीं देती है इसलिए औरतों के हक़ में मैं उनको लाइक़े सताइश नहीं समझती हूँ।''

हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसके बाद उसके शौहर से कहा, तुम इसके जवाब में क्या कहते हो? तो उन्होंने भी अपना जवाब शैर में ही दिया–

''मुझको इबादत ने अपनी बीवी के बिस्तर और उसकी मच्छरदारी के अन्दर जाने से रोक दिया है और अब मैं ऐसा आदमी हूँ जिसको इन आयतों ने जो सूरह नमल और सबए तिवाल में नाज़िल हुई हैं मदहोश कर दिया है।''

इस जवाब के सुनने के बाद हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी अपना फ़ैसला शैर में ही सुनाया और उसको हुक्म दिया कि मुजामअत औरत का हक़ है, तुम उसको अदा किया करो और यह हीला व बहाना जिसको तुमने बयान किया है, छोड़ दो। फ़ैसले का शेर यह है– ''ऐ शख़्स लारैब, तेरी बीवी के लिए हक़ तुझ पर वाजिब है, चार शब में एक शब ज़रूर मिला करो, अगर अक़्लमन्द हो, अब उसको उसका हक़ दो और अपने हीले से बाज़ आओ।''

इस फ़ैसले को सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, यह फ़ैसला तुमने किस बुनियाद पर किया, तो हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, यह इसलिए कि अल्लाह ने आज़ाद मर्द के लिए चार बीवियों को मुबाह किया है, लिहाज़ा हर एक बीवी के हिस्से में एक दिन है और एक रात है और यह रात चौथी रात होगी। हज़रत काब

रज़ियल्लाहु अन्हु के इस जवाब को सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत ख़ुश हुए और उनको बसरे का क़ाज़ी बना दिया।''(किताबुल फ़स्ख़ वत्तफ़रीक़ स. 70)

नफ़क़ा

शरीअते इस्लामिया ने औरत को हर तरह की माली ज़िम्मे-दारियों से सुबकदोश रखा है और उसको किसी ज़रूरत की तकमील के लिए जोहद व सई और मशक़्क़त व परेशानी में मुब्तिला करने के बजाय राहत व इज़्ज़त और चैन व सुकून के ज़्यादा से ज़्यादा मवाक़े अता किये हैं। महर, नफ़क़ा, लिबास व पोशाक, दवा इलाज और दूसरी ज़रूरियात, वलीमा नीज़ बच्चों की किफ़ालत की सारी ज़िम्मेदारी मर्दों के सर रखी गई है।

नफ़क़े का वुजूब क़ुरआन, हदीस, क़यास और इजमा से साबित है। इसका वुजूब क़ुरआन से साबित है, अल्लाह तआला फ़रमाता है - ''और जिसका बच्चा है (यानी बाप) उसके ज़िम्मे है उन (माओं) का खाना और कपड़ा क़ायदे के मुताबिक़, किसी को हुक्म नहीं दिया जाता मगर उसके बर्दाश्त के मुताबिक़।'' और अल्लाह तआला का क़ौल मुतल्लक़ात के हक़ में ''वुसअत वाले को अपनी वुसअत के मुताबिक़ (बच्चे पर) ख़र्च करना चाहिए और जिसकी आमदनी कम हो उसको चाहिए कि अल्लाह ने जितना उसको दिया है उसमें से ख़र्च करे, अल्लाह तआला किसी शख़्स को उससे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता जितना उसको दिया है।'' और अल्लाह तआला का क़ौल मुतल्लक़ात के बारे में ''तुम उन (मुतल्लक़ा) औरतों को अपनी वुसअत के मुवाफ़िक़ रहने का मकान दो जहाँ तुम रहते हो'' जब इद्दत के दौरान मुतल्लक़ात को यह हक़ हासिल है तो बीवियाँ उसकी ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं।

हदीस से भी नफ़क़े का वुजूब साबित है, हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु

अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "औरतों के मुताल्लिक़ अल्लाह से डरो, वह तुम्हारी मुईन व मददगार हैं। बेशक तुमने उनको अल्लाह के हुक्म से अपनाया है और अल्लाह के हुक्म से उनकी शर्मगाहों को हलाल किया है। तुम्हारा हक़ उन पर यह है कि अपने ऊपर किसी को कुदरत न दे जिसको तुम नापसंद करते हो और तुम पर उनका खाना और लिबास भले तरीक़े से वाजिब है।"

"रिवायत किया गया है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा : शौहर पर बीवी का हक़ क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, वह उसको खिलाए जब वह खाए, वह उसको पहनाए जब वह पहने, उसको घर में तन्हा न छोड़े, उसको न मारे, न बुरा भला कहे।" बुख़ारी और मुस्लिम में है कि "अबू सुफ़ियान की बीवी हिन्द बिन उतबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया। अबू सुफ़ियान बख़ील आदमी हैं, वह मुझे और मेरे बच्चों को उतना नहीं देते जो हमें काफ़ी हो जाये। मगर मैं उसके माल से उसकी इजाज़त के बग़ैर ले लेती हूँ। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ले लो जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों के लिए काफ़ी हो जाये।"

रही बात क़यास की तो फ़िक़्ह का उसूली क़ायदा है जो ग़ैर के हक़ के लिए कारबन्द हो जाये तो उसका नफ़क़ा उस शख़्स पर है (जिसके लिए उसने अपने आपको पाबंद किया है) मुफ़्ती, वाली, क़ाज़ी और इसी तरह हुकूमत के दूसरे कारकुनान का नफ़क़ा बैतुल माल पर वाजिब है इसलिए कि उन्होंने हुकूमत की मनफ़िअत व मफ़ाद की ख़ातिर तलबे रिज़्क़ से अपने आपको इलाहिदा रखा तो हुकूमत पर लाज़िम है कि वह उनके लिए इस क़दर पेश करे जो उनके और उनके घर वालों के लिए रिवाज के मुताबिक़ काफ़ी हो जाये। बीवी ने अपने

आपको घर के काम काज और घरेलू काम की देखरेख के लिए पाबंद कर लिया है और घरेलू कामों में अपने आपको मशग़ूल करने का एवज़ यह है कि उसे नफ़क़े का हक़ हासिल हो।

इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से अब तक मुसलमानों का इजमा रहा है। इस सिलसिले में किसी ने मुख़ालिफ़त नहीं की।'' (अल अहवालुश शख़्सिया स. 269)

आलमे इस्लाम के मायानाज़ फ़क़ीह डॉक्टर वहबा ज़ुहैली ने अपनी मशहूर किताब 'अल फ़िक़हुल इस्लामी व अदिल्लतुहू' में मुस्तनद किताबों के हवाले से नफ़क़ा-ए-ज़ौजिया पर सैर हासिल बहस की है। इसी बहस से मुन्तख़ब इबारतों का तर्जमा पेश किया जा रहा है-

''लुग़त में नफ़क़ा वह है जिसको इंसान अपने अयाल पर ख़र्च करता है और शरीअत में नफ़क़ा खाना, कपड़ा और रिहाइश को कहते हैं और फ़ुक़हा की इस्तिलाह में सिर्फ़ खाना मुराद है इसलिए वह इस पर पोशाक और रिहाइश को अत्फ़ करते हैं और अत्फ़ मुग़ायरत का तक़ाज़ा करता है।

फ़ुक़हा का बीवी के नफ़क़े के वुजूब पर इत्तिफ़ाक़ है। चाहे बीवी मुसलमान हो या काफ़िर निकाहे सही की वजह से। जब शादी का फ़साद और उसका बुतलान ज़ाहिर हो जाये तो शौहर अपनी बीवी से उन तमाम चीज़ों को वापस ले लेगा जो उस औरत ने नफ़क़े में हासिल किया है और इस नफ़क़े का वुजूब क़ुरआन, हदीस, इजमा और क़यास से साबित है।'' (अल फ़िक़हुल इस्लामी व अदिल्लतुहू जिल्द 7, स. 786)

''नीचे दी गई चीज़ें नफ़क़ए ज़ौजिया में शामिल हैं-

(1) खाना पानी और सालन (2) लिबास (3) रिहाइश (4) ख़िदमत (5) सफ़ाई का आला और घर का सामान

दस्तूरे शाम की दफ़ा 71 नफ़क़े की क़िस्मों को शामिल है

जिसमें डॉक्टर और इलाज के अख़राजात को भी शौहर पर लाज़िम क़रार दिया गया है।

1. नफ़क़ा ज़ौजियत में तआम, पोशाक और रिहाइश, दवा इलाज उर्फ़ के मुताबिक़ और ऐसी ख़िदमत जो बीवी के हम रुतबा औरतों को हासिल है।
2. शौहर पर अपनी बीवी का नफ़क़ा लाज़िम क़रार दिया जाता है। जब शौहर उस पर ख़र्च करने से रुक जाए या उसकी कोताही साबित हो जाये।

पहला वाजिब खाना और उसके लवाज़मात हैं। फ़ुक़हा के नज़दीक बीवी के लिए खाना, पानी और सालन वाजिब है और जो उसके ताबे हैं मसलन पानी, सिरका, तेल, लकड़ी और ईंधन वग़ैरह, मेवा वाजिब नहीं है।'' (अल फ़िकुहुल इस्लामी जिल्द 7, स. 798)

''**दूसरा वाजिब** लिबास है। उलमा का इस बात पर इजमा है कि शौहर पर उसकी बीवी की पोशाक वाजिब है। यह उस पर हर हाल में वाजिब है अल्लाह के इस क़ौल की वजह से ''व अलल मौलूदि लहू रिज़कुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिलमारूफ़'' और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''तुम लोगों पर उनका खाना और कपड़ा भले तरीक़े से वाजिब है'' और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''ले लो जो तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के लिए काफ़ी हो जाये।'' और मुनासिब लिबास वह है जो उस (बीवी) के अमसाल में राइज हो।'' (अल फ़िक़्हुल इस्लामी जिल्द 7, स. 802)

''**तीसरा वाजिब** रिहाइश है। बीवी के लिए उसके मुनासिबे हाल रिहाइश वाजिब है चाहे वह मकान उसकी मिल्कियत में हो या किराये का हो या आरियत का हो या वक़्फ़ का हो। इरशादे बारी तआला है ''उस्कुनूहुन्ना मिन हैसु सकनतुम मिंव वुजदिकुम'' यानी

तुम्हारी हैसियत और माली ताक़त के मुताबिक़ हो। और अल्लाह तआला का क़ौल ''आशिरूहुन्ना बिल मारूफ़'' और मारूफ़ यह है कि उसको ऐसी जगह में रखो जो लोगों की नज़रों से पोशीदा रहे और उसमें उसका सामान भी महफ़ूज़ रहे।

रिहाइश भी तआम व पोशाक की तरह ज़ौजैन की तंगी व वुसअत के मुताबिक़ वाजिब है। अल्लाह तआला के इस क़ौल ''मिंव वुजदिकुम'' की वजह से, इसी बिना पर वाजिब है कि रिहाइश नीचे दी गई औसाफ़ से मुत्तसिफ़ हो–

1. वह शौहर की माली हालत के मुताबिक़ हो साबिक़ा आयत ''मिंव वुजदिकुम'' की वजह से।
2. वह मसकन ऐसा हो जिसमें शौहर के रिश्तेदारों में से कोई न हो मगर बीवी शौहर के रिश्तेदारों के साथ रहने पर राज़ी हो और यह इमाम अबू हनीफ़ा की राय है।
3. जम्हूर की राय में मसकन फ़र्नीचर से आरास्ता हो। मालिकिया ने इसमें इख़्तिलाफ़ किया है। मफ़रूशाते नौम में बिस्तर, लिहाफ़ और तकिया शामिल है और मतबख़ का सामान मसलन खाने पीने के आलात तवा, प्याला, लोटा, घड़ा वग़ैरह। इसी तरह वह चीज़ें जिनका उर्फ़ व रिवाज हो और जिसके बग़ैर चारा–ए–कार नहीं जैसे कढ़ाई और ऐसी चीज़ जिसमें अपने कपड़े धोए और रौशनी का सामान इसलिए कि ज़िन्दगी गुज़ारना मज़कूरा बाला चीज़ों के बग़ैर मुमकिन नहीं है और यह हुस्ने मुआशरत है।

फ़ुक़हा का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि रहने ही जगह ज़रूरी व लाज़मी सहूलियात से आरास्ता हो। बैतुल ख़ला व ग़ुस्लख़ाना, मतबख़ और वह सहूलत जो रिहाइश के लिए ज़रूरी हो, मगर जब

शौहर नादार हो जो ऐसे मकान में जिसमें बहुत से कमरे हों और बहुत से लोग रहने वाले हों और उस मकान के एक कमरे में रहता हो और उसके तमाम पड़ोसी नेक और शरीफ़ हों, तो यह भी जाइज़ है।'' (अल फ़िक़्हुल इस्लामी जिल्द 7, स. 803-805)

''**चौथा वाजिब** ख़ादिम का ख़र्च है। फ़ुक़्हा का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि शौहर पर बीवी के ख़ादिम का ख़र्च लाज़िम है जबकि शौहर मालदार हो और औरत अपने वालिद के यहाँ ख़िदमत लेती और ख़ुद काम नहीं करती थी। साहिबे हैसियत होने की वजह से या बीमार होने की वजह से इसलिए कि यह हुस्ने मुआशरत है। और इसकी रिआयत करना शौहर पर लाज़िम है। इरशादे बारी तआला है ''व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ़'' बेहतर यह है कि मालदार शौहर को अपनी बीवी की ख़िदमत के लिए ख़ादिमा का नज़्म करना चाहिए इसलिए कि यह हुस्ने मुआशरत है।'' (अल फ़िक़्हुल इस्लामी जिल्द 7, स. 805)

''**पाँचवाँ वाजिब** सफ़ाई का आला और घरेलू सामान है। दाई जनाई की उजरत और सफ़ाई के आलात के वुजूब पर फ़ुक़्हा का इत्तिफ़ाक़ है। अलबत्ता उनका इख़्तिलाफ़ ज़ीनत के सामान और घरेलू सामान में है। इमाम अबू हनीफ़ा का मसलक यह है कि शौहर पर आटा-चक्की, तवा, पीने और पकाने के बर्तन जैसे मशकीज़ा, घड़ा, हांडी, डोई और इसी तरह घर के तमाम सामान जैसे चटाई, नमदा, ऊन की चादर और वह चीज़ जिससे सफ़ाई की जाती है और मैल को दूर किया जाता है जैसे कंघी, धोने की घास, साबुन, बैर, तेल और खितमी उर्फ़ो रिवाज के मुताबिक़ वाजिब है और शौहर पर चप्पल और नहाने धोने के साबुन का नज़्म करना वाजिब है और उसके लिए वुज़ू और ग़ुसले जनाबत के पानी का नज़्म वाजिब है। रही बात दाई जनाई की उजरत तो उसकी उजरत मियाँ बीवी में से उस पर वाजिब है जिसने

उसको उजरत पर तलब किया। बिन बुलाए दाई आ गई तो कहा गया कि उसकी उजरत शौहर पर वाजिब होगी इसलिए कि वह जिमा का नतीजा है। और कहा गया है कि तबीब की तरह दाई की उजरत भी औरत पर वाजिब है। हैज़ और ख़ून की बदबू दूर करने के लिए ख़ुशबू शौहर पर वाजिब है। ख़िज़ाब और सुर्मा शौहर पर लाज़िम नहीं है बल्कि वह उसकी मर्ज़ी पर मुन्हसिर है। मेवा, चाय और तम्बाकू शौहर पर वाजिब नहीं है।''(अल फ़िक़्हुल इस्लामी जिल्द 7, स. 807)

महर :

शौहर पर बीवी का महर वाजिब है। अगर महरे मुअज्जल (नक़द) हो तो फ़ौरी तौर पर बीवी के हवाले कर दे और अगर महरे मुवज्जल (उधार) हो तो जल्द से जल्द अदा करने की कोशिश करे। अलबत्ता इसमें ताख़ीर की गुन्जाइश है। महर पर बीवी का मालिकाना हक़ है, वह जहाँ चाहे इसको ख़र्च करे, जो लोग महर अदा नहीं करते, उनको क़यामत में ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा, जैसाकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया – ''जिस किसी आदमी ने किसी औरत से क़िल्लते महर या कसरते महर पर शादी की लेकिन उसके दिल में औरत के इस हक़ को अदा करने का इरादा नहीं है, उसने औरत को धोका दिया। वह मर गया इस हाल में कि उसने औरत का हक़ यानी (महर) उसके सुपुर्द नहीं किया, तो क़यामत में ज़ानी की हैसियत से मुलाक़ात करेगा।'' (अत्तरग़ीब वत्तरहीब जिल्द 3, स. 48)

अगर बीवी बिला किसी जब्र व दबाव के अपनी मर्ज़ी और ख़ुशी से महर माफ़ कर दे तो उसको अपने मसरफ़ में इस्तेमाल करना जाइज़ है। अल्लाह तआला फ़रमाता है – ''हाँ, अगर वह बीवियाँ ख़ुश दिली से छोड़ दें तो तुम उस महर को मज़ेदार और ख़ुशगवार समझकर खाओ।'' (सूरह निसा : 4)

दौलतो जायदाद पर मालिकाना हक़ :

औरत को दौलत व जायदाद पर मालिकाना हक़ हासिल है। शौहर के लिए जाइज़ नहीं है कि वह बीवी की दौलत व जायदाद पर क़ाबिज़ हो जाये या उसकी इजाज़त व मर्ज़ी के बग़ैर उसकी दौलत में से ख़र्च करे। महर, तरका, मुलाज़मत, तिजारत और हिबा के ज़रिए हासिलशुदा दौलत व जायदाद पर औरत का पूरा हक़ है। इसको पूरा इख़्तियार है कि जहाँ चाहे ख़र्च करे, शौहर पर या औलाद पर ख़र्च करना वाजिब नहीं है बल्कि बीवी और औलाद की जुमला ज़रूरियात पूरी करना शौहर पर वाजिब है।

तिजारत व कारोबार करने की इजाज़त :

इस्लाम में तिजारत की फ़ज़ीलत व अहमियत वारिद हुई है। मर्द और औरत दोनों को तिजारत और जाइज़ ज़रिआ-ए-आमदनी इख़्तियार करने की इजाज़त दी गई है। सहाबा और सहाबियात दौरे रिसालत में तिजारत किया करती थीं। इसलिए हुदूदे शरई में रहते हुए तिजारत और दूसरी ज़रिआ-ए-आमदनी इख़्तियार करने की औरत को इजाज़त हासिल है। शौहर या कोई और रिश्तेदार उसकी मर्ज़ी के बग़ैर उसकी दौलत को अपनी तहवील में नहीं ले सकता है और न इस्तेमाल कर सकता है।

सुकून का माहौल :

बीवी को ऐसा पुरसुकून माहौल फ़राहम किया जाए जहाँ वह अपनी इज़्ज़त को महफ़ूज़ रख सके और अपने ऊपर आयद हुक़ूक़ व फ़राइज़ को सुकून के साथ अंजाम दे सके और अपनी औलाद की परवरिश और तालीमो तरबियत के फ़रीज़े अन्जाम दे सके। इसके साथ कोई ऐसा रिश्तेदार न हो जिसकी वजह से वह अपनी अस्मत या सामान के जाते रहने का ख़तरा, या किसी नुक़सान का अन्देशा महसूस करे।

पर्दा :

मर्द और औरत से दुनिया का निज़ाम क़ायम है। उनमें आपसी मुहब्बत व उलफ़त, मुलाक़ात व इख़्तिलात और एक दूसरे में रग़बत व दिलकशी यह सब बशरी तक़ाज़े और फ़ितरी आमाल हैं लेकिन यह आमाल ख़ालिक़े कायनात के हुक्म के मुताबिक़ अन्जाम पायें तो दोनों जहाँ में कामयाबी हासिल होती है लेकिन जब-जब भी अल्लाह के क़ायमकर्दा उसूल को तोड़ा गया तो इंसानियत नाकामयाबी और बर्बादी से हमकिनार हुई। दौरे हाज़िर में हुक़ूक़े निस्वाँ के दिलफ़रेब नारे बुलन्द करके बेराहरवी, उरियानियत व बेहयाई और ज़िना व बदकारी के दरवाज़े खोल दिये गये हैं जिनकी वजह से दुनिया में बुराईयाँ आम हो गई हैं। ज़िना बिलजब्र, क़त्ल व आबरूरेज़ी और लूटमार आम हो गई है। लोगों की ज़िन्दगी से सुकून व इत्मीनान रुख़सत हो गया है लिहाज़ा इस्लाम में पर्दे का हुक्म अज़ीम हिकमत व मसलिहत की बिना पर दिया गया है। इसकी पाबन्दी व एहतमाम से फ़र्द, ख़ानदान और मुआशरा कामयाबी व फ़लाह से हमकिनार होता है।

ख़ुला :

तलाक़ का इख़्तियार मर्द को दिया गया है, क्योंकि वह सरबराह है और तमाम माली ज़िम्मेदारियों का कफ़ील है। अलबत्ता औरत को भी ख़ुला का हक़ दिया गया है और फस्ख़ व तफ़रीक़ के ज़रिए अपने उस शौहर से अलाहिदा होने का हक़ दिया जिसके साथ ज़िन्दगी गुज़ारना दुश्वार था।

ख़ुला यह है कि औरत मर्द को कुछ माल देकर या मर्द के ज़िम्मे उसका जो कुछ बाक़ी है उसको माफ़ करके बदले में तलाक़ हासिल कर ले और इस तलाक़ के लिए ख़ुला का लफ़्ज़ इस्तेमाल करे, इसकी वजह से तलाक़े बाइन वाक़े हो जाती है। इरशादे रब्बानी है - ''अगर तुम्हें डर हो कि यह दोनों अल्लाह की हदें क़ायम न रख सकेंगे

तो औरत रिहाई पाने के लिए कुछ दे दे, इसमें दोनों पर गुनाह नहीं है।'' (सूरह बक़रा : 229)

हदीस शरीफ़ में आया है – ''साबित बिन क़ैस की बीवी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! साबित बिन क़ैस के अख़लाक़ और दीनदारी में कोई ऐब निकालना नहीं चाहती लेकिन वह मुझे पसंद नहीं हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हें उससे क्या मिला था? उसने कहा, बाग़, फ़रमाया तुम उस बाग़ को वापस करने के लिए तैयार हो? उसने कहा हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित से कहा बाग़ वापस ले लो और इसे एक तलाक़ दे दो।'' (बुख़ारी जिल्द 3, स. 273)

मियाँ-बीवी एक दूसरे के हुक़ूक़ अदा करते हुए सब्रो तहम्मुल के साथ ज़िन्दगी गुज़ारें और बच्चों की परवरिश और तालीमो तरबियत की तरफ़ तवज्जो दें। मामूली बातों पर इलाहदगी का इरादा न करें इसलिए कि ज़ौजैन की इलाहिदगी की वजह से आबाद घर बर्बाद हो जाता है और बच्चे परवरिश व निगेहदाश्त और शफ़क़तो मुहब्बत से महरूम हो जाते हैं। अकसर औक़ात तालीम और रौशन मुस्तक़बिल से महरूम हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया – ''जो औरत अपने शौहर से ऐसी हालत में तलाक़ तलब करती है जबकि शौहर की तरफ़ से उसे कोई तकलीफ़ न पहुँच रही हो तो उस पर जन्नत की ख़ुशबू हराम है।'' (अबू दाऊद व तिरमिज़ी, अत्तरग़ीब वत्तरहीब जिल्द 3, स. 84)

अलबत्ता ज़ौजैन का एक साथ ज़िन्दगी गुज़ारना दुश्वार हो जाये, आए दिन लड़ाई झगड़े से अमन व सुकून ख़त्म हो जाये तो इलाहिदगी बेहतर है। मर्द को तलाक़ का हक़ हासिल है तो औरत को भी हक़ हासिल है कि ख़ुला, तफ़रीक़ और फ़सख़े निकाह के ज़रिए इज़्दिवाजी ताल्लुक़ ख़त्म कर दे। मजबूरी और नाज़ुक हालत में वह जुदायगी के लिए इस्लामी अदालत से रुजू करेगी।

मुतल्लक़ात और बेवाओं की शादियाँ

अल्लाह के नज़दीक हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ तलाक़ है। उसने आख़री चाराएकार के तौर पर तलाक़ देने का हुक्म दिया है। मियाँ बीवी में ताल्लुक़ात हद से ज़्यादा कशीदा हो जायें, निबाह की सूरत बाक़ी न रहे और हुदूदुल्लाह को क़ायम रखना दोनों के लिए दुश्वार हो जाये, उस वक़्त तलाक़ की इजाज़त है। (सूरह निसा आयत : 34-35)

क्योंकि मुआशरे में मुतल्लक़ात का वुजूद फ़ितरी अम्र है। इसी तरह मौत का आना यक़ीनी है, तो बेवाओं से कोई मुआशरा ख़ाली नहीं है, अगर कोई औरत मुतल्लक़ा या बेवा हो जाए और जिन्सी ख़्वाहिशात की वजह से गुनाहों में मुब्तिला हो जाने का अन्देशा हो तो ऐसी हालत में उसकी शादी ज़रूरी व लाज़मी हो जाती है। अगर उसको शादी की इजाज़त न दी जाए तो फ़िस्क़ो फ़ुजूर और ज़िना व बेहयाई की राहें हमवार हो जाने का क़वी इमकान है। ज़िना क्या है? दोनों जहाँ के ख़ालिक व मालिक ने इसकी वज़ाहत यूँ फ़रमाई है- ''ज़िना के पास भी मत फटको, बिलाशुब्हा वह बड़ी बेहयाई की (बात) और बुरी राह है।'' (सूरह बनी इस्राईल : 32)

मोमिन मर्द और मोमिन औरत ज़िना नहीं करते हैं। इरशादे ख़ुदावन्दी है :-''और जो कि अल्लाह के साथ किसी माबूद की परस्तिश नहीं करते और जिस शख़्स (के क़त्ल करने) को अल्लाह ने हराम फ़रमाया है, उसको क़त्ल नहीं करते। हाँ, मगर हक़ पर, और वह ज़िना नहीं करते और जो शख़्स ऐसे काम करेगा तो सज़ा से उसको साबिक़ा पड़ेगा।'' (सूरह फ़ुरक़ान : 68)

अज़वाजे मुतहहरात में सिर्फ़ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु

अन्हा ऐसी थीं जो हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने से पहले किसी और की ज़ौजियत में नहीं रही थीं। हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी व इत्तिबा में सहाबाए किराम और असलाफ़े उम्मत ने बेवाओं से निकाह किया जो क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए अमल का रौशन बाब है। कभी आलमी जंग, कभी दो ममालिक की जंग और कभी दो ख़ानदानों की जंग व जिदाल की वजह से मर्दों की तादाद में बेहद कमी हो जाती है। इसलिए एक सच्चे मज़हब की अलामत व ख़ूबी यह है कि वह ऐसा जामे क़ानून बनाए जिसमें औरतों को बक़िया मर्दों के निकाह में दे दिया जाये ताकि उनके नान व नफ़क़े और ख़्वाहिशाते नफ़्सानी की तकमील का पाकीज़ा ज़रिआ मयस्सर आ जाये और मुआशरा हर क़िस्म की गंदगियों से महफ़ूज़ रहे। इस्लाम ने मर्द को चार शादियों की इजाज़त देकर औरतों पर एहसाने अज़ीम किया है और जिन्सी ख़्वाहिश की तसकीन का पाकीज़ा ज़रिआ नान व नफ़क़ा और रिहाइश का इन्तिज़ाम करके उनको हर तरह की ज़िल्लत व रुसवाई से महफ़ूज़ कर दिया है।

हिन्दू धर्म में तलाक़ का तसव्वुर ही नहीं, अगर कोई मर्द अपनी मज़हबी तालीमात की ख़िलाफ़वर्ज़ी करते हुए अपनी बीवी को तलाक़ दे दे तो औरत को दूसरी शादी की इजाज़त नहीं है। शौहर के मर जाने के बाद उसका शौहर की चिता में मर जाना ऐन सवाब व नजात। अगर ऐसा न करे तो सारी ज़िन्दगी कुलफ़त व परेशानी और ज़िल्लतो रुसवाई का मुक़ाबला करती रहे। (अज़्ज़िवाज वत्तलाक़ फ़ी जमीइल अदयान स. 552-553)

ईसाई मज़हब में तलाक़ का तसव्वुर ही नहीं है इसलिए इस मज़हब में मुतल्लक़ात की परेशानी को हल करने के बजाय दूसरी शादी को ज़िना क़रार दिया गया। (फ़िक़हुस सुन्नह जिल्द 2, स. 291)

लेकिन इस्लाम ने मुतल्लक़ात व बेवाओं से शादी की तरग़ीब व

ताकीद की, इससे रौशन मिसाल क्या हो सकती है कि सरवरे कायनात मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सबसे पहला निकाह एक बेवा से किया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के अलावा तमाम अज़वाजे मुतह्हरात दूसरों के निकाह में रह चुकी थीं। तारीख़ शाहिद है कि इस इस्लामी क़ानून से इंसानियत को वह अज़ीम फ़वाइद हासिल हुए हैं जो क़ैदे तहरीर से बाहर हैं। इसकी अहमियत से वह ममालिक अच्छी तरह वाक़िफ़ हैं जहाँ किसी बुनियाद पर मर्दों की तादाद कम और औरतों की तादाद ज़्यादा हो गई है।

ज़रूरत इस बात की है कि पूरे मुल्क में मुनज़्ज़म तौर पर इस तहरीक का आग़ाज़ किया जाए। उलमा, अइम्मा, ख़ुतबा, रहबराने क़ौमो मिल्लत, मुस्लिहीन व मुबल्लिग़ीन, साहिबे असरो रुसूख़, साहिबे दौलत व सरवत और नौजवानाने मिल्लत इसकी जानिब ख़ुसूसी तवज्जो दें और तक़रीरो तहरीर, वाज़ो नसीहत, गुफ़्तेगू व ज़ेहनसाज़ी और अमली इक़दाम के ज़रिए मुतल्लक़ात व बेवाओं से निकाह का माहौल बनायें और उनसे निकाह को मायूब समझने या नाक़ाबिले इल्तिफ़ात होने के रुजहान व फ़िक्र को बदलने की हर मुम्किन कोशिश करें और उन मुतल्लक़ात और बेवाओं की ज़ेहनसाज़ी की जाये जो शादी की ज़रूरत महसूस करती हैं लेकिन उर्फ़ व रिवाज की वजह से दूसरी शादी पर बज़ाहिर आमादा नहीं होती हैं।

इस्लामी ख़ानदान में इफ़्फ़तो पाकदामनी

इस्लाम ने अस्मत व पाकदामनी पर बहुत ज़ोर दिया है। उसने उसकी हिफ़ाज़त के उसूल व ज़वाबित बनाकर फ़र्द और ख़ानदान को सुकून व राहत से हमकिनार किया है और समाज के शीराज़े को बिखरने से रोक दिया है। आज़ाद शहवतरानी जहाँ इंसानियत के लिए नुक़सानदेह है वहीं तजर्रुद की ज़िन्दगी तबाहकुन है। जिंसी तकमील के सिर्फ़ दो रास्ते हलाल हैं। एक ऐलानिया निकाह के बाद किसी औरत से अपनी ज़रूरत पूरी की जाये या अपनी बांदी से। इरशादे बारी तआला है- ''और जो अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त रखने वाले हैं लेकिन अपनी बीवियों से या अपनी लौण्डियों से (हिफ़ाज़त नहीं करते) क्योंकि उन पर (इसमें) कोई इलज़ाम नहीं, हाँ जो इसके अलावा और जगह शहवतरानी का तलबगार हो, ऐसे लोग शरई हद से निकलने वाले हैं।'' (सूरह मोमिनून : 5-7)

अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन मुसलमानों के लिए मग़फ़िरत और अजरे अज़ीम तैयार कर रखा है, उनमें वह भी हैं जो अफ़ीफ़ और पाकदामन हैं। ''अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करने वाले मर्द और हिफ़ाज़त करने वाली औरतें।'' (सूरह अहज़ाब : 35)

यहाँ भी यह शर्त है कि औरत के उसी मुक़ाम से फ़ायदा उठाया जाये जो उसके लिए दीनी व दुनियावी लिहाज़ से मुफ़ीद हो, उसके पिछले हिस्से से फ़ायदा उठाना हराम है। इस्लाम लिवातत व अग़लाम बाज़ी को हराम क़रार देता है और उन तमाम तरीक़ों को नाजाइज़ क़रार देता है जो फ़ितरत और इंसानियत के ख़िलाफ़ है। इसी तरह किसी औरत के लिए जाइज़ नहीं है कि वह अपने शौहर के अलावा किसी और से अपनी जिन्सी ख़्वाहिश की तकमील करे, या किसी औरत से

तसकीन हासिल करे। यही वजह है कि इस्लाम ने निकाह की तरग़ीब व ताकीद की और उसको इबादत का दर्जा दिया है और तजर्रुद की ज़िन्दगी को नापसंद किया है। ख़ुसूसियत से गुनाह में मुब्तिला होने का डर हो तो निकाह को वाजिब क़रार दिया है। असमत व पाकदामनी निकाह से पहले भी ज़रूरी है और निकाह के बाद भी। इसके बग़ैर पाकीज़ा ख़ानदान और समाज का वुजूद नामुम्किन है। क़ुरआन व हदीस और उलमाए इस्लाम की किताबों में अस्मत व इफ़्फ़त पर तफ़सीली मवाद मौजूद है। पिछले मज़ाहिब में भी इस पर काफ़ी ज़ोर दिया गया है जैसाकि क़ुरआन की इन आयतों से मालूम होता है ''और इमरान की बेटी मरयम ने रोके रखा अपनी शहवत की जगह को'' (सूरह तहरीम : 12) ''और वह औरत जिसने क़ाबू में रखी अपनी शहवत फिर फूँक दी हमने उस औरत में अपनी रूह''

(सूरह अम्बिया : 91)

हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ आया है ''उस औरत ने यूसुफ़ की तरफ़ क़स्द किया और यूसुफ़ उसका क़स्द करते अगर वह अपने परवरदिगार की दलील न देखते, यूँही हुआ और इस तरह हम उससे बुराई और बेहयाई को दूर कर दें। बेशक वह हमारे चुने हुए बन्दों में था।'' (सूरह यूसुफ़ : 24)

हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की तारीफ़ में फ़रमाया गया - ''और सरदार होगा और औरत के पास न जायेगा और नबी होगा सालिहीन से।'' (सूरह आले इमरान : 39)

इस्लाम में सिर्फ़ ज़िना से बचने की ताकीद नहीं की गई है बल्कि दवाइए ज़िना से भी बचने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह तआला फ़रमाता है - ''और ज़िना के क़रीब न जाओ वह बेहयाई और बुरी राह है।'' (सूरह बनी इस्राईल : 32)

इस आयत में यह नहीं फ़रमाया कि तुम ज़िना न करना बल्कि यह कहा कि ''तुम ज़िना के क़रीब न जाना'' ज़िना तो हराम है ही बल्कि उन तमाम कामों से बचना ज़रूरी है जो ज़िना की तरफ़ ले जाये, इस सिलसिले में क़ुरआन में तफ़सीली हिदायत मौजूद है, सूरह नूर में है – ''आप मुसलमान मर्दों से कह दीजिये कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करें, यह उनके लिए ज़्यादा सफ़ाई की बात है। बेशक अल्लाह को सब ख़बर है जो कुछ लोग किया करते हैं और मुसलमान औरतों से भी कह दीजिये कि वह भी अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगहों की हिफ़ाज़त करें और अपना बनाव सिंगार खोलकर न दिखाएँ मगर जो तबअन खुला रहता है और अपनी ओढ़नी अपने सीनों पर डाले रहा करें और अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर न होने दें मगर अपने शौहरों पर या अपने बाप पर या अपने शौहर के बाप पर या अपने बेटों पर या अपने भाईयों पर या अपने भाईयों के बेटों पर या अपनी बहनों के बेटों पर या अपनी औरतों पर या अपनी लौण्डियों पर या उन मर्दों पर जो तुफ़ैली के तौर पर रहते हों और उनको ज़रा तवज्जो न हो, या ऐसे लड़कों पर जो औरतों के पर्दे की बातों से अभी नावाक़िफ़ हैं और अपने पाँव ज़ोर से न रखें कि उनका मख़फ़ी ज़ेवर मालूम हो जाये।'' (सूरह नूर : 30–31)

तमाम मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि किसी के घर में बेइजाज़त दाख़िल न हों। ''ऐ ईमान वालो! तुम अपने घरों के सिवा दूसरों के घरों में दाख़िल मत हो जब तक कि उनसे इजाज़त हासिल न कर लो।'' (सूरह नूर : 27)

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया – ''जिसने किसी के घर में उसकी इजाज़त के बग़ैर झांका, उसके घर वालों के लिए जाइज़ है कि उसकी आँख फोड़ दें।'' (सही मुस्लिम जिल्द 3, स. 699)

जब औरतें ज़रूरत के तहत घर से निकलें तो अपने आपको एक चादर से ढांप लें ताकि अन्दरूनी ज़ेबो ज़ीनत और ख़द्दोख़ाल ज़ाहिर न हों और राह चलतों को यह मालूम हो जाये कि यह शरीफ़ व पाकबाज़ औरतें हैं। ''ऐ पैग़म्बर अपनी बीवियों से और अपनी साहबज़ादियों से और दूसरे मुसलमानों की बीवियों से भी कह दीजिये कि (सर से) नीचे कर लिया करें अपने ऊपर थोड़ी सी अपनी चादरें, इससे जल्दी पहचान हो जाया करेगी तो आज़ार न दी जाया करेंगी और अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है।'' (सूरह अहज़ाब : 59)

ज़माना-ए-जाहिलियत में इफ़्फ़तो पाकदामनी क़ाबिले इल्तिफ़ात नहीं थी। ज़िना व उरियानियत की वबा हर तरफ़ फैली हुई थी। लौण्डियों को जिस्मफ़रोशी के पेशे में लगाकर दौलत हासिल की जाती थी और इसको मायूब नहीं समझा जाता था। अब्दुल्लाह बिन उबई अपनी लौण्डियों को इस काम पर लगा देता कि वह दूसरों का दिल बहलाए। इसके बावजूद अब्दुल्लाह बिन उबइ को इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था। इस्लाम ने आमदनी के इस ज़रिए को जुर्म क़रार दिया- ''और अपनी मम्लूका लौण्डियों को ज़िना कराने पर मजबूर मत करो।'' (सूरह नूर : 33)

किसी पाकीज़ा मर्द को बदकार औरत से और पाकीज़ा व पाकदामन औरत को बदकार मर्द से शादी नहीं करना चाहिए। इससे पाकीज़ा ख़ानदान और मुआशरे का माहौल परागन्दा होता है - ''बदकार मर्द बदकार औरत से ही या मुश्रिका से निकाह करेगा और बदकार औरत से बदकार मर्द ही या मुश्रिक निकाह करेगा, ईमान वालों पर यह हराम ठहराया गया है।'' (सूरह नूर : 3)

ज़माना-ए-जाहिलियत में अस्मत व इफ़्फ़त की क़द्रो क़ीमत नहीं थी इसलिए हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ

कि दूसरे उमूर के साथ ज़िना नहीं करने पर भी बैत लें – ''ऐ पैग़म्बर! जब मुसलमान औरतें आपके पास इस ग़रज़ से आयें कि आप इन बातों पर बैत करें कि अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक न करेंगी और न चोरी करेंगी और न बदकारी करेंगी और न अपने बच्चों को क़त्ल करेंगी और न बोहतान की औलाद लावेंगी जिसको अपने हाथों और पाँवों के दरमियान बना लें और मशरू बातों में वह आपके ख़िलाफ़ नहीं करेंगी तो आप उनको बैत कर लिया कीजिए।'' (सूरह मुम्तहिना : 12)

इस्लाम ने जहाँ पाकदामन और पाकबाज़ रहने की ताकीद की, वहीं ऐसे लोगों पर तोहमत लगाने के लिए सज़ा भी मुतअय्यन की – ''और जो लोग (ज़िना की) तोहमत लगायें पाकदामन औरतों को और फिर चार गवाह न ला सकें तो ऐसे लोगों को अस्सी दुर्रे लगाओ और उनकी कोई गवाही कभी मत क़ुबूल करो और यह लोग फ़ासिक़ हैं।'' (सूरह नूर : 4)

ज़िना के मुताल्लिक़ तफ़सीली हिदायात के बावजूद जो लोग ज़िना का इर्तिकाब करते हैं और मुआशरे में गन्दगी फैलाते फिरते हैं उनके लिए दुनिया में दर्दनाक सज़ा मुतअय्यन की गई है। ताकि सज़ा के ख़ौफ़ से लोग बुराईयों से बचें – ''ज़िना करने वाली औरत और ज़िना करने वाले मर्द सो उनमें से हर एक के सौ दुर्रे मारो और तुम लोगों को इन दोनों पर अल्लाह के मामले में ज़रा रहम न आना चाहिए, अगर अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो और दोनों की सज़ा के वक़्त मुसलमानों की एक जमाअत को हाज़िर रहना चाहिए।'' (सूरह नूर : 2)

अहादीसे मुबारका में शादी-शुदा मर्द और औरत को संगसार करने का हुक्म दिया गया है। अबू दाऊद में है कि माइज़ बिन मालिक अस्लमी ने ज़िना में मुलव्विस होने की चार मर्तबा शहादत दी और

उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने आपको पाक करने की दरख़्वास्त की तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संगसार करने का हुक्म फ़रमाया और उनको संगसार कर दिया गया। (अबू दाऊद 148 हदीस 4428)

आख़िरत का अज़ाब बहुत सख़्त और इबरत अंगेज़ है। एक रूहानी ख़्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत से लोगों के उख़रवी अज़ाब की दर्दनाक सूरतें दिखाई गईं। उनमें बदकारों के अज़ाब की सूरत उनके फ़ेले क़बीह के मुताबिक़ यह थी कि तन्नूर की मानिन्द एक सूराख़ था, जिसके ऊपर का हिस्सा तंग और नीचे का हिस्सा कुशादा था और उसके नीचे आग भड़क रही थी और उसमें बहुत से बरहना मर्द और बरहना औरतें थीं, जब आग के शोले बुलन्द होते थे तो यह मालूम होता था कि यह लोग उसके अन्दर से निकल आयेंगे लेकिन जब आग बुझ जाती थी तो यह लोग फिर उसके अन्दर चले जाते थे। (बुख़ारी जिल्द 1, स. 240)

पाकबाज़ व पाकदामन मर्द और औरत के लिए दुनिया में इज़्ज़त व सरबुलन्दी है और आख़िरत में कामयाबी और जन्नत है। हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : ''सात आदमियों को अल्लाह (क़यामत के) उस दिन अपने साये में रखेगा, जिस दिन उस परवरदिगार के साये के सिवा कोई साया न होगा। (एक) तो आदिल सरदार व हुक्मराँ और (दूसरा) वह जवान जो अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में ख़र्च करे और (तीसरा) वह शख़्स जो अल्लाह को तन्हाई में याद करता है फिर उसकी आँखें बह जाती हैं और (चौथा) वह शख़्स जो (एक नमाज़ पढ़कर) मस्जिद से बाहर आता है तो जब तक (दूसरी नमाज़ के लिए) मस्जिद में वापस नहीं चला जाता, उसका दिल बराबर

मस्जिद में लगा रहता है और (पाँचवाँ) वे लोग कि जो ख़ालिस अल्लाह के लिए एक दूसरे से मुहब्बत रखते हैं और (छटा) वह शख़्स कि उसको माल और हुस्न वाली औरत ने बुरे इरादे से बुलाया तो उस शख़्स ने उसको कहा, मैं अल्लाह से डरता हूँ और (सातवाँ) वह शख़्स कि उसने अल्लाह के लिए कुछ ख़ैरात किया तो उसको इतना पोशीदा रखा कि उसके बायें हाथ को भी वह मालूम न हो जो उसके दायें हाथ ने ख़र्च किया।'' (बुख़ारी जिल्द 4, स. 47)

दुनियावी बरकत यह भी है कि इससे मुसीबतें व बलाएँ दूर होती हैं। बनी इस्राईल में तीन अशख़ास थे, वह तीनों एक ग़ार में बन्द हो जाने पर अल्लाह से अपनी अपनी नेकियों के ज़रिए इस मुसीबत से नजात की दुआएँ माँगीं और मुसीबत से नजात पाई, उनमें एक वह शख़्स भी था जिसने अल्लाह के ख़ौफ़ से ज़िना नहीं किया था, हालांकि उसको ज़िना करने पर क़ुदरत हासिल थी। (बुख़ारी जिल्द 4, स. 175)

अलग़रज़ अस्मत व पाकदामनी इस्लामी ख़ानदान और मुआशरे की इम्तियाज़ी ख़ुसूसियात में शामिल है, इसके बग़ैर सालेह फ़र्द, मुतवाज़िन ख़ानदान और पाकीज़ा मुआशरे का वजूद नामुम्किन है, जिस क़ौम में ज़िना व बेहयाई आम हो जाती है, उस पर अज़ाबे इलाही का नुज़ूल होता है और वह आख़िरत के दर्दनाक अज़ाब की मुस्तहिक़ हो जाती है।

इस्लामी ख़ानदान में औलाद की तालीम व तरबियत

इस्लामी ख़ानदान में औलाद की तालीम व तरबियत पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाती है। वालिदैन को जहाँ इस बात की फ़िक्र व लगन होती है कि उसकी औलाद की दुनियावी ज़िन्दगी सँवर जाये और इज़्ज़त व सरबुलन्दी में उससे बहुत आगे निकल जाये, इससे कहीं ज़्यादा इस बात की फ़िक्र होती है कि वह अज़ाबे क़ब्र से बच जाये, जहन्नम की आग से बच जाये और जन्नत में दाख़िल हो जाये। यह आयत हमेशा उनके पेशे नज़र रहती है–

''ऐ ईमान वालो! बचाओ अपनी जान को और अपने घर वालों को दोज़ख़ की उस आग से जिसका ईंधन और (सोख़्ता) आदमी और पत्थर हैं जिस पर तुन्दख़ू और मज़बूत फ़रिश्ते मुअय्यन हैं जो अल्लाह की ज़रा नाफ़रमानी नहीं करते किसी बात में जो उनको हुक्म देता है, जो कुछ उनको हुक्म दिया जाता है उसको फ़ौरन बजा लाते हैं।'' (सूरह तहरीम : 4)

औलाद की तालीम व तरबियत ख़ुद वालिदैन के लिए दोनों जहाँ में सूदमन्द है। हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : ''वालिद का अपने बच्चों को अदब सिखाना एक साअ् सद्क़ा से बेहतर है।'' (तिरमिज़ी जिल्द 4, स. 297)

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : ''जिसके पास तीन बेटियाँ या तीन बहनें या दो बेटियाँ या दो बहनें हों, उसने उनके साथ

हुस्ने सुलूक किया और उनके मामले में अल्लाह से डरता रहा, उसके लिए जन्नत है।'' (तिरमिज़ी जिल्द 4, स. 282)

इस्लामी तालीम यह भी है कि बच्चों की तालीमो तरबियत में नर्म पहलू अपनाया जाये और उनकी मामूली कोताहियों को माफ़ कर दिया जाये, उनकी ताक़त से ज़्यादा काम न लिया जाये।

हज़रत अहनफ़ बिन क़ैस के इस ख़त को हमेशा पेशे नज़र रखना चाहिए जो उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को लिखा था –

''औलाद हमारी दिली आरज़ूओं का समरा और कमर की टेक है। हम उसके लिए उस ज़मीन की तरह हैं जो निहायत ही नर्म और बिलकुल बेज़रर है। हमारा वुजूद उनके लिए उस आसमान की तरह है जो उन पर साया किये हुए है। हम उन्हीं के सहारे बड़े-बड़े कारनामे अन्जाम देने की हिम्मत करते हैं। लिहाज़ा औलाद अगर आपसे कुछ मुतालबा करे तो ख़ुश दिली के साथ उसे पूरा कीजिए, अगर वह कभी ग़मज़दा हो तो उसके दिल का ग़म दूर कीजिए। आप देखेंगे कि वह आपसे मुहब्बत करेगी, आपकी पिदराना कोशिशों को पसंद करेगी। आप उसके लिए कभी नागवार और नाक़ाबिले बर्दाश्त बोझ न बनिए कि वह आपकी ज़िन्दगी से उकता जाये, आपकी मौत चाहने लगे और आपके क़रीब आने से ही नफ़रत करने लगे। बच्चे रहमत व शफ़क़त के मुस्तहिक़ हैं जो उनके साथ शफ़क़त का मामला नहीं करते, वह अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी करते हैं।''

हज़रत इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :

''जो छोटों पर रहम नहीं करता और बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता, भलाई का हुक्म नहीं देता और बुराई से मना नहीं करता, वह हम में से नहीं है।'' (तिरमिज़ी जिल्द 4, स. 284)

मुरब्बी की बुनियादी सिफ़ात :

हम उन बुनियादी सिफ़ात का मुख़्तसरन ज़िक्र कर रहे हैं जिनका ख़ुद मुरब्बी में पाया जाना ज़रूरी है ताकि बच्चों पर तरबियत का पूरा असर पड़े। शैख़ अब्दुल्लाह नासेह अलवान अपनी मशहूर किताब ''तरबियतुल औलाद फ़िल इस्लाम'' में रक़म तराज़ हैं –

''1. **इख़लास :**

मुरब्बी के अन्दर अव्वलीन वस्फ़ इख़लास का होना चाहिए यानी ज़रूरी है कि वह अपनी नियत को दुरुस्त रखे और तरबियत सिर्फ़ अल्लाह तआला के लिए करे इसलिए कि क़ौलो अमल में इख़लास को मलहूज़ रखना ही ईमान की बुनियाद और इस्लाम का तक़ाज़ा है, क्योंकि अल्लाह तआला बग़ैर इख़लास के कोई भी अमल क़ुबूल नहीं फ़रमाते।

2. **तक़वा :-**

मुरब्बी में सबसे मुमताज़ वस्फ़ तक़वा का होना चाहिए। तक़वा की तारीफ़ उलमाए रब्बानीईन ने यह की है कि अल्लाह तआला तुम्हें उस जगह हरगिज़ न देखे जहाँ रहने से तुम्हें रोका है और जहाँ मौजूद रहने का हुक्म दिया है वहाँ से हरगिज़ ग़ाइब न पाए और बाज़ हज़रात ने इसकी तारीफ़ इस तरह की है कि अच्छे आमाल के ज़रिए अल्लाह तआला के अज़ाब से बचना और ज़ाहिरी व बातनी तौर से अल्लाह तआला से डरते रहना। चुनांचे सय्यदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु से तक़वा के बारे में दरयाफ़्त किया तो उन्होंने फ़रमाया कि आप कभी काँटों वाले रास्ते से गुज़रे हैं? उन्होंने फ़रमाया क्यों नहीं! उन्होंने पूछा, आपने क्या तरीक़ा इख़्तियार किया था? फ़रमाया (बचकर निकलने की) ख़ूब कोशिश व मेहनत की, उन्होंने फ़रमाया यही तक़वा है।

इसीलिए तक़वा के इख़्तियार करने पर क़ुरआने पाक की बहुत सी आयात में उभारा गया है। नीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीसों में तक़वा इख़्तियार करने का हुक्म दिया गया है। पस अगर मुरब्बी मुत्तक़ी व परहेज़गार न हो और मामलात व किरदार में इस्लाम के तौर तरीक़ों का पाबन्द न हो तो लाज़मी तौर पर बच्चा आज़ादी और बेराहरवी की दलदल में फँस जायेगा और गुमराही व ज़लालत की वादी में भटक जायेगा इसलिए कि उसने ख़ुद उस शख़्स को बुराईयों में मुलव्विस और शहवत के दरिया में ग़र्क़ देखा है जो उसकी तरबियत का ज़िम्मेदार था।

3. मुरब्बी के अन्दर उन उसूले तरबियत का इल्म भी ज़रूरी है जिन्हें शरीअते इस्लामिया ने पेश किये हैं ताकि वह उन मज़बूत बुनियादों पर तरबियत कर सके।

पस अगर मुरब्बी ख़ुद ही जाहिल हो और बच्चे की तरबियत के बुनियादी क़वाइद से ना आशना हो तो बच्चा नफ़्सियाती तौर से उलझ कर रह जायेगा इसलिए कि जिस हौज़ में ख़ुद पानी न हो, वह दूसरों को क्या सैराब करेगा और जिस चिराग़ में तेल न हो वह दूसरे को कैसे रौशन व मुनव्वर कर सकता है। इसलिए दीने इस्लाम ने इल्म पर बहुत उभारा है। चुनांचे अल्लाह तआला का इरशाद है –

''आप फ़रमा दीजिये कि इल्म वाले और जहल वाले कहीं बराबर हो सकते हैं'' (सूरह अज़्ज़ुमर : 9) ''यह दुआ कीजिये कि ऐ मेरे रब मेरा इल्म बढ़ा दे।'' (सूरह ताहा : 114)

और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया : ''जो शख़्स इल्म हासिल करने के लिए सफ़र करता है, अल्लाह तआला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फ़रमा देते हैं।'' (मुस्लिम), नीज़ इरशाद फ़रमाया : ''जो शख़्स तलबे इल्म के लिए (घर से) निकलेगा

तो उसका यह निकलना अल्लाह के रास्ते में शुमार होगा।'' (तिरमिज़ी)

और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है- ''हर मुसलमान पर (ख़्वाह मर्द हो या औरत) इल्मे (दीन) हासिल करना फ़र्ज़ है।'' (इबने माजा)

इन क़ुरआनी इरशादात और नबवी फ़रमूदात के बाद मुरब्बी हज़रात को चाहिए कि इल्मे नाफ़े हासिल करें और इस्लाम के तरबियती उसूल को सीखें और उनसे आरास्ता हों ताकि इस्लामी मुआशरा पैदा कर सकें।

4. हिल्म व बुर्दबारी :-

वह बुनियादी सिफ़ात जिनका मुरब्बी में पाया जाना ज़रूरी है उनमें से हिल्म व बुर्दबारी भी है। इस सिफ़त की वजह से बच्चा अपने मुरब्बी की तरफ़ माइल होता है जिसकी वजह से वह अपने मुरब्बी के इरशादात पर लब्बैक कहता है इसलिए इस्लाम ने हिल्म व बुर्दबारी के इख़्तियार करने पर उभारा है और बहुत सी आयात व अहादीस में इसकी तरफ़ तरग़ीब दी गई है ताकि तरबियत करने वालों और दावत देने वालों को यह मालूम हो जाये कि हिल्म उन अज़ीम तरीन नफ़्सियाती व अख़लाक़ी फ़ज़ाइल में से है जो इंसान को अदब और कमाल की चोटी तक पहुँचा देता है। आयाते क़ुरआनिया मुलाहिज़ा फ़रमायें।

''और ग़ुस्से को ज़ब्त करने वाले और लोगों से दरगुज़र करने वाले और अल्लाह तआला ऐसे नेकोकारों को महबूब रखता है।'' (सूरह आले इमरान : 134)

''सरसरी बरताव को क़ुबूल कर लिया कीजिए और नेक काम की तालीम कर दिया कीजिये और जाहिलों से एक किनारा हो जाया कीजिए।'' (सूरह आराफ़ : 199)

"और जो शख़्स सब्र करे और माफ़ कर दे यह अलबत्ता बड़ी हिम्मत के कामों में से है।" (सूरह शूरा : 43)

"आप (मय इत्तिबा) नेक बर्ताव से बदी को टाल दिया कीजिये, फिर यकायक आप में और जिस शख़्स में अदावत थी वह ऐसा हो जायेगा जैसा कोई दिली दोस्त होता है।" (सूरह हामीम सजदा : 34)

और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल क़ैस के अशज से फ़रमाया : "तुम में दो ख़सलतें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह तआला पसंद फ़रमाते हैं, एक बुर्दबारी और दूसरे वक़ार।" (मुस्लिम)

इसका मतलब यह नहीं कि मुरब्बी बच्चे की तरबियत के लिए हमेशा हिल्म व नर्मी ही इख़्तियार करे बल्कि इससे मुराद यह है कि वह बच्चों की इस्लाह अपने ऊपर रखे यानी जो मुनासिबे हाल हो वह तरीक़ा इख़्तियार करे।

5. मसऊलियत यानी ज़िम्मेदारी का एहसास :

मुरब्बी के लिए यह भी ज़रूरी है कि वह अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करे ताकि वह मुकम्मल तौर पर बच्चे की देखभाल और निगरानी रखे। पस अगर मुरब्बी ने इस ज़िम्मेदारी के एहसास में ज़रा भी ग़फ़लत बरती तो बच्चा ला महाला बदकिरदार बच्चों में शामिल हो जायेगा और फिर मुरब्बी को अपनी कोताही पर नदामत होगी लेकिन उस वक़्त नदामत से कुछ हासिल नहीं होगा, उस वक़्त मुरब्बी को अपनी इस हरकत पर रोना आयेगा, लेकिन उस वक़्त रोना बेसूद होगा।

मसऊलियत यानी ज़िम्मेदारी के पूरा करने या उसमें कोताही करने के सिलसिले में इस्लाम ने जो कुछ कहा है, उसका कुछ हिस्सा आपके सामने पेश किया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फ़रमाते हैं- "ऐ ईमान वालो! अपने आपको और अपनी औलाद को आग से बचाओ।" (सूरह तहरीम)

हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं - ''अल्लाह तआला हर निगेहबान से उसकी रिआया के बारे में पूछेगा कि उसने उनकी हिफ़ाज़त की या ज़ाए कर दिया? हत्ता कि इंसान से अपने घर वालों के बारे में भी सवाल होगा।'' (सही इबने हब्बान)

ज़िम्मेदारी के एहसास के सिलसिले में गुफ़्तगू करते हुए मैं यह चाहता हूँ कि मुरब्बी साहिबान के सामने मुख़्तसरन ही वह साज़िशें और मनसूबे भी बयान कर दूँ जो मुसलमान अफ़राद और मुस्लिम ख़ानदानों को ख़राब करने के लिए तैयार किये जाते हैं ताकि वह अपने मामले में पूरी बसीरत पर हों और अपने बच्चों और ख़ानदानों की इस्लाह के लिए ख़ूब जद्दोजहद करें।

अहले बातिल और शैतान के एजेंटों ने हर ज़माने में बातिल को बढ़ाने, नीज़ हक़ और अहले हक़ को नीचा दिखाने की कोशिश की है और इसके लिए एड़ी चोटी का ज़ोर सर्फ़ किया है। इन बदबख़्तों ने हर ज़माने में ख़ुदाई तालीमात और उसे मानने वालों के ख़िलाफ़ साज़िशें की हैं और उन्हें हक़ से हटाने और हक़ को मिटाने के दरपे रहे हैं। काश मुसलमान इसको समझें, लेकिन क्या चमगादड़ों की भीड़ और उनकी यलग़ार से आफ़ताब की हरारत और तमाज़त में कोई ख़लल आ सकता है? हक़ बहरहाल हक़ है, बातिल की रेशा दवानियों और बोहतान तराज़ियों से उसकी हक़्क़ानियत मुतास्सिर नहीं हो सकती। क्योंकि ख़ुदा का फ़रमान है - ''कुफ़्फ़ार चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुँह से फूँक कर बुझा दें और अल्लाह अपने नूर को पूरा करके रहेगा चाहे काफ़िरों को जितना बुरा लगे''(सूरह अत्तौबा : 32)

औलाद की तालीमो तरबियत में वालिदैन को नीचे दी गई बातों को मद्दे नज़र रखना चाहिए-

इस्लाम ने बक़दरे ज़रूरत दीनी उलूम का हासिल करना हर

मुसलमान मर्दो औरत पर वाजिब क़रार दिया है। अलबत्ता उम्मते मुस्लिमा में एक तबक़ा ऐसा होना ज़रूरी है जो दीनी उलूम में महारत व दस्तरस हासिल करके उम्मते मुस्लिमा और इन्सानियत की रहबरी व रहनुमाई करे। मर्द और औरत दोनों में ऐसा बाकमाल तबक़ा होना चाहिए। हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमो तरबियत में जहाँ सहाबा-ए-किराम ने इल्मो अमल में आला मक़ाम पैदा किया, वहीं सहाबियात ने भी इल्म व अमल में अपना मुन्फ़रिद मकाम हासिल किया। ख़ुसूसन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने इल्म व तक़वा की वजह से काफ़ी मशहूर थीं, लोग उनसे दक़ीक़ इल्मी मसाइल में रुजू किया करते थे।

इस तबक़े के अलावा दूसरे लोगों को बक़दरे ज़रूरत दीनी उलूम के साथ दुनियावी उलूम में भी महारत हासिल करनी चाहिए ताकि उनकी सलाहियत व महारत से मुसलमानों और इन्सानियत को नफ़ा पहुँचे और उन उलूम की तहसील में ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए जिनके न सीखने की वजह से लोगों को सख़्त दुश्वारी व तकलीफ़ों का सामना करना पड़े और कभी कभी उनकी जान के लाले पड़ जायें। मसलन सनअत व हिरफ़त, ज़िराअत, दवासाज़ी और तरीक़ा-ए-इलाज वग़ैरह। हमारे असलाफ़ दीनी उलूम में महारते ताम्मा और तक़वा व परहेज़गारी के साथ मुख़्तलिफ़ पेशों से वाबस्ता थे और आज भी उनके नाम के साथ उन पेशों का नाम आता है।

अल्लामा अब्दुल करीम समआनी ने अपनी मशहूर किताब 'किताबुल अनसाब' में कई अहम उलमा का तज़करा किया है जो इल्मो फ़ज़ल के आला मक़ाम पर होने के बावजूद मुख़्तलिफ़ पेशों से वाबस्ता थे, बल्कि बहुत से उलमा अपने पेशों से ही जाने जाते हैं जैसे अब्दुल्लाह हज़्ज़ा, अल्लामा अबू हराज क़िसार, अबू अली दहहान, अल्लामा

अब्दुल्लाह ख़य्यात, अबू मोहम्मद अब्दुल्लाह दय्यूश, अल्लामा अबू हमज़ा मजमा बिन समआन अस्साज, अबू अब्दुल्लाह हबीब अलक़स्साब, नस्र बिन अब्दुल मलिक क़लई, आमिर कातिब, अबू मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ बिन अहमद हलवाई, इमाम अबू बक्र मोहम्मद बिन जाफ़र किताबी, हद्दाद शाफ़ई, मुश्कान हम्माल ताबई, जुहद बिन अब्दुल हमीद हत्ताब और हबीब क़न्नाद वग़ैरह।

लड़कियों को दीनी तालीम व तरबियत के साथ दुनियावी उलूम से आरास्ता करने की ज़रूरत है ताकि मुस्लिम ख़वातीन अपनी सेहत व तन्दरुस्ती के लिए मुस्लिम ख़वातीन डॉक्टर से सलाह मशवरा कर सकें। मर्द डॉक्टर के पास औरतों के जाने, सलाह मशवरा करने और अपने सतर को ज़ाहिर करने और आपरेशन थियेटर में औरतों के तन्हा जाने की वजह से जो इंसानियतसोज़ वाक़िआत पेश आ रहे हैं, इन हालात में मुसलमान मर्द और औरत को जदीद मेडिकल तालीम और यूनानी व होमियो पैथी तालीम हासिल करने और उनमें महारत व कमाल पैदा करने की ज़रूरत माज़ी के मुक़ाबले ज़्यादा हो गई है।

इसके साथ लड़कियों को घरेलू कामकाज की ट्रेनिंग, हिरफ़त व दस्तकारी, बच्चों की तालीमो तरबियत के उसूलो क़वाइद और घरेलू माहौल को बेहतर व पुरसुकून बनाने के उसूल और तरीक़े की भी तालीम दी जानी चाहिए। यहाँ मुनासिब मालूम होता है कि समाजी ज़िन्दगी में औरतों के दायरा-ए-कार के सिलसिले में मारूफ़ मुहक़्क़िक़ व मुसन्निफ़ मौलाना ख़ालिद सैफ़ुल्लाह रहमानी की एक तहरीर पेश कर दी जाये ताकि वालिदैन अपनी औलाद ख़ुसूसन बेटियों की तालीमो तरबियत में इसको सामने रखें और ख़ानदान व मुआशरे को पाकीज़ा बनाने में अहम किरदार अदा करें।

''जहाँ तक तालीमो तहक़ीक़ की बात है तो यह दरवाज़ा

इस्लाम ने मर्दों की तरह औरतों के लिए भी खुला रखा है बल्कि अपनी ज़रूरियात के मुताबिक़ तहसीले इल्म को फ़र्ज़ क़रार दिया है। अहदे रिसालत में ऐसी बहुत सी औरतें थीं जिनको इज्तिहाद और इफ़्ता का मंसब हासिल था और उनके शागिर्दों की बहुत बड़ी तादाद थी, मसलन उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा व हज़रत हफ़सा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने अहद की मशहूर फ़क़ीहा थीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी अहादीस की तादाद 3310 है। ताबेईन के दौर में भी अहले इल्म ख़्वातीन की एक ख़ास तादाद थी जिनमें हफ़सा बिन्ते सीरीन और उमरा बिन्ते अब्दुर रहमान ज़्यादा मशहूर हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और हफ़सा रज़ियल्लाहु अन्हा पढ़ना जानती थीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने ग़ुलाम अबू अनस से और हज़रत हफ़सा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अम्र बिन राफ़े से क़ुरआन मजीद के नुसख़ों की किताबत कराई थी। मदीना की एक अनसारी ख़ातून उम्मे वरक़ा बिन्ते नोफ़ल हाफ़िज़े क़ुरआन थीं।'' (औरत इस्लाम के साये में, स. 113, बहवाला फ़तहुल मुग़ीस स. 379)

उस ज़माने में औरतें क़ानूनी मसाइल में इतनी बसीरत रखती थीं कि सरबराहे मुल्क को उनकी तनक़ीद क़ुबूल करनी पड़ती थी। सय्यदना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने महर की मिक़दार में लोगों के इफ़रात व ग़ुलू को देखते हुए उसकी तहदीद करनी चाही और एक मजमा में इसका इज़हार फ़रमाया। एक ख़ातून ने यह सुना तो खड़ी होकर बोलीं कि क़ुरआन तो कहता है कि तुम अपनी बीवियों को ढेर सारा माल भी दे चुके हो तो एक हब्बा वापस न लो (सूरह आले इमरान : 14) जिससे मालूम हुआ कि ज़्यादा महर हो सकता है, इसके लिए कोई हद नहीं है, चुनांचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी ग़लती का एतराफ़ करते हुए तजवीज़ वापस ले ली।'' (ऐज़न स. 113-114 बहवाला फ़तहुल बारी जिल्द 9 स. 161)

तहक़ीक़ व इफ़्ता :

मसाइल की तहक़ीक़ व इफ़्ता का हक़ औरतों को भी है। चुनांचे फ़ुक़हा ने तसरीह कर दी है कि मुफ़्ती ज़रूरी नहीं कि मर्द हो, औरतें भी इस फ़रीज़े को अन्जाम दे सकती हैं। चुनांचे अहदे सहाबा में भी बकसरत ख़वातीन अहले इफ़्ता मिलती हैं। उन सात सहाबा में जिनके फ़तवों की तादाद ज़्यादा है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी हैं। उनसे कम फ़तवे जिन सहाबा से मरवी हैं उनमें उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा भी हैं और जिन हज़रात ने बहुत कम फ़तवे दिये हैं उस फ़ेहरिस्त में उम्मे अतिया, हज़रत हफ़सा, उम्मे हबीबा, हज़रत सफ़िया, अस्मा बिन्ते अबू बक्र, उम्मे शुरैक, ख़ौला बिन्ते तवैत, उम्मे दर्दा, मैमूना, जुवैरिया, फ़ातिमा, फ़ातिमा बिन्ते क़ैस, आतिका बिन्ते ज़ैद, लैला बिन्ते क़ायम, ज़ैनब बिन्ते उम्मे सलमा और उम्मे ऐमन वग़ैरह भी हैं बल्कि उन मसाइल में जो औरतों से मुताल्लिक़ हों उन्हीं की राय को तरजीह दी जायेगी। (ऐज़न स. 118 बहवाला एलामुल मुवक़्क़िईन जिल्द 1, स. 9-11 व मुस्लिम)

तदरीस :-

औरतों के लिए मुअल्लिमात के फ़राइज़ अन्जाम देना जाइज़ बल्कि बाज़ हालात में ज़रूरी है इसलिए कि अगर ख़वातीन यह फ़राइज़ अन्जाम न दें बल्कि मर्द दें तो औरतों के लिए पर्दे के साथ तालीम हासिल करनी दुश्वार हो जायेगी और मर्दो औरत का इख़्तिलात भी होगा जिसका इस्लाम मुख़ालिफ़ है।

क़ुरआन मजीद के इरशादात से मालूम होता है कि तालीम देना उम्महातुल मोमिनीन के मनसब में दाख़िल था। (अल अहज़ाब 32 ता 34) चुनांचे उनका इस पर अमल भी था हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के दो सौ शागिर्दों का ज़िक्र ख़ुद हदीस की किताबों में मौजूद है। (ऐज़न स. 116 बहवाला सीरते आयशा स. 26)

तिब व नर्सिंगहोम की तालीम :-

क़ानून के अलावा उनके मुनासिबे हाल दुनियावी तालीम भी उनको दी जा सकती है। बिलख़ुसूस तिब की तालीम तो उन्हें ज़रूर दी जानी चाहिए ताकि वह औरतों का इलाज कर सकें और औरतों को ग़ैर महरम मर्दों के सामने आने की ज़रूरत पेश न आये, यह तो एक तरह का फ़र्ज़े किफ़ाया है। हिशाम बिन उरवा का बयान है कि मैंने किसी को हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से ज़्यादा तिब का माहिर नहीं पाया, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से जब पूछा गया कि आप ने तिब की मालूमात क्योंकर हासिल कीं तो फ़रमाया कि हुज़ूर आख़िरी उम्र में बीमार रहा करते थे, अरब के डॉक्टर आते थे, मैं उनके नुसख़े याद करती थी। नर्सिंग और तीमारदारी के फ़न की भी हौसला अफ़ज़ाई की जाती थी जैसाकि ज़िक्र किया गया। बाज़ औरतें जंगों में जाती थीं और ज़ख़्मियों के लिए मरहम पट्टी का इन्तिज़ाम करती थीं, नीज़ उनको जंग के ज़रिए हासिल होने वाले सरमाये में से अज़ राहे हौसला अफ़ज़ाई कुछ दिया जाता था। (ऐज़न स. 114, बहवाला मुसनद अहमद बिन हम्बल जिल्द 6, स. 67)

सनअत व दस्तकारी :-

बाज़ सहाबियात ख़न्जर बनाती थीं, चरख़ा कातने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तरग़ीब देते थे। इससे मालूम होता है कि औरतों को इस क़िस्म की सनअतों और घरेलू दस्तकारी के कामों की तालीम दी जानी चाहिए। जैसे सिलाई, कशीदाकारी, कपड़ा बुनाई और वह छोटी सनअतें जो घरों में अन्जाम दी जा सकती हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी से मरवी है कि वह अपनी ज़ाती सनअत व कारीगरी और उसकी कमाई ही से अपने शौहर और बाल बच्चों की किफ़ालत करती थीं। (ऐज़न स. 114-115, बहवाला तबक़ात इबने साद जिल्द 8, स. 212)

उमूरे ख़ानादारी :-

इसके अलावा ख़वातीन के लिए तालीम का सबसे अहम गोशा उमूरे ख़ानादारी की तालीमो तरबियत है। इसके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को घर का निगराँ व ज़िम्मेदार और उसके मुताल्लिक़ जवाबदेह क़रार दिया है।

इसका अन्दाज़ा उन तालीमात से होता है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की मजलिस में और उनसे तख़ातुब के मौक़े पर दिया करते थे जिसमें शौहर की दौलत के बजा तौर पर ख़र्च करने, बच्चों की बेहतरीन परवरिश, उनको दूध पिलाने, इज़्दिवाजी ज़िन्दगी में ख़ुशगवारी बरक़रार रखने, शौहर की इताअत और घरों को अपनी सरगर्मियों का मरकज़ बनाने की ताकीद और तरग़ीब होती थी। इस तरबियत का अन्दाज़ा इस फ़क्रो फ़ाक़ा, तंगहाली और उस पर सब्रो रज़ा और ख़ामोशी के साथ ज़ब्त से होता है जो ख़ुद हुज़ूर के अज़वाजे मुतह्हरात के ख़ानाए-मुबारक में रहता था जहाँ कई कई दिनों तक चूल्हे सुलगने की नौबत तक न आती थी, यह तो ख़ांगी ज़िन्दगी का अख़लाक़ी पहलू था। सलीक़ा व शाइस्तगी के लिहाज़ से भी उम्महातुल मोमिनीन में इसकी मिसालें मिलती हैं मसलन हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा का पकवान बहुत मशहूर था और ख़ुद उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को इसका एतराफ़ था। (ऐज़न स. 116 बहवाला बुख़ारी, सीरते आयशा अल्लामा सय्यद सुलेमान नदवी)

सनअतो तिजारत :-

सनअतो तिजारत में भी ऐसे काम वह कर सकती हैं जो उनकी सलाहियत और फ़ितरत के लिए मुनासिब हों। इसमें घरेलू दस्तकारी से लेकर अहम तरीन सनअतों तक सभी शामिल हैं। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हु ने ग़ज़वा-ए-हुनैन के ज़माने में एक ख़नजर बनाया

था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो पूछा, यह क्या है? अर्ज़ किया मैंने इसको बनाया है ताकि मुश्रिकीन में से कोई मेरे क़रीब आये तो उसका पेट चाक कर दूँ। इससे मालूम हुआ कि क़ुरूने ऊला में भी उस ज़माने की सतह के मुताबिक़ ख़वातीन सनअतो हिरफ़त से दिलचस्पी रखती थीं। चरख़ा कातने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत की बेहतरीन तफ़रीह क़रार दिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी से मरवी है कि वह अपनी ज़ाती सनअत व कारीगरी और उसकी कमाई ही से अपने अलावा शौहर और बाल बच्चों की किफ़ालत करती थीं।

तिजारत में आजकल जिस तरह जवान लड़कियों को शो रूम की तरह इस्तेमाल किया जाता है और उनके ज़रिए ग्राहकों के लिए जाज़बियत का सामान फ़राहम किया जाता है वह ग़ैर इस्लामी होने के अलावा ग़ैर इन्सानी हरकत भी है इसलिए यह तो क़तअन जाइज़ नहीं। अलबत्ता अगर कोई ऐसी मार्केट हो जो ख़वातीन ही के लिए मुख़्तस हो तो वहाँ ख़वातीन तिजारत कर सकती हैं इसलिए कि ख़रीद व फ़रोख़्त का हक़ मर्दों की तरह औरतों को भी यकसाँ तौर पर हासिल है। अहदे रिसालत में क़ीला नामी एक सहाबिया का ज़िक्र मिलता है जिनका मशग़ला तिजारत और ख़रीद व फ़रोख़्त ही था। (ऐज़न स. 119, बहवाला कन्ज़ुल उम्माल)

दीनदारी :-

वालिदैन अपनी औलाद के निकाह में दीनदारी को मलहूज़ रखें। ओहदा व मनसब, मालो दौलत, हुस्नो जमाल, नसब और ख़ानदानी वजाहत के बजाय दीनदारी को तरजीह दें। इसी में दोनों जहाँ की कामयाबी है और इसी में रिश्ता-ए-निकाह की पायदारी व इस्तिहकाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :-

''उमूमन चार चीज़ों की वजह से औरत से निकाह किया जाता है, उसके माल, हसबो नसब, हुस्नो जमाल और उसके दीन की वजह

से। ऐ अबू हुरैरह! दीनदार औरत से निकाह करके कामयाबी हासिल करो, तुम्हारे हाथ ग़ुबार आलूद हों।'' (बुख़ारी जिल्द 3, स. 242)

इस्लाम ने जहाँ लड़के वालों से दीनदार लड़की को तरजीह देने का हुक्म दिया है, वहीं लड़की वालों को यह हुक्म दिया है कि वह अपनी लड़की का निकाह उस शख़्स से करें जो दीनदार हो। सुनन तिरमिज़ी में है –''हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब तुम लोगों की तरफ़ ऐसा शख़्स पैग़ामे निकाह भेजे जिसके दीन व अख़लाक़ को तुम पसंद करते हो तो उससे अपनी लड़की का निकाह कर दो और अगर ऐसा न करोगे तो ज़मीन में फ़ितना और फ़साद बहुत फैल जायेगा।'' (रिमिज़ी जिल्द 3, स. 394)

मआशी इस्तेहकाम :-

दीनी व दुनियावी उमूर बहुस्नो ख़ूबी अन्जाम देने के लिए मआशी इस्तेहकाम बेहद ज़रूरी है और मआशी इस्तेहकाम के लिए तगो दौ और ख़ूब से ख़ूबतर की तलाश व जुस्तजू मुस्तहसन अम्र है। इस्लाम जाइज़ हुदूद में रहते हुए मआशी इस्तेहकाम की हौसला अफ़ज़ाई करता है। तिजारत, मुलाज़मत, काश्तकारी, सनअतो हिरफ़त और तमाम जाइज़ काम और पेशा इख़्तियार करने की इजाज़त देता है। हर दौर में तिजारत को ख़ुसूसी अहमियत हासिल रही है। इस्लाम ने उम्मते मुस्लिमा को तिजारत इख़्तियार करने का हुक्म दिया है। आयाते क़ुरआनिया, अहादीसे मुबारका और असलाफ़ के अक़वाल व आमाल हमारे लिए बेहतरीन नमूना हैं। उन पर अमल पैरा होकर दोनों जहाँ की कामयाबी हासिल की जा सकती है। साइंसी ईजादात और जदीद सहूलियात ने मआशी इस्तेहकाम के बहुत से रास्ते व ज़राए खोल दिये हैं। अलबत्ता ग़ैर इस्लामी क़वानीन और सूदी निज़ाम की वजह से उम्मते मुस्लिमा को तिजारत और मआशी ज़राए का ग़ायराना जायज़ा लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए।

वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि अपनी औलाद की तालीम व तरबियत पर ख़ुसूसी तवज्जो दें और उनकी ऐसी तालीम व तरबियत करें कि वह आख़िरत में कामयाब हो जायें। साथ ही दुनियावी उमूर को बहुस्नो ख़ूबी अन्जाम दे सकें। उनको बक़दरे ज़रूरत दीनी उलूम के साथ असरी उलूम हासिल करने और प्राफ़ेशनल कोर्सेज़ हासिल करने के लिए मवाक़े फ़राहम किये जायें ताकि वह आला तालीम और हुनर से आरास्ता होकर मआशी इस्तेहकाम हासिल कर सकें इसलिए हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कादल फ़क़रु अंय्यकूना कुफ्रा। (हिलयतुल औलिया जिल्द 3, स. 109)

औलाद की शादी में बिला वजह ताख़ीर न की जाये –

निकाह सरवरे कायनात हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अम्बियाए किराम की सुन्नत है जैसाकि सूरह राद में है– ''और हमने यक़ीनन आपसे पहले बहुत से रसूल भेजे और हमने उनको बीवियाँ और बच्चे दिये।'' (सूरह राद : 38)

हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया –

''ऐ नौजवानों की जमाअत! जो कोई तुम में से निकाह की ताक़त रखे, उसको निकाह कर लेना चाहिए और अगर निकाह करने की ताक़त न हो तो वह रोज़ा रखे, बेशक यह उसके लिए ढ़ाल है।'' (बुख़री जिल्द 3, स. 238)

लड़का हो या लड़की उनकी शादी में बिला वजह ताख़ीर दोनों जहाँ में नुक़सान का बाइस है और शैतान के मकरो फ़रेब में आ जाने का ख़तरा है। यही वजह है कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अवाइले उमरी ही में निकाह को पसंद फ़रमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :

''जिसको कोई लड़का हो या लड़की हो, उसको चाहिए कि उसका अच्छा नाम रखे और अच्छा अदब सिखाए, जब बालिग़ हो जाये

तो उसकी शादी कर दे, बुलूग़त के बाद अगर उसने उसकी शादी नहीं की और वह गुनाह में मुब्तिला हो जाये तो उसका गुनाह उसके बाप पर होगा।'' (मिश्कातुल मसाबीह जिल्द 2, स. 271)

हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :

''तौरात में लिखा है कि जिसकी लड़की बारह साल की उम्र को पहुँच जाये और उसकी शादी न करे, फिर वह लड़की गुनाह में मुब्तिला हो जाये तो उसका गुनाह उसके बाप पर होगा।'' (ऐज़न स. 271)

हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : ''जिस जवान ने शुरू उम्र में ही निकाह कर लिया तो उसका शैतान हाय ख़राबी, हाय ख़राबी की सदा बुलन्द करते हुए कहता है कि उसने मुझसे अपने दीन को बचा लिया।'' (कन्जुल उम्माल जिल्द 16, स. 276)

हज़रत अली बिन तालिब से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : ''ऐ अली! तीन चीज़ों में ताख़ीर न करो, नमाज़ जब उसका वक़्त हो जाये, जनाज़ा जब तैयार हो जाये और बेनिकाही औरत जब उसके लिए मुनासिब ख़ाविन्द मिल जाये।'' (तिरमिज़ी जिल्द 3, स. 387)

हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ओसामा से निकाह कर लो, मैंने उनसे निकाह कर लिया, अल्लाह ने उसमें ख़ैर अता फ़रमाई कि मैं उनके साथ ख़ुशो ख़ुर्रम रहने लगी। (मुस्लिम, किताबुत्तलाक़)

हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु की शादी हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस से जब रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराई, उस वक़्त उनकी उम्र सोलह साल से कम थी।

अल ग़रज़ शादी में बिला वजह ताख़ीर ग़ैर इस्लामी काम है इसलिए वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि अपनी औलाद की शादी में बिला वजह ताख़ीर न करे।

लड़की को उमूरे ख़ानादारी की ख़ुसूसी तालीम दी जाये :

मुतवाज़िन ख़ानदान के लिए ज़रूरी है कि लड़की को घरेलू कामकाज और इन्तिज़ाम व इन्सिाराम की ख़ुसूसी तरबियत दी जाये। ख़ुसूसन माँ, दादी, नानी, ख़ाला और फूपी की ज़िम्मेदारी है कि वह लड़कियों को इस क़ाबिल बनायें कि वह दूसरे घर में जाकर बेहतरीन बीवी, बेहतरीन बहू और बेहतरीन माँ का किरदार अदा कर सके और अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुस्नो ख़ूबी अन्जाम दे सके। ऐसा न हो कि वह आला तालीम हासिल कर लें लेकिन उन सिफ़ात व हुनर से नावाक़िफ़ हों जो एक औरत के लिए ज़रूरी हैं।

मौजूदा दौर में खाना पकाने, सिलाई व कशीदाकारी, बच्चों की तालीमो तरबियत के ट्रेनिंग सेन्टर क़ायम हो रहे हैं और मुख़्तलिफ़ हिरफ़त व दस्तकारी की तालीमगाहें क़ायम हैं। हुदूदे शरई में रहते हुए उन दर्सगाहों से इस्तिफ़ादा किया जा सकता है। बेहतरीन तरबियतगाह तो वह घर है जहाँ उसने अपनी आँखें खोली हैं। अगर हर घर में तरबियत का बेहतरीन इन्तिज़ाम हो जाये तो ख़ानदान व मुआशरे को बहुत से मसाइल से नजात दिलाई जा सकती है। लिहाज़ा ख़ानदान व मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि लड़कियों को उमूरे ख़ानादारी की ख़ुसूसी तालीमो तरबियत दी जाये।

इस्लामी ख़ानदान में वालिदैन के साथ हुसने सुलूक

इस्लाम ने वालिदैन के हुक़ूक़ अदा करने की सख़्त ताकीद की है। वालिदैन के हुक़ूक़ की अदायगी पर अजरो सवाब मुक़र्रर है और हुक़ूक़ की अदम अदायगी पर सख़्त अज़ाब व सज़ा मुतअय्यन है इसलिए मुस्लिम मुआशरे में वालिदैन के हुक़ूक़ पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाती है और उनके अदब व इकराम और ख़िदमत व मुआवनत को वसीला-ए-नजात और तरक़्क़ी का ज़रिआ समझा जाता है। लेकिन मग़रिबी तहज़ीब के असरात की वजह से मुस्लिम मुआशरे के बहुत से ख़ानदानों में भी वालिदैन के हुक़ूक़ की अदायगी में कोताही की जा रही है। लिहाज़ा उम्मते मुस्लिमा के हर ख़ानदान को मग़रिबी तहज़ीब और बातिलाना नज़रियात व अफ़कार से बचाने की अशद ज़रूरत है।

मग़रिबी ममालिक में नाबालिग़ बच्चे अपने वालिदैन के साथ ज़िन्दगी गुज़ारते हैं, जैसे ही वह बड़े हो जाते हैं अकसरो बेश्तर अपने वालिदैन को बेयारो मददगार छोड़कर अपनी दुनिया में मस्त व मगन हो जाते हैं। ऐसे वालिदैन अपने आख़री अय्याम ओल्ड एज हाउस में गुज़ारते हैं और उनकी ज़िन्दगी कस्मपुरसी में गुज़रती है। वह हुकूमत और रिफ़ाही तंज़ीमों के रहमो करम पर ज़िन्दा रहते हैं। इसी तरह मग़रिबी ममालिक में माँ के एहतराम में एक मख़्सूस दिन मई की दूसरी इतवार को मदर डे मुतअय्यन किया गया है जिसमें माँ से मुलाक़ात की जाती है और तोहफ़े पेश किये जाते हैं। लेकिन इस्लाम ने हर रोज़ मदर डे रखा है। वालिदैन के अदबो एहतराम का हुक्म ही नहीं दिया है बल्कि उनकी ख़िदमत करने और हुस्ने सुलूक करने और मदद करने पर जन्नत की बशारत दी है। औलाद की हर उस निगाह पर एक हज का

सवाब मिलता है जो वालिदैन की तरफ़ मुहब्बत से डाली जाये। उनको बार-बार देखने और उनकी ख़िदमत करने के लिए ज़रूरी है कि वालिदैन औलाद के साथ पूरी ज़िन्दगी गुज़ारें और उनको सरबराही और इज़्ज़तो एहतराम का मुक़ाम हासिल हो। औलाद उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाये और मुस्तक़बिल की नाकामियों से महफ़ूज़ रहे।

वालिदैन ने अपनी राहत व आराम और चैनो सुकून को क़ुर्बान करके अपनी औलाद को पाला पोसा और उसकी जुमला ज़रूरियात को पूरा किया और उसकी तालीमो तरबियत में कोशिश की और उसके मुस्तक़बिल को सँवारने और तरक़्क़ी व कामरानी से हमकिनार करने में अहम रोल अदा किया। लिहाज़ा औलाद पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वह अपने वालिदैन के साथ हुसने सुलूक करे और उनकी ज़रूरियात को बख़ुशी पूरा करे और उनके आराम व राहत का ख़्याल रखे। जब वालिदैन के दर्जा व मर्तबा और उसकी इताअत व फ़रमाँ बरदारी की बाबत क़ुरआन, अहादीस और असलाफ़ की किताबों का मुताला करते हैं तो हमें इतनी तफ़सीलात मिलती हैं जो हज़ारों पन्नों को भर दें, लेकिन हम यहाँ उस पर सरसरी निगाह डालेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाता है – ''और तेरे रब ने हुक्म कर दिया है कि उसके सिवा किसी और की इबादत न करना और माँ बाप के साथ एहसान करना।'' (सूरह बनी इस्राईल : 23)

इस आयत में अल्लाह तआला ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन के साथ हुसने सुलूक करने का हुक्म दिया है जिससे वालिदैन की ख़िदमत और फ़रमाँबरदारी की अहमियत वाज़ेह होती है। इसी आयत में औलाद को उफ़ तक न कहने का हुक्म दिया गया है।

''अगर तेरे पास उन में से एक या दोनों के दोनों बुढ़ापे को पहुँच जायें तो उनके आगे उफ़ तक न कहना और न उनको झिड़कना और उनसे ख़ूब अदब से बात करना और उनके सामने नर्मी से

इन्किसारी के साथ झुके रहना और यूँ दुआ करते रहना कि मेरे परवरदिगार उन पर रहम फ़रमा जैसाकि उन दोनों ने बचपन में मुझे पाला और मेरी परवरिश की।'' (सूरह बनी इस्राईल : 24)

अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के ख़िलाफ़ वालिदैन के हुक्म को मुस्तरद कर दिया जायेगा लेकिन अदबो एहतराम अब भी बाक़ी रहेगा जैसाकि अल्लाह तआला फ़रमाते हैं-

''अगर तुझ पर वह दोनों इस बात का ज़ोर डालें कि तू मेरे साथ ऐसी चीज़ को शरीक ठहराये जिसकी तेरे पास कोई दलील न हो तो उनका कहना न मानना और दुनिया में उनके साथ ख़ूबी से बसर करना।'' (सूरह लुक़मान : 15)

क़ुरआन व हदीस और सीरत की किताबों में जिहाद की अहमियत व फ़ज़ीलत का तफ़सीली बयान मौजूद है। इस रास्ते में जान व माल की क़ुर्बानी करने वालों के लिए जन्नत की ख़ुशख़बरी सुनाई गई है लेकिन इस मोहतम बिश्शान फ़रीज़े पर भी वालिदैन की ख़िदमत को तरजीह दी गई है जैसाकि मुस्लिम शरीफ़ की इस हदीस से मालूम होता है- ''अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक शख़्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, वह जिहाद में जाने की इजाज़त तलब कर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फ़रमाया, क्या तुम्हारे वालिदैन ज़िन्दा हैं? उसने कहा, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, दोनों की ख़िदमत करो, यही तुम्हारे लिए जिहाद है।'' (मुस्लिम जिल्द 4, स. 1975, हदीस 2549)

तीन क़िस्म के लोगों पर जन्नत हराम है। उनमें एक वालिदैन का नाफ़रमान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : ''तीन क़िस्म के लोग जन्नत में दाख़िल नहीं होंगे, वालिदैन की नाफ़रमानी करने वाला, शराब का आदी और देने के बाद एहसान जताने वाला।'' (नसाई जिल्द 5, स. 80)

वालिदा का ख़ुसूसी हक़ :

वालिद अपनी औलाद की परवरिश व निगेहदाश्त और तालीमो तरबियत में अहम रोल अदा करता है और अपनी राहतो आराम को क़ुर्बान करके उसके मुस्तक़बिल को सँवारने के लिए कोशिशें करता है और उसके बरसरे रोज़गार होने तक उसकी किफ़ालत की ज़िम्मेदारी निभाता है। लेकिन औलाद की परवरिश व निगेहदाश्त, तालीमो तरबियत और कामयाबी व कामरानी से हमकिनार करने में माँ ज़्यादा अहम रोल अदा करती है और उसको नौ माह पेट में रखकर और तकलीफ़ उठाकर उसको जन्म देती है और अपनी राहत को क़ुर्बान करके निहायत ही लाडो प्यार से उसकी परवरिश व निगेहदाश्त करती है लिहाज़ा वालिद के मुक़ाबले में माँ ज़्यादा हुस्ने सुलूक की हक़दार है। सही मुस्लिम में है –

''हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा कि या रसूलल्लाह! लोगों में मेरे हुस्ने सुलूक का सबसे ज़्यादा हक़दार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तुम्हारी माँ। उसने कहा फिर कौन? आपने फ़रमाया, तुम्हारी माँ। उसने कहा फिर कौन? आप ने फ़रमाया तुम्हारी माँ। उसने कहा फिर कौन? आपने फ़रमाया तुम्हारे वालिद।'' (सही मुस्लिम जिल्द 4, स. 1974, हदीस 2548)

वालिदा के एक एहसान का भी बदला अदा नहीं किया जा सकता :

एक बार एक शख़्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और शिकायत की कि या रसूलल्लाह! मेरी माँ बदमिज़ाज है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : नौ महीने तक मुसलसल जब वह तुझे पेट में लिये लिये फिरी, उस वक़्त तो बदमिज़ाज न थी। वह शख़्स बोला, हज़रत मैं सच कहता हूँ कि वह

बदमिज़ाज ही है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : जब यह रात-रात भर तेरी ख़ातिर जागती थी और अपना दूध तुझे पिलाती थी, उस वक़्त तो वह बदमिज़ाज न थी। उस शख़्स ने कहा, मैं अपनी माँ को उन सब बातों का बदला दे चुका हूँ। हुज़ूर ने पूछा तुम क्या बदला दे चुके हो? उस शख़्स ने जवाब दिया मैंने अपने कंधों पर बठाकर अपनी माँ को हज कराया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फ़ैसलाकुन जवाब देते हुए फ़रमाया, क्या तुम उसे उस दर्दे ज़ेह का बदला भी दे चुके हो जो उसने तुम्हारी पैदाइश के वक़्त उठाई थी?

माँ की नाराज़गी का अन्जाम :

एक नौजवान की ज़बान पर मरने के वक़्त कलिमा जारी नहीं हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तिला दी गई तो आपने उसकी माँ को बुलाकर फ़रमाया, यह बताओ, अगर एक ख़ौफ़नाक आग भड़काई जाये और तुमसे कहा जाये कि आकर तुम इसकी सिफ़ारिश करो तो हम इसको छोड़ देते हैं वरना इस अलाव में झोंके देते हैं तो क्या तुम इसकी सिफ़ारिश करोगी? बुढ़िया ने कहा, हाँ उस वक़्त तो मैं ज़रूर सिफ़ारिश करूंगी। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बस तुम मुझको और अल्लाह को गवाह बनाकर कहो कि मैं इससे राज़ी हो गई। बुढ़िया बोली, ऐ अल्लाह मैं तुझे गवाह बनाकर कहती हूं कि मैं अपने इस जिगर गोशे से राज़ी हो गई। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नौजवान की तरफ़ मुतवज्जे हुए और फ़रमाया कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुह। माँ की रज़ामन्दी की बदौलत नौजवान की ज़बान पर कलिमा जारी हो गया। यह देखकर ख़ुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तारीफ़ की और फ़रमाया, ख़ुदा का शुक्र है कि उसने मेरे वसीले से इस नौजवान को जहन्नम की आग से नजात बख़्शी। (तबरानी, अहमद, अत्तरग़ीब वत्तरहीब जिल्द 3, स. 332)

वालिदैन की ज़ियादती पर भी हुस्ने सुलूक का हुक्म :

हज़रत इबने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया : जिस आदमी ने इस हाल में सुबह की कि वह माँ-बाप के बारे में अल्लाह के नाज़िल किये हुए अहकाम और हिदायात की फ़रमाँबरदारी करने वाला था तो उसने गोया ऐसे हाल में सुबह की कि उसके लिए जन्नत के दरवाज़े खुले हुए हैं और अगर माँ-बाप में से कोई एक हो तो गोया जन्नत का एक दरवाज़ा खुला हुआ है और जिस आदमी ने इस हाल में सुबह की कि वह माँ-बाप के बारे में अल्लाह के अहकामो हिदायात से मुँह मोड़ने वाला है, तो उसने ऐसे हाल में सुबह की कि उसके लिए दोज़ख़ के दरवाज़े खुले हुए हैं और अगर माँ बाप में से कोई एक हो तो गोया दोज़ख़ का एक दरवाज़ा खुला हुआ है। उस आदमी ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! अगर माँ बाप उसके साथ ज़ियादती कर रहे हों तो भी, फ़रमाया, अगर ज़ियादती कर रहे हों तो भी, अगर ज़ियादती कर रहे हों तो भी, अगर ज़ियादती कर रहे हों तो भी। (मिश्कात जिल्द 2, स. 421)

मौत के बाद वालिदैन का हक़ :

एक शख़्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, माँ-बाप के मरने के बाद भी मैं उनके लिए कोई नेकी कर सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, उनके लिए दुआ व इस्तिग़फ़ार करना और उनके बाद उनके अहदो पैमान पूरे करना और उनके रिश्तेदारों से उन्हीं की रज़ामंदी और ख़ुशी के लिए सिलारहमी करना और उनके दोस्तों की इज़्ज़त करना। (अबू दाऊद जिल्द 4, स. 339, हदीस 5142)

औलाद के माल में वालिदैन का हक़ :

एक शख़्स हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अपने बाप की शिकायत करने लगा कि वह जब चाहते हैं मेरा

माल ले लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को बुलवाया। लाठी टेकता हुआ एक बूढ़ा आदमी हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़े से सूरते हाल मालूम की। बूढ़े ने कहना शुरू किया। या रसूलल्लाह! एक ज़माना था जबकि यह कमज़ोर और बेबस था और मुझ में ताक़त व क़ुव्वत थी। मैं मालदार और ख़ुशहाल था और यह ख़ाली हाथ था। मैंने कभी इसको अपनी चीज़ें लेने से नहीं रोका। आज मैं कमज़ोर हूँ और यह तन्दरुस्त व तवाना है। मैं ख़ाली हाथ हूं और यह मालदार है। अब इसका हाल यह है कि अपना माल मुझसे बचा-बचाकर रखता है। बूढ़े की यह रिक़्क़त अंगेज़ बातें सुनकर रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े। आँखों से आँसू रवाँ हो गये और फ़रमाया तू और तेरा माल तेरे बाप का है, तू और तेरा माल तेरे बाप का है।

वालिदैन को गाली देना गुनाहे कबीरा है :

एक मर्तबा रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अपने माँ-बाप को गाली देना गुनाहे कबीरा है। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, क्या कोई शख़्स अपने माँ-बाप को गाली दे सकता है? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हाँ, कोई शख़्स किसी के माँ-बाप को गाली देता है और वह उसके माँ-बाप को गाली देता है। (अबू दाऊद जिल्द 4, स. 338, हदीस 5141)

अल ग़रज़ इन्सान को वालिदैन के साथ हुसने सुलूक करने और फ़रमाँ बरदारी करने से दोनों जहाँ में कामयाबी मिलती है। ख़ुश नसीब हैं वह लोग जो वालिदैन की ख़िदमत करके जन्नत के मुस्तहिक़ हुए। अल्लाह हमें भी वालिदैन के साथ हुसने सुलूक करने और उनकी फ़रमाँ बरदारी और ख़िदमत करने की कमा हक़्क़हू तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।

इस्लामी ख़ानदान में रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी

ख़ानदानी निज़ाम को तरक़्क़ी व सुकून से हमकिनार करने वाली चीज़ सिला रहमी भी है। वालिदैन के साथ दादा-दादी, नाना- नानी, चचा-चची, फूपा-फूपी, ख़ाला-ख़ालू, मामूँ-मुमानी, भाई-बहन और इनके अलावा क़रीब व दूर के रिश्तेदारों के साथ हुसने सुलूक करने और उनके साथ ख़ुशी व मसर्रत में शिरकत करने और उनके ग़म को हलका करने की इस्लाम ने ताकीद की है। आपसी हुसने सुलूक और सिला रहमी से एक दूसरे को सुकून और मदद मिलती है और आपसी तआवुन से एक दूसरे के काम बनते चले जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिश्तेदारों के साथ हुसने सुलूक का हुक्म दिया है। इरशादे बारी तआला है-

''तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक न करो और वालिदैन के साथ अच्छा मामला करो और अहले क़राबत के साथ भी और यतीमों के साथ भी और ग़रीबों के साथ भी और पास वाले पड़ोसी के साथ भी और हम मजलिस के साथ भी और राहगीर के साथ भी और अपने ग़ुलाम व बांदी के साथ भी।'' (सूरह निसा : 36)

दूसरी जगह इरशाद फ़रमाया :

''और क़राबतदार को उसका हक़ (माली व ग़ैर माली) देते रहना और मोहताज व मुसाफ़िर को भी देते रहना और (माल को) बेमौक़ा मत उड़ाना।'' (सूरह बनी इस्राईल : 26)

एक मुसलमान के मालो दौलत के बेहतरीन मुस्तहिक़ वालिदैन

के बाद उसके रिश्तेदार हैं।

''आप फ़रमा दीजिये कि फ़ायदे की जो चीज़ तुम ख़र्च करो तो वह अपने माँ-बाप, क़राबत वालों, यतीमों और ग़रीबों के लिए है।'' (सूरह बक़रा : 215)

अगर किसी रिश्तेदार से कोई तकलीफ़ पहुँच जाये तब भी अपनी दौलत उस पर ख़र्च करने से दरेग़ न किया जाये।

''और जो लोग तुम में बड़ाई और कशाइश वाले हों वह अहले क़राबत को और मिस्कीनों को, अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को देने से क़सम न खा बैठें।'' (सूरह नूर : 22)

इब्ने कसीर ने इस आयत की तफ़सीर में लिखा है -

''तुम में से जो कुशादा रोज़ी वाले साहिबे मक़दिरत हैं, सदक़ा और एहसान करने वाले हैं, उन्हें इस बात की क़सम नहीं खानी चाहिए कि वह अपने क़राबतदारों को, मिस्कीनों को, मुहाजिरों को कुछ देंगे ही नहीं। इस तरह उन्हें मुतवज्जेह फ़रमाकर फिर और नर्मी करने के लिए फ़रमाया, उनकी तरफ़ से कोई क़सूर भी सरज़द हो गया तो उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। उनसे कोई बुराई या तकलीफ़ पहुँची हो तो उनसे दरगुज़र करना चाहिए। यह भी अल्लाह का हुक्म व करम और लुत्फ़ व रहम है कि वह अपने नेक बन्दों को भलाई ही का हुक्म देता है। यह आयत हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में उतरी है। जब आपने मुसत्तह बिन असासा के साथ किसी क़िस्म का सुलूक करने से क़सम खा ली थी, क्योंकि बोहताने सिद्दीक़ा में यह भी शामिल थे।'' (तफ़सीर इबने कसीर जिल्द 3, स. 50, सूरह नूर : 22)

सिला रहमी के मुताल्लिक़ अहादीसे मुबारका कसरत से हैं। कुछ हदीसें यहाँ ज़िक्र की जा रही हैं।

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु

अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : जिसको यह पसंद हो कि उसकी रोज़ी में वुसअत हो और उसकी उम्र में बरकत हो तो उसको चाहिए कि सिला रहमी करे। (अत्तरग़ीब वत्तरहीब जिल्द 3, स. 334)

हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : रहमे इंसानी अर्शे इलाही को पकड़ कर कहता है कि जिसने मुझे जोड़ा उसको अल्लाह जोड़ेगा और जिसने मुझे तोड़ा, उसको अल्लाह तोड़ेगा। (मुस्लिम, हदीस नं. 2555)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि सिला रहमी का कमाल यह नहीं है कि जो बदले के तौर पर सिला रहमी का जवाब सिला रहमी से दे बल्कि जो क़ता रहमी करता है उसके साथ भी सिला रहमी का मामला किया जाये। (बुख़ारी, अत्तरग़ीब वत्तरहीब जिल्द 3, स. 240)

क़त रहमी करने वालों का ठिकाना जहन्नम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : क़ता रहमी करने वाला जन्नत में दाख़िल नहीं होगा। (सही मुस्लिम हदीस नं. 2556)

इन तालीमात से यह बात रोज़े रौशन की तरह अयाँ हो गई कि इस्लाम ऐसे ख़ानदान और मुआशरे को वुजूद में लाना चाहता है जिनके अन्दर हुस्ने सुलूक और सिला रहमी और आपसी मुहब्बत व ताल्लुक़ की फ़िज़ा क़ायम हो और हर एक अपना मुस्तक़िल वुजूद रखने के बावजूद एक दूसरे का मुईनो मददगार बन जाये।

इस्लामी ख़ानदान में पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक

इस्लामी उसूल के मुताबिक़ तशकील पाने वाले ख़ानदान अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर सुलूक करते हैं। उसके असरात व फ़वाइद से क़ुर्बो जवार के ख़ानदान मुस्तफ़ीद होते हैं। धीरे-धीरे अमनो अमान और सुकूनो राहत की फ़िज़ा आम होती चली जाती है। पड़ोसी ऐसे ख़ानदान पर भरोसा करके बिला ख़ौफ़ो ख़तर तिजारत या किसी और ग़रज़ से सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। इस दौरान उसकी बीवी की अस्मत व इज़्ज़त की हिफ़ाज़त होती है। अगर कोई अचानक वाक़िआ पेश आ जाये तो उसकी मदद की जाती है। इसी तरह पड़ोसियों के बच्चे उस मिसाली ख़ानदान के बच्चों के साथ रहकर अच्छी आदतों के आदी बन जाते हैं।

इस्लाम में पड़ोसियों के मुताल्लिक़ मुफ़स्सल और आदिलाना क़वानीन मौजूद हैं। अल्लाह ने अपने बन्दों को पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक करने का हुक्म दिया है।

''तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक न करो और वालिदैन के साथ अच्छा मामला करो और अहले क़राबत के साथ भी और यतीमों के साथ भी और ग़रीबों के साथ भी और पास वाले पड़ोसी के साथ भी और दूर वाले पड़ोसी के साथ भी और हम मजलिस के साथ भी और राहगीर के साथ भी और जो तुम्हारे मालिकाना क़ब्ज़े में हैं और बेशक अल्लाह तआला ऐसे लोगों से मुहब्बत नहीं रखते जो अपने को बड़ा समझते और शैख़ी की बातें करते हों।'' (सूरह निसा : 36)

हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशादे गिरामी है – "ख़ुदा की क़सम वह मोमिन न होगा खुदा की क़सम वह मोमिन न होगा, ख़ुदा की क़सम वह मोमिन न होगा। पूछा गया कौन? ऐ अल्लाह के रसूल! फ़रमाया : वह जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से महफ़ूज़ नहीं।" (बुख़ारी जिल्द 4, स. 53)

दूसरे मौक़े पर फ़रमाया : "जो शख़्स ख़ुदा और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो वह अपने पड़ोसी को तकलीफ़ न दे।" (बुख़ारी जिल्द 4, स. 54)

पड़ोसी रिश्तेदार हो या ग़ैर रिश्तदार, मुस्लिम हो या ग़ैरमुस्लिम, उनके साथ हुसने सुलूक करने और उनकी परेशानी दूर करने की इस्लाम ने ताकीद की है। क़ुरआन व हदीस के मुताले के बाद यह बात सामने आती है कि पड़ोसी का हक़ रिश्तेदार के क़रीब-क़रीब है। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया –

"मुझे जिब्राईल पड़ोसी के साथ नेकी करने की इतनी ताकीद करते रहे कि मैं समझा कि वह उसको पड़ोसी के तरके का हक़दार बना देंगे।" (बुख़ारी जिल्द 4, स. 53)

वह हरगिज़ मोमिन कहलाने का मुस्तहिक़ नहीं जिसका पड़ोसी भूका हो या किसी परेशानी में मुब्तिला हो, ख़ुद चैनो आराम की ज़िन्दगी गुज़ार रहा हो, ऐसे शख़्स के मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : "मोमिन वह नहीं है जो ख़ुद शिकम सैर हो, जबकि उसका पड़ोसी भूका हो।" (अल अदबुल मुफ़रद स. 54)

बल्कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़राइज़ के साथ नवाफ़िल व सदक़ात को पाबंदी के साथ अदा करने वाली औरत को जहन्नमी क़रार दिया जिसकी ज़बान से उसके पड़ोसी को तकलीफ़ पहुँचती थी।

अबू यहया मौला जादा बिन हुबैरा से रिवायत है कि मैंने हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु को यह कहते हुए सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि ऐ अल्लाह के रसूल! फ़लाँ रात को नमाज़ अदा करती है और दिन में रोज़े रखती है और सदक़ा व ख़ैरात करती है लेकिन वह अपने पड़ोसी को अपनी ज़बान से तकलीफ़ पहुँचाती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : उसके अन्दर कोई ख़ैर नहीं है, वह दोज़ख़ियों में से है। उन लोगों ने कहा फ़लाँ औरत फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ती है और सदक़ा करती है लेकिन किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : वह जन्नतियों में से है। (अल अदबुल मुफ़रद स. 56)

हर मुसलमान पर वाजिब है कि वह दूसरे की जानो माल और इज़्ज़त को पामाल न करे और उसके लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। लेकिन पड़ोसी की इज़्ज़त को एक मर्तबा पामाल करना दस मर्तबा पामाल करने के बराबर है।

ज़िना हराम है लेकिन दस बदकारियों से बढ़कर बदकारी यह है कि कोई अपने पड़ोसी की बीवी से बदकारी करे। चोरी हराम है लेकिन दस घरों में चोरी करने से बढ़कर यह है कि कोई अपने पड़ोसी के घर से कुछ चुरा ले।

हज़रत मिक़दाद बिन असवद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से ज़िना के मुताल्लिक़ सवाल किया, तो सहाबए किराम ने कहा कि हराम है। इसको अल्लाह और उसके रसूल ने हराम क़रार दिया है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : "आदमी दस औरतों से ज़िना करे यह अपने पड़ोसी की बीवी से ज़िना करने से कमतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चोरी के मुताल्लिक़ पूछा तो सहाबा ने कहा

हराम है, इसको अल्लाह व उसके रसूल ने हराम क़रार दिया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : कोई दस घरों में चोरी करता है, यह उससे कमतर है कि वह पड़ोसी के घर में चोरी करे।'' (अल अदबुल मुफ़रद स. 52)

पड़ोसियों के दरमियान मुहब्बतो ताल्लुक़ में इज़ाफ़े का बेहतरीन ज़रिआ हदिया व तोहफ़ा है। इससे मुहब्बत क़ायम ही नहीं रहती बल्कि दिन बदिन बढ़ती भी रहती है। हदिया के लिए किसी अहम और क़ीमती चीज़ की ज़रूरत नहीं बल्कि मामूली चीज़ भी भेजी जा सकती है। कुछ न हो तो गोश्त का शोरबा भी काफ़ी है अगरचे ज़्यादा पानी बढ़ाकर क्यों न हो। हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया:

''ऐ अबू ज़र! जब तुम शोरबादार गोश्त बनाओ तो उसके शोरबे को ज़्यादा कर दो और अपने पड़ोसी की देखरेख करो।'' (मुस्लिम जिल्द 4, स. 2025, हदीस 2625)

एक मर्तबा हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :

''ऐ मुसलमान औरतों! तुम में से कोई पड़ोसन अपनी पड़ोसन के लिए हक़ीर न समझे अगरचे बकरी का खुर ही क्यों न हो।'' (बुख़ारी जिल्द 4, स. 52)

इस्लाम ने मोमिनों को पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक करने पर जन्नत की ख़ुशख़बरी दी है। एक मोमिन हरगिज़ इस बात को गवारा नहीं कर सकता है कि कोई ऐसा अमल छूट जाये जिस पर अजरो सवाब मुतअय्यन है। एक मुस्लिम ख़ानदान के पड़ोस में रहने वालों को हर तरह सुकून व इत्मीनान और मदद व तआवुन हासिल होता है और उस ख़ानदान के भरोसे पर उनके लिए लम्बे सफ़र पर जाना भी आसान हो जाता है लिहाज़ा ऐसे इस्लामी ख़ानदान जो मज़कूरा औसाफ़ के हामिल हों, पूरे आलम के लिए अमनो सुकून और तरक़्क़ी व कामरानी का बाइस हैं।

यतीमों, बेवाओं और कमज़ोरों व मजबूरों की किफ़ालत

इस्लामी ख़ानदान में यतीम, बेवा, माज़ूर और अपनी ज़रूरत के मुताबिक़ रोज़ी न कमाने वालों की ज़रूरत व हाजत पूरी की जाती है और उनकी ज़रूरियात की तकमील के लिए हर मुम्किन कोशिश की जाती है और उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाता है इसलिए कि उस ख़ानदान के अफ़राद के सामने ऐसी ख़ुशख़बरियाँ होती हैं जिनको पाने के लिए हर तरह की क़ुर्बानी देना आसान होता है। आइए! इस सिलसिले में इस्लामी तालीमात का मुताला करें।

यतीम :-

इस्लाम ने यतीमों से मुहब्बत व शफ़क़त करने, उनकी किफ़ालत करने, उनकी ज़रूरियात पूरी करने, उनके आबा के मालो असबाब की हिफ़ाज़त करने, उनकी तालीमो तरबियत की फ़िक्र करने और यतीम लड़कियों की हिफ़ाज़त और मुनासिब जगह पर उनकी शादी कराने की मुसलमानों पर ज़िम्मेदारी डाली है। क़त्ल व ख़ूनरेज़ी और बदअमनी व जंग की वजह से अरब में यतीमों की कसरत थी इसके साथ ही उनके साथ बदसुलूकी और हक़ तलफ़ी व महरूमी आम थी, उनके सरपरस्त उनके बापों के मतरूका जायदाद को उनके जवान होने से पहले ख़त्म कर दते थे, उनके सिलसिले में यह आयत नाज़िल हुई - ''ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि तुम लोग यतीमों की इज़्ज़त नहीं करते और मिस्कीनों के खिलाने पर एक दूसरे को तरग़ीब नहीं देते और (मुर्दों की) मीरास समेट समेट कर खाते हो और दुनिया के मालो दौलत पर जी भर कर रीझते हो।'' (सूरह फ़ज्र : 17-20)

अरब के दस्तूर के मुताबिक़ उनको वरासत से महरूम कर दिया जाता था, इस्लाम ने उनको क़ानून वरासत का हक़ दिया और उनके सरपरस्तों को हिदायत की गई।

''और यतीमों को उनका माल दे दो और पाक व हलाल चीज़ के बदले नापाक और हराम चीज़ न लो और अपने मालों के साथ उनका माल मिलाकर खा न जाओ, बेशक यह बहुत बड़ा गुनाह है।'' (सूरह निसा : 2)

यतीम लड़कियों से निकाह करके उनकी दौलत पर क़ब्ज़ा कर लिया जाये और बेसहारा को सताया जाये, इस ग़रज़ से निकाह करने वालों के लिए हुक्म हुआ -

''अगर तुम्हें डर हो कि यतीम लड़कियों से निकाह करके इंसाफ़ न रख सकोगे तो और औरतों से जो भी तुम्हें अच्छी लगें तुम उनसे निकाह कर लो। दो-दो, तीन-तीन, चार-चार से, लेकिन अगर तुम्हें बराबरी न कर सकने का ख़ौफ़ हो तो एक ही काफ़ी है, या तुम्हारी मिल्कियत की लौण्डी यह ज़्यादा क़रीब है कि (ऐसा करने से नाइंसाफ़ी और) एक जानिब झुक पड़ने से बच जाओ।'' (सूरह निसा: 3)

यतीम बच्चों के माल को पूरा शऊर आ जाने के बाद सुपुर्द कर दिया जाये जैसाकि सूरह निसा में है- ''बे अक़्ल लोगों को अपना माल न दे दो जिस माल को अल्लाह ने तुम्हारी गुज़रान के क़ायम रखने का ज़रिआ बनाया है। हाँ उन्हें इस माल से खिलाओ, पिलाओ, पहनाओ, ओढ़ाओ और उन्हें माक़ूलियत से नर्म बात कहो और यतीमों को उनके बालिग़ हो जाने तक सुधारते और आज़माते रहो, फिर अगर उनमें तुम होशियारी और हुस्ने तदबीर वाला पाओ तो उन्हें उनका माल सौंप दो।'' (सूरह निसा: 5-6)

अल्लामा सैय्यद सुलेमान नदवी तहरीर फ़रमाते हैं-

''इन आयाते पाक में बलाग़त का एक अजीब नुक्ता है। ग़ौर करो कि आयत के शुरू में जहाँ मुतवल्लियों को ना समझ यतीमों के माल को अपने पास संभालकर रखने का हुक्म है, वहाँ उनकी निस्बत मुतवल्लियों की तरफ़ है कि तुम अपना माल उनको न दो और आयत के आख़िर में जहाँ बुलूग और सिन्ने रुश्द के बाद मुतवल्लियों को यतीमों को माल वापस कर देने का हुक्म है। वहाँ इस माल की निस्बत यतीमों

की तरफ़ की कगई है कि तुम उनका माल उनको वापस कर दो। इससे यह ज़ाहिर होता है कि जब तक यह अमानत मुतवल्लियों के पास रहे तो उसकी ऐसी ही हिफ़ाज़त व निगेहदाश्त करनी चाहिए जैसे अपने माल की। और जब वापसी की नौबत आये तो इस तरह एक एक तिनका तक चुनकर वापस किया जाये जैसा किसी ग़ैर का माल दयानत के साथ वापस किया जाता है, जिस पर तुम्हारा कोई हक़ नहीं।'' (सीरतुन्नबी जिल्द 6, स. 291)

यतीमों का माल उनके सुपुर्द करने से पहले मुतवल्लियों को इन अहकाम का पाबन्द रहना चाहिए।

''और उनके बड़े हो जाने के डर से उनके मालों को जल्दी जल्दी फ़ुज़ूल ख़र्चियों में तबाह न कर दो। मालदारों को चाहिए कि (उनके माल से) बचते रहें। हाँ मिस्कीन मोहताज हो तो दस्तूर के मुताबिक़ वाजिबी तौर से खा ले, फिर जब उन्हें सौंपो तो गवाह बना लो, दर असल हिसाब लेने वाला अल्लाह तआला ही काफ़ी है।'' (सूरह निसा : 6)

कुछ हदीसें यतीमों के मुताल्लिक़ पेश की जा रही हैं जिनसे यह बात वाज़ेह हो जायेगी कि नबीए रहमत हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीमों से किस क़दर हमदर्दी व मुहब्बत थी। एक मौक़े पर हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :

''मैं और किसी यतीम की किफ़ालत करने वाला जन्नत में यूँ दो उंगलियों की तरह क़रीब होंगे।'' (बुख़ारी जिल्द 4, स. 52)

मुहब्बत के साथ यतीम को घर बुलाकर खाना खिला देना भी जन्नत में ले जाने वाला अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : ''जो किसी यतीम बच्चे को अपने घर बुलाकर लाये और उसको खिलाए तो अल्लाह तआला उसको जन्नत की नेमत अता करेगा बशर्तेकि उसने ऐसा कोई गुनाह न किया हो जो बख़्शाइश के लाइक़ न हो।'' (अत्तरग़ीब वत्तरहीब जिल्द 2, स. 132-133)

मुसलमानों का सबसे बेहतर घर वह है जिसमें किसी यतीम के

साथ हुसने सुलूक किया जाता है। हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : ''मुसलमानों का सबसे अच्छा घर वह है जिसमें किसी यतीम के साथ भलाई की जा रही हो और सबसे बदतर घर वह है जिसमें किसी यतीम के साथ बदसुलूकी की जाती हो।'' (अल अदबुल मुफ़रद स. 63)

इन तालीमात का नतीजा था कि सहाबए किराम का एक एक घर यतीमख़ाना बन गया। रिवायत में आता है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा का यह हाल था कि वह किसी यतीम को साथ लिये बग़ैर कभी खाना नहीं खाते थे। (अल अदबुल मुफ़रद स. 63)

बेवा :-

इस्लाम ने बेवा को समाज में अहम मुक़ाम अता करते हुए अपनी मर्ज़ी से शादी करने, चार महीने दस दिन सोग मनाने के बाद ज़ेबो ज़ीनत इख़्तियार करने का हक़ दिया और शौहर के अज़ीज़ों की जबरी मातहती से आज़ाद किया, इसके साथ ही उसको शौहर से दैन महर और मतरूका माल में औलाद की मौजूदगी में आठवाँ हिस्सा और औलाद न होने की सूरत में चौथा हिस्सा पाने का हक़ दिया और अपने बच्चों की परवरिश व निगेहदाश्त पर जन्नत की ख़ुशख़बरी सुनाई।

उम्मते मुस्लिमा के हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है कि उनकी ज़रूरियात पूरी करें और इज़्ज़तो सुकून के साथ ज़िन्दगी गुज़ारने के मवाक़े फ़राहम करें। यह काम बड़े सवाब का ज़रिआ है।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : ''मिस्कीन व बेवा की दस्तगीरी व तआवुन करने वाला मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह की तरह है। मेरा ख़्याल है कि फ़रमाया वह मुसलसल इबादत करने और लगातार रोज़े रखने वाले की तरह है।'' (मुस्लिम शरीफ़ हदीस नं. 2982, तिरमिज़ी जिल्द 4, स. 205)

इस दौड़ो धूप में मुआशरे की बेवा औरतों के लिए मुनासिब जगह शादी करा देने का हुक्म भी शामिल है ताकि वह सुकूनो इत्मीनान

के साथ ज़िन्दगी गुज़ार सकें और शैतान के मकरो फ़रेब से महफ़ूज़ रह सकें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाता है– ''और अपने में से बेशौहर वाली औरतों का निकाह कर दो।''

ज़रूरतमंद :–

हाजतमंद, कमज़ोर व बेबस तबक़े पर इस्लाम ने ख़ुसूसी तवज्जो दी है, इसको मुआशरे में क़ाबिले क़द्र बनाया और उनके मसाइल को हल करने की बेहतर तदबीर व कोशिश की है और हुकूमत व मालदारों को उनकी ज़रूरत पूरी करने और उनके मसाइल हल करने का पाबन्द बनाया है।

अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाता है –

''जिन (मुसलमानों) के मालों में माँगने वालों और महरूम के लिए हक़ है।'' (सूरह ज़ारियात : 19)

महरूम से मुराद वह मुसीबतज़दा है जिसकी कमाई या खेती पर कोई आसमानी उफ़ताद पड़ गई हो और अब वह दूसरों की मदद का मोहताज हो गया हो। इस माना की ताईद अहले लुग़त और बाज़ अहले तफ़सीर के बयान और क़ुरआन से होती है।

सूरह ज़ारियात में हक़ से मुराद सदक़ा और माली इमदाद है जबकि सूरह मआरिज में मुक़र्ररह हक़ से मुराद ज़कात है लिहाज़ा ऐसे हाजतमंदों की जिन पर कोई मुसीबत और उफ़ताद पड़ी है, उनकी ज़कात और सदक़ात से मदद की जाये।

अपनी ज़रूरत लेकर आने वाले के साथ अच्छा बर्ताव किया जाये, अगर ताक़त हो तो मदद कर दी जाये वरना सलीक़े से माज़िरत कर ली जाये या दूसरों से उनकी ज़रूरत पूरी करा दी जाये। साइल के साथ बदसुलूकी करना और उनको झिड़क देना ममनू है। अल्लाह तआला फ़रमाता है – ''और साइल (फ़क़ीर) को मत झिड़किए।'' (सूरह अज़्ज़ुहा : 10)

नेकी के कामों में दूसरों की मदद की जाये, गुनाह और ज़ियादती के कामों में किसी की मदद न की जाये। सूरह मायदा में हैं –

''और नेकी व परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो और गुनाह व ज़ियदती के कामों में एक दूसरे के मददगार न बनो और डरो अल्लाह से, बेशक अल्लाह सख़्त अज़ाब देने वाला है।'' (सूरह मायदा : 2)

जो कोई क़यामत की परेशानियों को दूर करना चाहता है, उसको चाहिए कि अपने भाई की परेशानी को दूर कर दे।

''हज़रत सालिम रज़ियल्लाहु अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : मुसलमान मुसलमान का भाई है, तो वह न उस पर ज़ुल्म करे और न उसको दुश्मन के हवाले करे, जो कोई अपने भाई की ज़रूरत पूरी करने में रहेगा तो ख़ुदा उसकी ज़रूरत पूरी करेगा, जो कोई किसी मुसलमान की मुसीबत को दूर करेगा तो ख़ुदा उसके बदले क़यामत की मुसीबतों में से किसी मुसीबत को उससे दूर फ़रमा देगा।'' (सही मुस्लिम जिल्द 4, स. 1996, हदीस 2580)

एक दूसरे मौक़े पर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया – ''अल्लाह तआला अपने बन्दे की मदद में रहता है जब तक कि वह बन्दा अपने भाई की मदद में रहेगा।'' (मुसनद अहमद बिन हम्बल जिल्द 2, स. 274)

सही बुख़ारी में है कि जब आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई साइल या ज़रूरतमंद आता तो आप सहाबा से फ़रमाते कि तुम सिफ़ारिश करो तो तुम्हें भी सवाब मिलेगा। (बुख़ारी जिल्द 4, स. 55)

हर मुसलमान पर लाज़िम है कि ज़रूरतमंदों और बेकसों की दिल खोलकर मदद करे, अगर ताक़त न हो तो दूसरों से उनकी ज़रूरत पूरी करा दे, वरना उनसे हमदर्दी का मामला करे और अपनी ज़ात से हत्तल मक़दूर दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करे। बुख़ारी में है,

हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु लैहि वसल्लम ने फ़रमाया : ''हर मुसलमान पर सदक़ा आइद होता है, लोगों ने अर्ज़ किया, अगर उसके अन्दर गुंजाइश न हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तो वह अपने दोनों हाथों से मेहनत व मज़दूरी करे, इस तरह अपने को फ़ायदा पहुँचाये और सदक़ा भी करे। लोगों ने अर्ज़ किया, अगर उसके अन्दर इसकी भी ताक़त न हो या वह ऐसा न कर सके (रावी को शक है), आपने फ़रमाया तो वह किसी ज़रूरतमंद आफ़तज़दा की मदद करे। लोगों ने अर्ज़ किया, अगर वह यह भी न कर सके, आपने फ़रमाया तो वह नेकी का हुक्म दे, या आपने फ़रमाया भलाई का हुक्म दे (रावी को शक है), एक शख़्स ने फिर पूछा कि अगर वह यह भी न कर सके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, वह बुराई स बाज़ रहे कि यह भी उसके लिए सदक़ा है।'' (बुख़ारी जिल्द 4, स. 54)

अलग़रज़ ऐसे ख़ानदान और मुआशरे जिनकी तशकील इस्लामी उसूल और तालीमात के मुताबिक़ हुई हो वह अपने अफ़रादे ख़ानदान और रिश्तेदारों के साथ दूसरे ख़ानदान और समाज के लिए बेलौस ख़िदमत करते हैं। यतीमों की तालीमो तरबियत का इन्तिज़ाम करते हैं और उनके लिए रोज़गार फ़राहम करते हैं। यतीम लड़कियों की मुनासिब जगह शादी कराने, बेवाओं और ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात फ़राहम करने और उनके इलाज के लिए हॉस्पिटल क़ायम करने और मुफ़्त दवा व इलाज की सहूलत फ़राहम करने, उनकी रिहाइश और ज़रियाए मआश का मुनासिब नज़्म करने की हर मुम्किन कोशिश करते हैं। जिस्म फ़रोशी, स्मगलिंग और दूसरी बुराईयों से दूर रखने की कोशिश करते हैं।

इस्लामी ख़ानदान में बूढ़े व उमरदराज़ का मुक़ाम

इन्सानी नस्ल में मुख़्तलिफ़ क़बाइल व ख़ानदान, रस्मो रिवाज, मज़हबो मसलक, रंगो नसल, मुल्को वतन हैं लेकिन तमाम तर तफ़रीक़ात के बावजूद कुछ क़दरें मुश्तरक हैं और इंसानी आबादी में उन क़दरों पर अमल होता रहा है। बच्चों पर शफ़क़त व मुहब्बत और बूढ़ों का अदब व एहतराम तमाम क़ौमों और मज़हबों में पाया जाता है और इंसानी समाज में हर उम्र के लोगों के लिए अलग-अलग बर्ताव पाया जाता है लेकिन आज बदलते हालात के साथ बहुत सी पुरानी क़दरें पामाल हो रही हैं। मग़रिबी मुल्कों और उनके नक़्शे क़दम पर चलने वाले समाज में बूढ़े मर्द और औरत पर ज़ुल्मो ज़ियादती पाई जा रही है। उनका अदबो एहतराम, उनकी ख़िदमत व ख़बरगीरी से ख़ुद औलाद दूर होती जा रही है। बूढ़े अपने ही घर से निकलने पर मजबूर हो रहे हैं और सरकारी रिहाइशगाहों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। आए दिन उन पर ज़ियादती की ख़बरें सामने आ रही हैं।

मुस्लिम ख़ानदान व मुआशरे में भी बतदरीज तब्दीलियाँ आ रही हैं। लिहाज़ा ज़रूरी है कि उम्र रसीदा के हुक़ूक़ और उनके अदबो एहतराम और ख़िदमत व ख़बरगीरी के सिलसिले में इस्लामी तालीमात को क़द्रे तफ़सील के साथ लिखा जाए और वाज़ो नसीहत और आपसी मुलाक़ातों में भी बड़ों के अदब व एहतराम को बार बार दोहराया जाये और बच्चों पर शफ़क़त व मुहब्बत और बड़ों के अदब व एहतराम का उमूमी माहौल पैदा किया जाये।

इस्लाम ने छोटों पर शफ़क़तो मुहब्बत करने और उमर रसीदा लोगों की इज़्ज़तो एहतराम का हुक्म दिया है। इस सिलसिले में

अहादीस और असलाफ़ के क़ौलो अमल के नादिर नमूने मौजूद हैं। हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया – ''जो हमारे छोटों पर रहम न करे और बड़ों के हुक़ूक़ को न पहचाने वह हम में से नहीं है।'' (अल अदबुल मुफ़रद स. 129, हदीस नं. 356)

इस हदीस में बड़ों के अदब व एहतराम न करने वालों के लिए सख़्त तंबीह है, ऐसे लोगों का रिश्ता इस्लाम से कमज़ोर है।

नमाज़ एक अहम रुक्न है, इसमें भी बूढ़ों का ख़ास ख़्याल रखा गया है। इन्फ़िरादी नमाज़ में इन्सान को बड़ी सूरत और लम्बी नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है लेकिन जमाअत की नमाज़ में बूढ़े, कमज़ोर और बीमार शरीक होते हैं इसलिए इमाम को हुक्म दिया गया कि आसानी इख़्तियार करें और नमाज़ ज़्यादा लम्बी न करें।

''हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब तुम में से कोई लोगों का इमाम बनकर नमाज़ पढ़ाए तो चाहिए कि हलकी नमाज़ पढ़ाए (यानी ज़्यादा तूल न दे) क्योंकि मुक़तदियों में कमज़ोर, बीमार और बुढ़े भी होते हैं।'' (सही मुस्लिम, हदीस नं. 467, जिल्द 1, स. 341)

हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : ''अल्लाह की अज़मत व एहतराम का तक़ाज़ा यह है कि मुसलमान उमर रसीदा शख़्स का इकराम किया जाये और उस क़ुरआन के हामिल व हाफ़िज़ का जो उसमें ग़ुलू न करने वाला हो और न उसको छोड़ने वाला और आदिल बादशाह का।'' (अल अदबुल मुफ़रद स. 129, हदीस 359)

जिस शख़्स ने उमर रसीदा की इज़्ज़त की, उसका बदला यह है कि बुढ़ापे में उसकी भी इज़्ज़त की जायेगी।

''हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो नौजवान किसी बुढ़े की इज़्ज़त करेगा तो अल्लाह तआला उसके लिए ऐसे शख़्स को मामूर करेगा जो उसके बुढ़ापे में उसकी इज़्ज़त करे।'' (तिरमिज़ी हदीस नं. 2022, जिल्द 4, स. 327)

जो शख़्स इस्लाम के दायरे में रहते हुए बुढ़ा हो जाये और उसके बाल सफ़ेद हो जायें, उसको अल्लाह क़यामत में एक नूर अता फ़रमाएगा, यह उसकी अज़मत और बड़ाई की अलामत होगी जिसकी वजह से वह आम लोगों में मुम्ताज़ होगा।

''हज़रत काब बिन मुर्रा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना कि जो नौजवान इस्लाम में बुढ़ा हो गया, उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगा।'' (सुनन अबू दाऊद हदीस 4843, सुनन तिरमिज़ी हदीस 1634, जिल्द 4, स. 137)

दूसरी रिवायत से मालूम होता है कि अल्लाह तआला उस बुढ़े शख़्स के लिए एक सफ़ेद बाल के बदले एक नेकी अता करेगा और एक गुनाह मिटायेगा।

''हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अल्लाह तआला को शर्म आती है इस बात से कि अपने बन्दे व बन्दी को जबकि वह इस्लाम में बूढ़े हों, अज़ाब दें।'' (कन्ज़ुल उम्माल जिल्द 10, स. 672)

उमर दराज़ की अज़मत व बड़ाई का तक़ाज़ा है कि छोटा सलाम करने में पहल करे और बाज़ रिवायतों में बड़ों के अदब व एहतराम के लिए खड़े होने और हाथ चूमने की बाबत मालूम होता है और उम्मत के दीनदार व मुहज़्ज़ब तबक़े में इसका मामूल पाया जाता है।

जब दस्तरख़्वान पर हर उम्र के लोग जमा हों तो खाना शुरू करने के लिए उम्र में सबसे बड़े से दरख़्वास्त की जाये। नौजवानों को खाना शुरू करने में उमर रसीदा लोगों के शुरू करने का इन्तिज़ार करना चाहिए।

''हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी खाने में शरीक होते तो उस वक़्त तक बर्तन में हाथ नहीं डालते जब तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दस्ते मुबारक बर्तन में न डालें।'' (सही मुस्लिम)

इसी तरह अदब यह है कि खाने से फ़राग़त के बाद उमर दराज़ को सबसे पहले हाथ धोने का मौक़ा दिया जाये या उनका हाथ धुलाया जाये। इसी तरह अपने हर इज्तिमाई काम में अपने बड़ों को शरीक करे, उनसे मशवरा करे, उनकी राय पर अमल करने से कामयाबी मिलती है और यह काम तकमील तक पहुँचता है और उसमें बरकत होती है।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : ''बरकत अकाबिर के साथ है, जो छोटों पर रहम और बड़ों की इज़्ज़त न करे वह हम में से नहीं है।'' (तबरानी, मजमउज़्ज़वाइद 8/15)

हजरत इबने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : ''ख़ैर अकाबिर के साथ है।'' (मजमउज़्ज़वाइद 8/15)

कई अफ़राद जमा हों और उनके सामने कोई चीज़ पेश की जाये तो बड़ों की इज़्ज़तो मर्तबा का ख़्याल रखा जाए। मुस्लिम शरीफ़ में है- ''हज़रत इबने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैंने ख़्वाब में देखा कि मिस्वाक कर रहा हूँ, मेरे पास दो आदमी आये, उनमें से एक दूसरे से बड़ा था तो मैंने छोटे को मिस्वाक पेश किया तो मुझसे कहा गया, बड़े को दीजिये, लिहाज़ा वह मिस्वाक उन दोनों में से जो बड़ा था उसके हवाले कर दी।'' (सही मुस्लिम हदीस नं. 2271)

इस्लाम ने बड़ों की बेहुरमती करने, मज़ाक़ उड़ाने, बुरा भला कहने और उन पर हँसने से मना किया है और बड़ों की तौहीन करने वालों को मुनाफ़िक़ क़रार दिया है। तबरानी अपनी किताब अल

मोजमुल कबीर में हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : ''तीन आदमियों की तौहीन मुनाफ़िक़ ही कर सकता है, एक वह शख़्स जो हालते इस्लाम में बुढ़ापे को पहुँचा हो, और आलिम और आदिल इमाम व बादशाह।''

अलग़रज़ इस्लाम ने उमर रसीदा व बुज़ुर्ग की इज़्ज़त व एहतराम का हुक्म देते हुए उनकी मौजूदगी को मुआशरे के लिए ख़ैरो बरकत का बेहतरीन ज़रिआ क़रार दिया है। एक बुढ़ा शख़्स चाहे किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, उसका कोई भी वतन हो, उसका ताल्लुक़ किसी भी नस्ल व बिरादरी से हो, उसकी इज़्ज़तो तौक़ीर और अदबो एहतराम करने की इस्लाम ने ताकीद की है जो कोई उनकी इज़्ज़त व एहतराम को नाक़ाबिले तवज्जो समझे, उसका इस्लाम से ताल्लुक़ और वाबस्तगी कमज़ोर है। दुनिया में बुढ़े व उमर दराज़ अदबो एहतराम और इज़्ज़त के मुस्तहिक़ हैं और आख़िरत में उनको एक नूर से नवाज़ा जायेगा जो उनके लिए इज़्ज़तो तकरीम का बाइस होगा। अल्लाह हर सफ़ेद बाल के बदले उनको एक नेकी अता करेगा और एक गुनाह को मिटायेगा।

उमर रसीदा बुढ़ों की क़दरो मंज़िलत और इज़्ज़तो एहतराम इससे बढ़कर क्या होगी कि अल्लाह उनको आख़िरत में एक नूर अता फ़रमाएगा जिसकी वजह से वह और लोगों में मुमताज़ होगा, यह उनकी बड़ाई और अज़मत की निशानी होगी। अल्लाह उनको क़दर की निगाह से देखेगा। दुनियावी मुआशरे में भी उनकी मौजूदगी ख़ैरो बरकत का बेहतरीन ज़रिआ है लिहाज़ा उनके अदबो एहतराम, सुकूनो इत्मीनान और उनके हुक़ूक़ की अदायगी के लिए उमूमी तहरीक चलाने की ज़रूरत है। मुसलमानों को इन्सानी बिरादरी के सामने क़ाबिले तक़लीद नमूना पेश करते हुए क़ायदाना रोल अदा करना चाहिए।

इस्लामी ख़ानदान का आम मुसलमानों से बर्ताव

तमाम इंसान हज़रते आदम व हव्वा अलैहिमस्सलाम की औलाद हैं और तमाम मोमिनीन आपस में भाई भाई हैं। उनका रसूल, उनकी किताब और उनका हरम एक है। सभी अपना मुस्तक़िल वुजूद रखने के बावजूद एक हैं और वह एक दूसरे के लिए मददगार हैं।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : ''मोमिन मोमिन के लिए दीवार की तरह है, उनमें का एक दूसरे को ताक़त बख़्शता है।'' (मुस्लिम जिल्द 4, स. 1999, हदीस 2585)

तमाम मोमिनीन मुहब्बतो उलफ़त और शफ़क़त व नर्मी में एक जिस्म की तरह हैं जैसाकि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया – ''आपसी मुहब्बत व हमदर्दी और मेहरबानी करने में ईमान वालों की मिसाल एक जिस्म की तरह है जब उसके किसी हिस्से में तकलीफ़ होती है तो सारा जिस्म बेख़्वाबी और बुख़ार में उसका शरीके हाल रहता है।'' (बुख़ारी जिल्द 4, स. 53)

वही मुसलमान हक़ीक़ी मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक़ है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफ़ूज़ हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :

''मुसलमान वह है जिसकी ज़बान और हाथ के शर से दूसरे मुसलमान महफ़ूज़ रहें और हक़ीक़ी मुहाजिर वह है जो अल्लाह की मना की हुई चीज़ों को छोड़ दे।'' (बुख़ारी जिल्द 1, स. 11)

एक मोमिन के लिए इतना ही काफ़ी नहीं है कि उसकी ज़बान

और हाथ के शर से दूसरे मोमिन को तकलीफ़ न पहुँचे बल्कि कामिल मोमिन वह है जो अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। (बुख़ारी जिल्द 1, स. 12)

इस्लाम एक ऐसे ख़ानदान और मुआशरे को तशकील देता है जिसके अन्दर एक दूसरे का एहतराम हो, उनके क़ुलूब मुहब्बतो उलफ़त, शफ़क़तो रहमत, अमनो सुकून और राहतो आराम से लबरेज़ हों। ''हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : आपस में एक दूसरे से हसद न करो, एक दूसरे पर बढ़ने की हवस न करो, एक दूसरे से बुग़्ज़ो अदावत न रखो, एक दूसरे के पीछे न पड़ो, अल्लाह के बन्दो भाई भाई बनकर रहो, मुसलमान मुसलमान का भाई है, वह उसके साथ ज़ुल्म नहीं करता, उसको धोका नहीं देता, उसको हक़ीर नहीं समझता है। तक़वा यहाँ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन मर्तबा अपने सीने की तरफ़ इशारा फ़रमाया। आदमी के बुरा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वह अपने मुसलमान भाई को हक़ीर समझे। हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान की जान, माल और इज़्ज़त हराम है।'' (मुस्लिम जिल्द 4, स 1986)

किसी मुसलमान के लिए जाइज़ नहीं है कि दुनियावी उमूर की वजह से वह अपने भाई से तीन दिन से ज़्यादा तर्के ताल्लुक़ करे, जिसने अपने भाई से तर्के ताल्लुक़ किया किसी दुनियावी अम्र की वजह से और इसी हाल में मर गया तो वह जहन्नमी है।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : ''किसी मुसलमान के लिए जाइज़ नहीं है कि अपने भाई को तीन दिन से ज़्यादा छोड़ दे जिसने तीन दिन से ज़्यादा अपने भाई को छोड़ दिया और मर गया तो दोज़ख़

में दाख़िल होगा।'' (अबू दाऊद जिल्द 4, स. 281, हदीस 4914)

जब भी दो अफ़राद या दो फ़रीक़ व जमाअत में नफ़रत व अदावत और दूरी व बेगांगी हो जाये तो अस्हाबुर्राय और बा असर हज़रात पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वह हत्तल मक़दूर उनके दरमियान सुलह व सफ़ाई की कोशिश करें। इसलिए कि इरशादे रब्बानी है – ''अपने भाईयों के दरमियान सुलह करा दो और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाये।'' (सूरह हुजरात : 10)

अल ग़रज़ तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और एक जिस्म की तरह हैं। अगर जिस्म का एक हिस्सा तकलीफ़ व मुसीबत में मुब्तिला हो तो तमाम आज़ा उसके साथ तकलीफ़ व मुसीबत में शरीक होते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। इसी तरह तमाम मुसलमानों को आपस में मुहब्बतो उलफ़त, इत्तिहादो इत्तिफ़ाक़, इज़्ज़तो एहतराम और दरगुज़र का मामला करना चाहिए। अगर कभी किसी वजह से बातचीत बन्द हो जाये तो तीन दिन के अन्दर आपसी नाराज़गी व इख़्तिलाफ़ को ख़त्म करके गुफ़्तगू शुरू कर देनी चाहिए। मुआशरे के दूसरे अफ़राद की भी ज़िम्मेदारी है कि जब भी दो अफ़राद या जमाअत में इख़्तिलाफ़ व दूरी हो जाये तो वह उनके दरमियान सुलह व सफ़ाई की हर मुम्किन कोशिश करें।

इस्लामी ख़ानदान का इंसानी बिरादरी के साथ हुसने सुलूक

अल्लाह तआला तमाम आलम का ख़ालिक़ है। उसने अपनी ख़ास हिकमत व मसलिहत के तहत इस कायनात को वुजूद में लाकर उसको हमा क़िस्म की नेमतों और मख़लूक़ात से आरास्ता किया। कायनात और यहाँ की हर चीज़ उसके हुक्म से क़ायम व दायम है। हमारे इल्म के मुताबिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अठारह हज़ार मख़लूक़ात को पैदा फ़रमाया और उनमें इंसान को अशरफ़ुल मख़लूक़ात बनाकर यहाँ के वसाइल और नेमतों से भरपूर फ़ायदा उठाने का मौक़ा दिया। हज़रत आदम व हव्वा सब से पहले इस दुनिया में आए और उनके ज़रिए नसले इन्सानी का सिलसिला क़ायम हुआ। आबादी रोज़ अफ़ज़ूँ बढ़ने लगी।

इंसान शैतान के बहकावे और मक्रो फ़रेब में आकर अपने ख़ालिक़ और मक़सदे हयात को भूल बैठा। लेकिन अल्लाह ने अपने बन्दों पर रहमो करम करते हुए कमो बेश एक लाख चौबीस हज़ार अम्बियाए किराम को उसकी हिदायत व कामयाबी के लिए मबऊस फ़रमाया। सबसे आख़िर में रहमतुल लिल्आलमीन हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फ़रमाकर इस्लाम को कामिल बनाया जैसाकि ख़ुद ख़ालिक़े कायनात ने इसका एलान फ़रमाया – ''आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपना इनआम भरपूर कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रज़ामन्द हो गया।'' (सूरह मायदा : 3)

इस आख़री व तकमीली मज़हब के अव्वलीन मुत्तबेईन सहाबए किराम ने दुनिया में फैलकर इस्लाम को आम करने की हत्तल मक़दूर कोशिश की और दुनिया में आदिलाना निज़ाम क़ायम किया। वक़्त गुज़रने के साथ इस्लाम का दायरा बढ़ता गया और इस्लाम के साये में बड़े-बड़े बादशाह, अमीर, मुफ़स्सिरीन, मुहद्दिसीन, मुजतहिदीन, फ़ुक़हा, सुलहा और हर फ़न के माहिरीन पैदा हुए। इसके साथ ही जिहालत व गुमराही, बद अमनी व ख़लफ़िशार, क़त्ल व ख़ूँरेज़ी और ज़ुल्मो हक़ तलफ़ी का ख़ात्मा हुआ। मज़लूमों और कमज़ोरों को उनका हक़ मिला। इस्लाम के पैरूकारों ने अल्लाह की तमाम मख़लूक़ात के साथ मुहब्बतो रहम का मामला किया।

हर तरह के हुदूदो क़ुयूद से बालातर होकर इन्सानों से मुहब्बतो एहतराम का मामला किया, यहाँ तक कि जानवरों, चरिन्द व परिन्द और शजरो हजर को बिला वजह नुक़सान नहीं पहुँचाया।

सहाबए किराम, ताबेईन, तबा ताबेईन और असलाफ़े उम्मत के नक़्शे क़दम पर उम्मते मुस्लिमा की एक जमाअत हर ज़माने में चलती रही। लोग उनके इल्म, अमल और तक़वा व परहेज़गारी से फ़ैज़याब होते रहे। इस दौरे इन्हितात में भी मुसलमान तमाम इंसानों से अच्छा बर्ताव करते हैं और हर एक के साथ रहमो करम का मामला करते हैं। अलबत्ता एक मोमिन की दिली तमन्ना होती है कि तमाम लोग आग से बच जायें और नूरो हिदायत हासिल करके दोनों जहाँ की कामयाबी पा लें। अल्लाह तआला फ़रमाता है - ''आप अपने रब की राह की तरफ़ इल्म की बातों और अच्छी नसीहतों के ज़रिए बुलाइये और उनके साथ अच्छे तरीक़े से बहस कीजिए, आपका रब ख़ूब जानता है उस शख़्स को भी जो उसके रास्ते से गुम हुआ और वही रास्ते पर चलने वालों को भी जानता है।'' (सूरह नहल : 125)

लेकिन उम्मते मुस्लिमा का काम सिर्फ़ पहुँचा देना है, हिदायत तो अल्लाह के हाथ में है -

''दीन में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं।'' (सूरह बक़रा : 256)

क़ुरआनो हदीस में बारहा तमाम इंसानों को मुख़ातब करते हुए कहा गया है कि तमाम इंसान एक आदम व हव्वा की औलाद हैं। अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाता है- ''ऐ लोगो! अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी को पैदा करके उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दीं। उस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से माँगते हो और रिश्ते नाते तोड़ने से बचो, बेशक अल्लाह तआला तुम पर निगेहबान है।'' (सूरह निसा : 1)

दूसरी जगह फ़रमाया :

''ऐ लोगो! हमने तुम सबको एक (ही) मर्द व औरत से पैदा किया है और इसलिए कि तुम आपस में एक दूसरे को पहचानो, कुंबे और क़बीले बना दिये हैं, अल्लाह के नज़दीक तुम सब में से बाइज़्ज़त वह है जो सबसे ज़्यादा डरने वाला है।'' (सूरह हुजरात :13)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :

''अल्लाह ने तुमसे दूर कर दिया जाहिलियत के घमन्ड को और अपने आबा व अजदाद के नाम पर एक दूसरे से बड़ा बनने को। अब तो दो ही तरह के लोग हैं। मोमिन अल्लाह से डरने वाला और बदकार बदबख़्ती का मारा हुआ। सारे इंसान आदम की औलाद हैं और आदम मिट्टी से बने हैं।'' (तिरमिज़ी जिल्द 5, स. 691)

तमाम इंसान एक आदम की औलाद हैं, लिहाज़ा बहैसियत इंसान एक दूसरे का अदब व एहतराम और ख़ैरख़्वाही व मदद का मामला होना चाहिए।

रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : ''तमाम मख़लूक़ अल्लाह का घराना है, पस ख़लक़े खुदा में सबसे ज़्यादा महबूब उसके नज़दीक वह है जो उसके घराने के साथ अच्छा बर्ताव करे।'' (मिश्कात)

अल्लाह अपने बन्दे की मदद में रहता है जब तक बन्दा अपने भाई की मदद में रहता है। मुसनद अहमद बिन हम्बल में है – ''अल्लाह अपने बन्दे की मदद में रहता है जब तक कि बन्दा अपने भाई की मदद में रहता है।'' (मुसनद अहमद बिन हम्बल जिल्द 2, स. 274)

तमाम इंसान एक दूसरे की ख़ैरख़्वाही के मुस्तहिक़ हैं और वह एक दूसरे के भाई हैं। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : ''बन्दे तो तमाम ही आपस में भाई भाई हैं।'' (मुसनद अहमद बिन हम्बल जिल्द 4, स. 369)

रसूले रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानों को भाई–भाई क़रार देते हुए फ़रमाया : ''एक दूसरे से अदावत और हसद न करो और न एक दूसरे के पीछे पड़ो, अल्लाह के बन्दो भाई भाई हो जाओ।'' (सही मुस्लिम जिल्द 4, हदीस 1985)

ज़बान से मुहब्बत आम हो और नफ़रत व अदावत ख़त्म हो जाये, ज़बान नेकियों के फैलाने और बुराईयों को मिटाने में गोया हो, अपने हों या पराये हर हाल में ज़बान इंसाफ़ पर क़ायम रहे। सूरह बक़रा में है : ''लोगों से अच्छी बात कहो।'' (सूरह बक़रा : 83)

मुन्सिफ़ाना बर्ताव में क़ौमो मिल्लत, मुल्को वतन और मज़हबो मसलक हाइल नहीं होना चाहिए।

''जिन लोगों ने तुम्हें मस्जिदे हराम से रोका था उनकी दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा न करे कि तुम हद से गुज़र जाओ।'' (सूरह मायदा : 2)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : ''रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है। रहम करो उन पर जो ज़मीन में हैं, तुम पर रहम करेगा वह जो आसमान में है।'' (तिरमिज़ी जिल्द 4, स. 285)

इसी मफ़हूम को किसी शाइर ने यूँ अदा किया है –

करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर
ख़ुदा मेहरबाँ होगा अर्शे बरीं पर

वह शख़्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वह तमाम इंसानों से सिर्फ़ ख़ुदा के लिए प्यार न करे।

''हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अनहु फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : तुम में से कोई उस वक़्त तक पूरा मोमिन नहीं होगा जब तक कि वह और लोगों के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है और जब तक कि वह आदमी सिर्फ़ ख़ुदा के लिए प्यार न करे।'' (मुसनद अहमद बिन हम्बल जिल्द 3, स. 272)

मोमिन के क़ौलो अमल से लोगों को फ़ायदा पहुँचता है और उसकी ज़ात से शर व फ़ितने का अन्देशा नहीं किया जाता। मोमिन दुनियावी अग़राज़ो मक़ासिद से बालातर होकर इख़लास व लिल्लाहियत से अपने हर काम को अन्जाम देता है। मोमिन से तमाम इंसान फ़ैज़याब होते हैं क्योंकि मोमिनीन के पेशे नज़र यह हदीस भी होती है-

''हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अनहु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो मुसलमान कोई दरख़्त लगाएगा या कोई बीज बोएगा, उससे इंसान या परिन्दा भी कुछ खाएगा तो उसका सवाब उस लगाने वाले को मिलेगा।'' (बुख़ारी जिल्द 5, स. 2)

अल ग़रज़ तमाम इंसान आदमो हव्वा की औलाद हैं। उनमें से हर एक की जान व माल और इज़्ज़तो आबरू दूसरे के लिए मोहतरम है। एक दूसरे से हमदर्दी व ग़मख़्वारी की जानी चाहिए और बहैसियत इंसान एक दूसरे के साथ रहमो करम का मामला करना चाहिए। अलबत्ता कोई अपनी जान और माल को ख़ुद ही मुबाह कर ले तो अलग हुक्म है। मुस्लिम ख़ानदान तमाम इंसानी बिरादरी के साथ बेहतर सुलूक करते हैं और अपने क़ौलो अमल से बिला वजह किसी को नुक़सान नहीं पहुँचाते हैं।

इस्लामी ख़ानदान में मीरास की मुंसिफ़ाना तक़सीम

इस्लाम ने इज्तिमाई तकाफ़ुल के निज़ाम को मुस्तहकम व मरबूत बनाने के लिए वरासत के आदिलाना निज़ाम को क़ायम किया है। इसके ज़रिए मूरिस की दौलत व जायदाद उसके रिश्तेदारों में क़ुरबत व दूरी के लिहाज़ से अलग अलग हिस्सों के मुताबिक़ तक़सीम हो जाती है। इसके ज़रिए दौलत एक हाथ में रहने के बजाय मुतअद्दद अफ़राद तक पहुँचकर ज़्यादा सूदमंद और नाफ़े हो जाती है जिससे मोहताजी व तंगदस्ती और ग़रीबी व मुफ़्लिसी में कमी आ जाती है। इस्लामी ख़ानदान में तर्के की तक़सीम इस्लामी शरीअत के मुताबिक़ होती है। तक़सीम के वक़्त अगर ऐसे रिश्तेदार आ जाते हैं जिनका इस तरके में हिस्सा नहीं होता है तो वह उनको भी कुछ दे देते हैं।

"और जब (वारिसों में तरके के) तक़सीम होते वक़्त आ मौजूद हों रिश्तेदार (दूर के) और यतीम व ग़रीब लोग तो उनको भी उस (तरके) में से कुछ दे दो और उनके साथ ख़ूबी के साथ बात करो।" (सूरह निसा : 8)

तरके की तक़सीम में सबसे क़रीबी रिश्तेदार को अव्वलियत व तरजीह हासिल होती है ताकि तरका आसानी से तक़सीम हो जाये। इसके साथ ही इस बात को मद्दे नज़र रखा गया है कि जो सब से ज़्यादा ज़रूरतमंद हो उसको ज़्यादा हिस्सा दिया जाये। मरने वाले की औलाद को ज़्यादा हिस्सा दिया गया जबकि उसके वालिदैन को कम हिस्सा दिया गया है। इसकी वजह यह है कि वालिदैन की बनिस्बत बेटे और बेटियों की ज़रूरत ज़्यादा है। मुस्तक़बिल में उन्हें मालो दौलत की ज़्यादा ज़रूरत होगी और मुस्तक़बिल के कई चैलेंजों का सामना करना पड़ेगा जबकि वालिदैन इन मराहिल से गुज़र चुके हैं। इसी तरह इस्लाम ने आठ क़िस्म की औरतों को तरके में शरीक किया जबकि इस्लाम से

पहले दूसरे मज़हबों और क़बाइली और मुल्की क़वानीन में औरतें मीरास पाने से महरूम रहती थीं। उनके यहाँ उसूल यह था कि जो जंग में अपनी बहादुरी व जवाँमर्दी का मुज़ाहिरा कर सके, वही मालो दौलत का ज़्यादा हक़दार है। तुर्फ़ा यह कि औरतें ख़ुद मीरास में तक़सीम हो जाती थीं।

मोहम्मद अबू ज़ोहरा अपनी मशहूर किताब 'इंसानी मुआशरा इस्लाम के साये में' लिखते हैं – ''तमाम इंसाफ़ पसंद उलमाए क़ानून जिन्होंने इस्लाम का मुताला इस हैसियत से किया है कि उसे समझें और उसकी रूह को पाने की कोशिश करें, इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इस्लाम का निज़ामे विरासत बेहतरीन निज़ामे विरासत और तमाम निज़ामों से ज़्यादा अद्लो इंसाफ़ पर मबनी है। दुनिया का कोई क़ानून नहीं जो अदलो इंसाफ़ में उसकी हमसरी कर सके या उसके क़रीब भी पहुँचता हो।''

जोज़फ़ लोबोन इस हक़ीक़त का एतराफ़ इस तरह करता है – ''वरासत के उसूल जिन्हें क़ुरआन ने बयान किया है, बेइन्तिहा अदलो इंसाफ़ पर मबनी हैं। इस सिलसिले में हम जो आयतें नक़ल कर रहे हैं उनको देखकर ही एक शख़्स बआसानी इसका अंदाज़ा लगा सकता है। हालांकि यह एक इजमाली ख़ाका है जिसमें बाद के फ़ुक़हा व मुफ़स्सिरीन ने बेशुमार इज़ाफ़े किये हैं। क़ुरआन ने जो कुछ बयान किया है उसकी हैसियत उमूमी अहकाम से ज़्यादा नहीं। आगे यही मुसन्निफ़ कहता है, ताहम अगर उनके दर्मियान और फ्रांस व बर्तानिया में औरतों को दिये गये हुक़ूक़ के दरमियान मुवाज़ना किया जाये तो साफ़ ज़ाहिर है कि शरीअत ने औरत को मीरास के सिलसले में जो हुक़ूक़ दिये हैं, हमारे क़वानीन उसकी नज़ीर पेश करने से क़ासिर हैं।'' (इंसानी मुआशरा इस्लाम के साये में, स. 131)

अलग़रज़ इस्लाम का क़ानूने मीरास दूसरे मज़ाहिब व क़ानून से मुमताज़ और अदलो इंसाफ़ का इल्मी व अमली मुरक़्क़ा है। इसके

आदिलाना क़वानीन में हर हक़दार का जाइज़ हक़ मौजूद है। इस्लाम के क़ानूने मीरास की अहम ख़ुसूसियात यह हैं –

1. मीरास का 3/2 हिस्सा लाज़िमन वरसा के दरमियान तक़सीम होगा।
2. मीरास की तक़सीम क़रीब फिर उससे क़रीब के उसूल पर होगी।
3. मीरास का तीसरा उसूल ज़रूरत की रिआयत है जिनकी ज़रूरियात जितनी सख़्त हैं उसी के मुताबिक़ उन्हें हिस्सा दिया गया है।
4. औरतों और उनसे मुताल्लिक़ तमाम रिश्तेदारों को तरके में हिस्सेदार बनाया।

लिहाज़ा ऐसे ख़ानदान में जहाँ इस्लामी अहकाम के मुताबिक़ दौलतो सरमाया तक़सीम हो, उसमें मोहताजी व तंगदस्ती और ग़रीबी व मुफ़्लिसी में कमी आती है और अमीरी व ग़रीबी का नुमायाँ फ़र्क़ मिटता है। तवील व ख़ूँरेज़ मारका आराईयों से दुनिया महफ़ूज़ रहती है। लेकिन इस्लामी तालीमात के बरख़िलाफ़ दौलतो सरमाये की ग़ैर मुंसिफ़ाना व ग़ैर मुतवाज़िन तक़सीम के नतीजे में आलमी सतह पर जो दिलदोज़ और रूह फ़र्सा वाक़िआत पेश आ चुके हैं और मुस्तक़िल एक सर्द जंग जारी है। उसके ख़ात्मे के लिए ज़रूरी है कि मुस्लिम ख़ानदान और पूरी इंसानियत इस्लामी अहकाम की तरफ़ रुजू करे।

अम्र बिल मारूफ़
व नह्य अनिल मुनकर की तलक़ीन

फ़र्द, ख़ानदान और मुआशरे की अपनी अपनी सतह पर ज़िम्मेदारी है कि वह ख़ुद नेक राह पर चलें और एक दूसरे को नेकी व भलाई की तलक़ीन करें और दुनिया में नूरे हिदायत को फैलाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाता है-

''ज़माने की क़सम, अब तक इंसान सरासर नुक़सान में है सिवाए उन लोगों के जो ईमान लाये और नेक अमल किये और जिन्होंने आपस में हक़ की वसीयत की और एक दूसरे को सब्र की नसीहत की।'' (सूरह अस्र)

इस उम्मत का ख़ुसूसी फ़रीज़ा ही भलाई का हुक्म देना है और बुराईयों से रोकना है। अल्लाह तआला फ़रमाता है :

''तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई हो, भलाई का हुक्म देते हो और बुरी बातों से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो।'' (सूरह आले इमरान : 110)

सूरह तौबा में है - ''मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें आपस में एक दूसरे के (दीनी) रफ़ीक़ हैं। नेक बातों की तालीम देते हैं और बुरी बातों से मना करते हैं और नमाज़ की पाबंदी रखते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह व उसके रसूल का कहा मानते हैं। उन लोगों पर ज़रूर अल्लाह तआला रहमत करेगा। बिला शुब्हा अल्लाह क़ादिरे मुतलक़ है, हिकमत वाला है।'' (सूरह तौबा : 71)

जब अल्लाह तआला इस उम्मत को हुकूमतो सरबराही अता करे तो उसका शिआर क्या होना चाहिए, ख़ालिक़े कायनात ने इसकी वज़ाहत ख़ुद फ़रमा दी है। नीचे दी गई आयत को बार-बार पढ़िए और अल्लाह के इस फ़रमान पर ग़ौर कीजिये- ''यह लोग ऐसे हैं अगर हम

इनको दुनिया में हुकूमत दे दें तो यह लोग (ख़ुद भी) नमाज़ की पाबंदी करें और ज़कात दें और (दूसरों को भी) नेक काम करने को कहें और बुरे कामों से मना करें।'' (सूरह हज : 41)

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया –

''जो शख़्स तुम में से कोई बुराई देखे तो उसको चाहिए कि अपने हाथ से रोक दे और इसकी ताक़त न हो तो ज़बान से रोक दे, अगर इसकी भी ताक़त न हो तो दिल में इस काम से नफ़रत करे और यह ईमान का कमज़ोर तरीन हिस्सा है।'' (मुस्लिम जिल्द 1, स. 69)

अज़ाबे इलाही की वईद :

तिरमिज़ी शरीफ़ में है – ''हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है, तुम लोग ज़रूर लोगों को भलाई का हुक्म देते रहो और बुराई से रोकते रहो, अगर ऐसा न करोगे तो क़रीब है कि अल्लाह तुम पर अपना अज़ाब मुसल्लत कर दे, फिर तुम उस अज़ाब से नजात की दुआएँ माँगोगे और दुआएँ क़ुबूल न होंगी।'' (तिरमिज़ी जिल्द 4, स. 496)

मुन्दर्जाबाला क़ुरआनी आयात और अहादीसे मुबारका से यह बात साबित हो गई कि मुसलमान अपनी और अपने अहलो अयाल की इस्लाह की फ़िक्र करे और बुराईयों से रोकता रहे और नेकी व सब्र की तलक़ीन करता रहे। इसके साथ ही अपने ख़ानदान और समाज में अम्र बिल मारूफ़ व नह्य अनिल मुनकर के फ़रीज़े को अन्जाम देता रहे और ग़ैर मुस्लिमीन तक इस्लाम की रोशनी फैलाने की हर मुम्किन कोशिश करता रहे और अपने अख़लाक़ो किरदार से उनको मुतास्सिर करने और इस्लाम से क़रीब करने की मुसलसल कोशिश करता रहे, वरना इस फ़रीज़े से ग़फ़लत व कोताही बरतने पर इस दुनिया में भी और आख़िरत में भी मुवाख़ज़ा होग। अल्लाह हमें इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अम्र बिल मारूफ़ व नह्य अनिल मुनकर का सच्चा जज़्बा अता फ़रमाए, आमीन।

हर्फ़े आख़िर

इस्लामी ख़ानदान के समरात व बरकात और दौरे हाज़िर में टूटते रिश्ते और बिखरते ख़ानदान के नुक़सानात की तफ़सीलात के बाद यह बात वाज़ेह हो गई कि इस्लाम के ख़ानदानी निज़ाम से ही पाकीज़ा समाज वजूद में आ सकता है और पूरी इंसानियत को मौजूदा मुश्किलात व आलाम से रिहाई मिल सकती है।

दौरे हाज़िर में टूटते रिश्ते और बिखरते ख़ानदानी निज़ाम ने दुनिया से मुहब्बत व सिला रहमी, ईसारो क़ुर्बानी और सुकूनो इत्मीनान को सल्ब कर लिया है। आज का यह इंसान ओहदा व मनसब, दौलतो सरवत और जदीद सहूलियात से आरास्ता होने के बावजूद हैरान व परेशान और सरगरदाँ है और सुकून का मुतलाशी है। क़त्लो ग़ारतगरी, ज़िना व फ़वाहिश, रिश्वत व धोकादेही और मुख़्तलिफ़ जराइम की गरमबाज़ारी है। औलाद वालिदैन की सरपरस्ती से महरूम है। वालिदैन अपनी औलाद की तालीमो तरबियत से ग़ाफ़िल हैं या उनकी मसरूफ़ ज़िन्दगी में इसकी गुंजाइश नहीं है। औलाद अपने वालिदैन से उसी वक़्त तक वाबस्ता रहती है जब तक कि वह उनकी ज़रूरत महसूस करती है। शौहर और बीवी का रिश्ता, रूम पार्टनर की तरह हो गया है। दोनों को अपनी पसंद की ज़िन्दगी गुज़ारने का पूरा हक़ है। कोई किसी के निजी मामलात में दख़ल नहीं देता है। जब तक बात बनती है एक साथ ज़िन्दगी गुज़ारते हैं और जब चाहते हैं इलाहिदा हो जाते हैं। मामूली मामूली बातें भी तलाक़ का बाइस बन जाती हैं।

इस वक़्त जो आलमी हालात हैं ख़ुसूसन यूरोपी ममालिक जिन मुश्किलात से दोचार हैं, उनसे नजात दिलाने के लिए मग़रिबी मुफ़क्किरीन व दानिश्वरान, फ़लाही व समाजी कारकुनान मुख़्तलिफ़

वसाइल व ज़राए से कोशिश कर रहे हैं लेकिन मामला उनके क़ाबू से बाहर हो चुका है। हुकूमत व रिफ़ाही व फ़लाही इदारे और तंज़ीमें बड़े पैमाने पर बुढ़ों के लिए रिहाइशगाह और बच्चों के लिए क़यामगाह क़ायम करने पर मजबूर हैं।

वालिदैन अपनी औलाद की मुहब्बत व ख़िदमत से महरूम अपनी ज़िन्दगी के आख़री अय्याम रोते सिसकते गुज़ारते हैं। दूसरी जानिब लाखों बच्चे अपने वालिदैन की मुहब्बत और मुश्फ़िक़ाना तरबियत से महरूम सरकारी हॉस्टल में पल कर बड़े होते हैं। यही बच्चे बड़े होकर मुख़्तलफ़ि गोशहाय हयात में क़दम रखते हैं, सरकारी ओहदों पर फ़ाइज़ होते हैं और मुल्क के हुक्मराँ बनते हैं। यूं यह ग़ैर तरबियत याफ़्ता अफ़राद इंसानियत के लिए नुक़सानदेह साबित होते हैं। ख़ुदग़र्ज़ी, मफ़ादपरस्ती, मज़हब बेज़ारी और माद्दियत परस्ती उनके रगो रेशे में सरायत कर जाती है।

मग़रिबी ममालिक को बालादस्ती हासिल होने की वजह से आलमी सतह पर उनके अफ़कारो नज़रियात से लोग मुतास्सिर हो रहे हैं और उनकी माद्दी व साइंसी तरक़्क़ी को देखकर उनकी हर अदा को इख़्तियार करने में मशरक़ी ममालिक अपनी कामयाबी व कामरानी समझ रहे हैं। इसलिए जिन मसाइल व मुश्किलात से मग़रिबी दुनिया दोचार है, उन्हीं मसाइल व मुश्किलात से मशरक़ी दुनिया भी दोचार होती जा रही है। अगरचे एक बड़ी तादाद मज़हब और अपने ख़ानदानी तौर तरीक़े और रस्मो रिवाज से वाबस्ता है। लेकिन धीरे-धीरे ऐसे लोंगों की तादाद कम होती जा रही है।

यह भी हक़ीक़त है कि इस्लाम के अलावा दूसरे मज़ाहिब में सालेह और मुतवाज़िन ख़ानदान और पाकीज़ा सोसायटी का वाज़ेह तसव्वुर नहीं पाया जाता है और उनकी ज़िन्दगी में ऐसे रुसूम और

नज़रियात दाख़िल हो चुके हैं कि उनकी मौजूदगी में इंसान को मुकम्मल सुकून और कामयाबी नहीं मिल सकती है। वह पूरी ज़िन्दगी हैरानो परेशान गुज़ार देता है और मक़ासिदे हयात को पाने से महरूम रहते हैं। इन सब के होते हुए वह फिर मग़रिबी अफ़कार व नज़रियात और आदात व मामूलात को अपनाने में ही सुकून व कामयाबी समझते हैं। लेकिन इस्लाम ने फ़र्द के लिए एक मुकम्मल दस्तूरे हयात बनाया है जिसके मुताबिक़ अफ़राद की तालीम व तरबियत की जाती है और जब वह इन सिफ़ात को हासिल करता है जो अफ़राद के लिए ज़रूरी हैं तो उनको सालेह कहा जाता है। ऐसे सालेह अफ़राद से सालेह ख़ानदान वजूद में आता है, फिर सालेह ख़ानदान से सालेह मुआशरा वुजूद में आता है। धीरे-धीरे हर तरफ़ नेकी व भलाई, इबादत व ख़ौफ़े ख़ुदा, इख़लास व लिल्लाहियत, मोहब्बत व सिला रहमी, ईसारो क़ुर्बानी, अमनो अमान, राहतो सुकून और कामरानी व कामयाबी रवाँ-दवाँ हो जाती है।

इस्लाम ने ख़ानदानी निज़ाम को मुस्तहकम करते हुए बड़ों की इज़्ज़त व एहतराम और बच्चों से शफ़क़त व मुहब्बत और उनकी तालीमो तरबियत को मुख़्तलिफ़ पैरायाए बयान में उजागर करके दुनियावी इज़्ज़तो कामयाबी के साथ आख़िरत में नजात व सुरखुरूई का यक़ीन दिलाया। इस सिलसिले में ऐसे मुतवाज़िन व आदिलाना क़वानीन बनाये जिनकी मिसाल दीगर मज़ाहिब और क़वानीन में मिलनी मुश्किल है। इस इन्हितात के दौर में भी मुस्लिम मुआशरे में ख़ानदान के बड़ों को इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखा जाता है और उनके हुक्मों पर चलने को छोटे अपने लिए नेकबख़्ती और सआदत समझते हैं और बड़े भी अपने छोटों से शफ़क़तो मुहब्बत से पेश आते हैं। बीवी अपने शौहर की फ़रमाँबरदारी को अपनी नजात का ज़रिआ समझती है। यही वजह है कि तलाक़ की इजाज़त के बावजूद

मुस्लिम मुआशरे में तलाक़ का फ़ीसद दीगर ममालिक और मज़ाहिब के मुक़ाबले में इन्तिहाई कम है। मग़रिबी ममालिक में तलाक़ का फ़ीसद 48 है जबकि मुस्लिम मुआशरे में तलाक़ का फ़ीसद सिर्फ़ 11 है।

इसी तरह ख़ानदान के बुज़ुर्गों की आख़री ज़िन्दगी आराम व सुकून से गुज़रती है और ख़ानदान के मातहत बच्चों की परवरिश व निगेहदाश्त और तालीमो तरबियत पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाती है लेकिन ऐसे मुस्लिम ख़ानदान जिनका ख़ानदानी निज़ाम इस्लामी तालीमात के मुताबिक़ तशकील नहीं पाया है, उनमें वह सारी ख़राबियाँ दाख़िल हो गई हैं जिन्होंने ग़ैरों के ख़ानदानी निज़ाम के शीराज़े को बिखेर कर सुकूनो इत्मीनान, अदबो एहतराम और बाहमी मुहब्बत व इत्तिफ़ाक़ को सल्ब कर लिया है। ऐसे ख़ानदान न हमारे लिए नमूना हैं और न किसी के लिए मुनासिब है कि वह ऐसे ख़ानदान को नमूने के तौर पर पेश करे और उसको बुनियाद बनाकर इस्लाम और मुसलमानों पर लबकुशाई करे।

हमें अपने ख़ानदान का अज़ सिरे नौ जायज़ा लेना होगा कि क्या इस्लामी तालीमात के मुताबिक़ उसका निज़ाम क़ायम व दायम है। अगर हम अपने ख़ानदान को इस्लामी अहकाम के मुताबिक़ बना लें तो इंशा अल्लाह इससे पाकीज़ा मुआशरा वजूद में आयेगा। यह जहाँ हमारे लिए सुकूनो कामयाबी का बाइस होगा वहीं पूरी इंसानियत के लिए दर्स व नसीहत का ज़रिआ होगा। इन्शा अल्लाह!

मराजे व मसादिर

1. अलक़ुरआनुल मजीद
2. तफ़सीर इब्ने कसीर, दारुल मारिफ़ह, बैरूत, सने इशाअत 1982
3. सहीहुल बुख़ारी, मुसन्निफ़ : अबू अब्दुल्लाह मो. बिन इस्माईल अलबुख़ारी, नाशिर : दारुल मारिफ़ह, बैरूत।
4. सही मुस्लिम, मुसन्निफ़ : मुस्लिम बिन अल हज्जाज अल कुशैरी, नाशिर : दारु इहयाइत्तुरासिल अरबी, बैरूत, सने इशाअत : 1972
5. सुनन अबी दऊद, मुसन्निफ़ : अबू दाऊद सुलैमान बिल अलअशअब, नाशिर : दारुल हदीस, क़ाहिरा, सने इशाअत : 1988
6. सुनन अत्तिरमिज़ी, मुसन्निफ़ : अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा बिन सौरह, नाशिर : दारुल कुतबुल इल्मिया, बैरूत
7. सुनन अन्नसाई, मुसन्निफ़ : अबू अब्दुर्रहमान अहमद अन्नसाई, नाशिर : दारु इहयाइत्तुरासिल अरबी, बैरूत
8. सुनन इबने माजा, मुसन्निफ़ : मो. बिन यज़ीद बिन माजा, नाशिर : अल मकतबतुल इल्मिया, बैरूत
9. अलमुस्तदरक लिलहाकिम, नाशिर : दारुल मारिफ़ह, बैरूत
10. मुसनद अहमद बिन हम्बल, मुसन्निफ़ : इमाम अहमद बिन हम्बल, नाशिर : दारुल फ़िक्रिल अरबी, बैरूत
11. नैलुल औतार, मुसन्निफ़ : मोहम्मद अश्शौकानी, नाशिर : दारुइहयइत्तुरासिल अरबी, बैरूत
12. अल अदबुल मुफ़रद, मुसन्निफ़ : अबू अब्दुल्लाह मो. बिन इस्माईल अलबुख़ारी, नाशिर : आलमुल कुतुब, बैरूत
13. अत्तरग़ीब वत्तरहीब, मुसन्निफ़ : हाफ़िज़ ज़कीउद्दीन अब्दुल अज़ीम बिन अब्दुल क़वी अलमुन्ज़री, नाशिर : दारुल ईमान, बैरूत, सने इशाअत : 1968
14. मजमउज़्ज़वाइद, मुसन्निफ़ : हाफ़िज़ नूरुद्दीन अली बिन अबी बक्र अलहैशमी, नाशिर : दारुल किताबिल अरबी, बैरूत
15. कन्ज़ुल उम्माल, मुसन्निफ़ : अली मुत्तक़ी अलहिन्दी, नाशिर : मुअस्ससतुर रिसाला, बैरूत
16. रद्दुल मुहतार, मुसन्निफ़ : इबने आबिदीन अश्शामी, नाशिर : दारुल कुतुबिल इल्मिया, बैरूत
17. अल फ़िक़्हुल इस्लामी व अदिल्लतुहू, मुसन्निफ़ : वहबतुज़्ज़ुहैली, नाशिर : दारुल फ़िक्र, बैरूत, सने इशाअत : 1985 ई

18. फ़िक़्हुस्सुन्नह, मुसन्निफ़ : अस्सैयद अस्साबिक़, नाशिर : दारुल किताबिल अरबी, बैरूत, सने इशाअत : 1987 ई.
19. अज़्ज़िवाज वत्तलाक़ फ़ी जमीइल अदयान, मुसन्निफ़ : अब्दुल्लाह अलमुराग़ी, नाशिर : लजनतुत्तालीफ़ बिल इस्लाम, सने इशाअत : 1966 ई.
20. किताबुल फ़स्ख़ वत्तफ़रीक़, मुसन्निफ़ : मौलाना अब्दुस्समद रहमानी, नाशिर : मकतबा इमारते शरईया, पटना
21. इस्लाम और जदीद ज़ेहन के शुब्हात, मुसन्निफ़ : मो. क़ुतुब, नाशिर : मरकज़ी मकतबा इस्लामी दिल्ली, सने इशाअत : 1995 ई.
22. सीरतुन्नबी, मुसन्निफ़ : अल्लामा सय्यद सुलेमान नदवी, नाशिर : दारुल मुसन्निफ़ीन, आज़मगढ़, सने इशाअत : 1985 ई.
23. इन्सानी मुआशरा इस्लाम के साये में, मुसन्निफ़ : मो. अबू ज़ोहरा, मुतरजिम : सुल्तान अहमद इस्लाही, नाशिर : मरकज़ी मकतबा इस्लामी दिल्ली, सने इशाअत : 1982 ई.
24. सीरते आयशा रज़ि., मुसन्निफ़ : अल्लामा सय्यद सुलैमान नदवी, नाशिर : दारुल मुसन्निफ़ीन, आज़मगढ़
25. तहज़ीबो तमद्दुन पर इस्लाम के असरात, मुसन्निफ़ : मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी, नाशिर : मजलिसे तहक़ीक़ात व नश्रियाते इस्लाम लखनऊ, सने इशाअत : 1986 ई.
26. मग़रिब से कुछ साफ़-साफ़ बातें, मुसन्निफ़ : मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी, नाशिर : मजलिसे तहक़ीक़ात व नश्रियाते इस्लाम लखनऊ, सने इशाअत : 1973 ई.
27. नई दुनिया (अमेरिक) से साफ़-साफ़ बातें, मुसन्निफ़ : मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी, नाशिर : मजलिसे तहक़ीक़ात व नश्रियाते इस्लाम लखनऊ
28. औरत इस्लाम के साये में, मुसन्निफ़ : मौलाना ख़ालिद सैफ़ुल्लाह रहमानी, नाशिर : मरकज़े दावतो तहक़ीक़, हैदराबाद
29. इस्लाही ख़ुतबात, मुसन्निफ़ : मौलाना मो. तक़ी उस्मानी, नाशिर : कुतुबख़ाना नईमिया, देवबन्द, सने इशाअत : 1996 ई.
30. तरबियतुल औलाद फ़िल इस्लाम, मुसन्निफ़ : अब्दुल्लाह नासेह अलवान, नाशिर : इल्मो इरफ़ान पब्लिशर लाहौर, सने इशाअत : 1998 ई.
31. समाज की तालीमो तरबियत, मुसन्निफ़ : मौलाना सैयद मो. राबे हसनी नदवी, नाशिर : मकतबा इस्लाम गोइन रोड, लखनऊ
32. दो महीने अमेरिका में, मुसन्निफ़ : मौलाना सैयद मो. राबे हसनी नदवी, नाशिर : मजलिसे तहक़ीक़ात व नश्रियाते इस्लाम लखनऊ, सने इशाअत : 1978 ई.

इस्लाहे मुआशरा और इस्लाम

मौलाना मो. शमशाद नदवी   नाशिर : अल हिदाया इस्लामिक रिसर्च सेन्टर, जयपुर

इस किताब में मुआशरे के सुलगते हुए मसाइल का इस्लामी तालीमात की रोशनी में मुफ़स्सल व मुदल्लल हल पेश किया गया है। इस्लाम ने फ़र्द, ख़ानदान और मुआशरे के लिए एक मुतवाज़िन दस्तूरुल अमल बनाया है। सालेह अफ़राद के मजमूए से पाकीज़ा ख़ानदान वुजूद में आता है और पाकीज़ा ख़ानदान से सालेह मुआशरा वुजूद में आता है, लेकिन जब उम्मते मुस्लिमा इस्लामी तालीमात से दूर होती गई तो उनके मसाइल व मुश्किलात में इज़ाफ़ा होता रहा। शिर्को बिदआत, रस्मो-रिवाज और हिन्दुआना तहज़ीब से क़रीब होती गई तो इस्लामी तहज़ीबो तमद्दुन, फ़लाहो कामरानी और मददे ख़ुदावन्दी से दूर होती गई।

लिहाज़ा एक ऐसी किताब की ज़रूरत महसूस की जा रही थी जिसमें इन मौज़ूआत पर किताबो सुन्नत और फ़िक़्हो फ़तावा से इस्तफ़ादा करते हुए क़लम उठाया जाए जो मुस्लिम समाज को घुन की तरह खा रहे हैं। अल्हम्दु लिल्लाह मुसन्निफ़ की इल्मी व तहक़ीक़ी ज़ौक़ और कई साल की मेहनत व अर्क़रेज़ी के बाद एक इल्मी व तहक़ीक़ी किताब मुरत्तब हुई जो उम्दा तबाअत के साथ अल हिदाया इस्लामिक रिसर्च सेन्टर जयपुर से शाय हो चुकी है। यह किताब न सिर्फ़ आम मुसलमानों बल्कि ख़वास, अइम्मा और ख़ुतबा के लिए भी मुफ़ीद व माने है। अपने मौज़ू की यह मुन्फ़रिद किताब हर घर में होना ज़रूरी है।

सफ़हात : 276   क़ीमत : 150

मिलने के पते :

1. अल हिदाया इस्लामिक रिसर्च सेन्टर, जामिअ तुल हिदाया, रामगढ़ रोड, जयपुर। फ़ोन नं. 0141-2174785, 2607221
2. कुतुबख़ाना अज़ीज़िया, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद, दिल्ली-110006
3. अलहरमैन बुक डिपो, मर्कज़ मस्जिद, डॉ. डी. एन. वर्मा रोड, अमीनाबाद, लखनऊ

हिन्दुस्तान में औरतों को दरपेश मसाइल व मुश्किलात

मौलाना मो. शमशाद नदवी

इस किताब में ख़वातीन पर हो रहे मज़ालिम व इस्तिहसाल की दिलदोज़ तफ़सील बयान की गई है। क़ुरआनो हदीस और उलमाए इस्लाम की तहरीरों की रोशनी में उनका हल पेश किया गया है। ख़ुसूसियत से हिन्दुस्तानी औरतों को दरपेश मसाइल व मुश्किलात के अस्बाब व वुजूहात पर भी रोशनी डाली गई है। इस सिलसिले में इस्लामी किताबों के हवालों के साथ अख़बारी ख़बरों, रिपोर्टों और तजज़ियों से भी इस्तफ़ादा किया गया है। यह अपने मौज़ू की मुन्फ़रिद व मुदल्लल किताब है जिसका मुताला हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है जो इस मुल्क से ज़ुल्मो बरबरियत, हक़ तलफ़ी व इस्तिहसाल, रस्मो रिवाज, क़त्लो अस्मतदरी और ख़ुदकुशी और ख़ुदसोज़ी के ख़ात्मे के लिए कोशाँ और फ़िक्रमन्द हैं और इंक़िलाबी क़दम उठाना चाहते हैं। इफ़ादा-ए-आम की

ख़ातिर इसकी रिआयती क़ीमत सिर्फ़ 15 रूपये रखी गई है जो मुन्दर्जाज़ैल मक़ामात से हासिल की जा सकती है–

सफ़हात : 120 क़ीमत : 30 रूपये

मिलने के पते :

1. फ़रीद बुक डिपो, 2158, एम.पी. स्ट्रीट, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली–110002
2. मकतबा नदविया, दारुल उलूम नदवतुल उलमा, लखनऊ
3. मकतबा इमारते शरईया, फुलवारी शरीफ़, पटना (बिहार)

जहेज़ एक नासूर

इस किताब के उर्दू और हिन्दी में तीन एडीशन शाय होकर मक़बूल हो चुके है और अहले नज़र से ख़िराजे तहसीन हासिल कर चुके है। इस किताब का इख़्तिसार सबसे पहले माहनामा हिदायत जयपुर में नौ क़िस्तों में शाय हुआ और मजलिसे नौजवानाने मिल्लत जयपुर ने इसको हिन्दी ज़बान में उस मौक़े पर शाय किया जब 61 लड़कों की शादी बग़ैर किसी तिलक व जहेज़ के हुई, उस इज्तिमाई शादी में राजस्थान के गवर्नर, वुज़राए हुकूमत और मुअज़्ज़िज़ीने शहर शरीक हुए। अल्लाह के फ़ज़लो करम से इसको क़ुबूलियते ख़ासो आम हासिल हुई।

इस किताब का पहला उर्दू एडीशन 2001 ई. में फ़रीद बुक डिपो दिल्ली से शाय हुआ जिसको तवक़्क़ो से ज़्यादा मक़बूलियत व पज़ीराई हासिल हुई और दूसरा एडीशन ज़रूरी तर्मीम व इज़ाफ़े के साथ मकतबा मदीना देवबन्द से शाय हुआ है। 144 सफ़हात पर मुश्तमिल यह किताब उलमाए किराम की क़ीमती तहरीरों और अहम दारुल इफ़्ता के फ़तवों से आरास्ता है।

इस किताब से मुताल्लिक़ उलमाए किराम के तास्सुरात :

..... जहेज़ और तिलक के मौज़ू पर गहरे तजज़िया, आदादो शुमार के ज़रिए मसले की तफ़हीम और फिर उसकी फ़िक़ही और शरई हैसियत पर यह निहायत ही मुफ़स्सल, जामे और चश्मकुशा तहरीर है और मुसन्निफ़ के इल्मी ज़ौक़ और तसनीफ़ी सलीक़े की ग़म्माज़ भी..... (हज़रत मौलाना ख़ालिद सैफ़ुल्लाह रहमानी, सैक्रेट्री : ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड)

माशा अल्लाह आपने बड़ी मेहनत और जाँफिशानी से लिखी है और बहुत ही उम्दा मवाद यकजा कर दिया है। अल्लाह आपकी इस गराँक़दर मेहनत को क़ुबूल फ़रमाए और आपके लिए ज़ादे आख़िरत बनाए। मुझे तवक़्क़ो है कि आप आइन्दा भी इसी तरह इल्मी व दीनी मज़ामीन पर काम करते रहें जिनसे मुल्क व मिल्लत को फ़ायदा पहुँचता रहे। (हज़रत मौलाना मुफ़्ती ज़फ़ीरुद्दीन साहब मिफ़्ताही, साबिक़ सदर : इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी इण्डिया)

सफ़हात : 144 क़ीमत : 30 रूपये

मिलने के पते :

1. मकतबा मदनिया, सफेद मस्जिद, देवबन्द – 247554 (यूपी)

1. फ़रीद बुक डिपो, 2158, एम.पी. सट्रीट, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली–110002

इस किताब के बारे में
उलमाए किराम के तास्सुरात

● **मौलाना मुनव्वर सुल्तान साहब नदवी**
उस्ताज़े फ़िक़्ह व अरबी अदब, दारुल उलूम नदवतुल उलमा, लखनऊ

मौलाना मोहम्मद शमशाद नदवी (उस्ताज़ जामिअ तुल हिदाया, जयपुर) नौजवान क़लमकारों में एक मारूफ़ नाम है जो अपनी काविशों के ज़रिए इल्मी दुनिया में शनाख़्त बनाने में पूरी तरह कामयाब रहे हैं। तदरीसी और सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों के साथ दो दर्जन से ज़ाइद किताबें तस्नीफ़ करना काम नहीं कारनामा है जिसके लिए आप बजा तौर पर इल्मी दुनिया से ख़िराज के मुस्तहिक़ हैं। ज़ेरे तबसिरा किताब इस्लामी ख़ानदान अपने मौज़ू पर अहम पेश रफ़्त है। किताब के नाम से महसूस हुआ कि यह अवामी इस्लाह के अन्दाज़ की किताब होगी, लेकिन जब इसके मुताले का मौक़ा मिला तो मेरा ख़्याल ग़लत साबित हुआ। इसमें इस्लाही पहलू के साथ इल्मी अन्दाज़, तजरबाती उस्लूब और इस्लामी मुआशरा और मग़रिबी मुआशरे के माबैन मुवाज़ने का तर्ज़ बहुत उम्दा और मुतास्सिरकुन है, बिला शुब्हा मुसिन्नफ़ की यह किताब एक कामयाब कोशिश है। एक अच्छी किताब में जो ख़ूबियाँ हो सकती हैं मवाद, तरतीब और ज़बान व बयान हर लिहाज़ से उम्दा है।

● **हज़रत मौलाना मो. इलियास साहब नदवी**
जनरल सैक्रेट्री मौलाना अबुल हसन अली नदवी इस्लामिक एकेडमी, भटकल

आपकी नई तख़्लीक़ इस्लामी ख़ानदान कुछ दिनों क़ब्ल मौसूल हुई थी। मुसलसल असफ़ार में रहने की वजह से इसके मुताले का मौक़ा नहीं मिला था आज इसके मुताले की सआदत हासिल हुई। अल्हम्दु लिल्लाह आपने वक़्त के अहम मौज़ू पर क़लम उठाया है। मुस्लिम मुआशरे के मौजूदा सूरतेहाल के पेशे नज़र यह वक़्त की अहम ज़रूरत है, आपने बड़े सलीक़े से मौज़ू का एहाता किया है, मुआशरती मसाइल पर आपको सुलझे हुए अन्दाज़ में लिखने का अल्लाह तआला ने वस्फ़ अता किया है। उम्मीद कि आपके क़लम से इसी तरह की मिल्ली ज़रूरियात पर तख़्लीक़ात सामने आती रहेगी। इस कामयाब तस्नीफ़ी कोशिश पर दिल से मुबारकबाद क़ुबूल कीजिए।

● **मौलाना डॉ. मो. तारिक़ अय्यूबी नदवी**

मुदीरे आला निदाए एतदाल, अलीगढ़

ज़रे नज़र किताब इस्लामी ख़ानदान बड़ी मुफ़ीद और मौज़ूआती तर्ज़ की किताब है। अपने मौज़ू पर मुकम्मल व मुदल्लल है। मुसन्निफ़ ने इन्तिहाई अर्क़ रेज़ी से इसका मवाद जमा किया है और इस तरह वह इस्लामी ख़ानदान के ख़ुतूत वाज़ेह करने में कामयाब हुए हैं .... यह बड़ी मुफ़ीद काविश है जिसको मुतअद्दद अहले क़लम ने सराहा है..... मुख़्तसर यह कि यह किताब हर लिहाज़ से मुफ़ीद है। हमारी बड़ी तंज़ीमों को चाहिए कि वह हर मुसलमान को अपने ख़ानदानी निज़ाम से वाक़िफ़ होने और पुरसुकून व इत्मीनानबख़्श ज़िन्दगी गुज़ारने के लिए इस किताब को पढ़ने की तलक़ीन करें।

● **हज़रत मौलाना अय्यूब साहब भटकली नदवी**

सदर जमईय्यतुल सुन्ना अल ख़ैरिया, भटकल कर्नाटक

माशा अल्लाह मौसूफ़ ने बड़ी उम्दा किताब तस्नीफ़ की है जो आज की अहम ज़रूरत है...... यह किताब ख़ानदानी निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए बेहतरीन मुरब्बी है। हर मुसलमान तो क्या बल्कि हर इन्सान को इन बातों से वाक़िफ़ होना चाहिए। ख़ुसूसन मस्तूरात के लिए यह किताब बहुत अहम है। मस्तूरात के मदारिस हिन्दुस्तान में हज़ारों हैं, इनमें आख़री दरजात में किताब निसाब में हो, वरना कम अज़ कम मुताले के निसाब में ज़रूर शामिल होना चाहिए।

● **मौलाना मो. आरिफ़ साहब नदवी**

उस्ताज़ तफ़सीर व अरबी अदब जामिअ तुल हिदाया, जयपुर

मुरत्तिबे किताब मौलाना मो. शमशाद नदवी साहब के क़लम गुहरबार से इस्लाहे मुआशरा, हुक़ूक़े निस्वाँ और जहेज़ के मौज़ूआत पर कई मुफ़ीद किताबें व रसाइल और इल्मी व हतक़ीक़ी मक़ालात शाए होकर मक़बूल हो चुके हैं। अल्लाह तआला इस ज़ेरे नज़र किताब इस्लामी ख़ानदान में बयानकर्दा इस्लामी तालीमात व हिदायात पर अमल करने की पूरी मिल्लत को तौफ़ीक़ दे।

कुछ मुसन्निफ़ के बारे में

नाम	:	मोहम्मद शमशाद नदवी बिन हाजी मो. यूनुस
कुन्नियत	:	अबू सईद नदवी/अबू मुहसिना नदवी
आबाई वतन	:	रामपुर केशो, ज़िला शिवहर (बिहार)
तारीख़े पैदाइश	:	14 सितम्बर 1971 ई.
सुकूनत	:	जयपुर
तालीम	:	– फ़ज़ीलत दारुल उलूम नदवतुल उलमा, लखनऊ – तख़स्सुस फ़िल फ़िक़्ह वल क़ज़ा (इमारते शरईया फुलवारी शरीफ़ पटना) – एम. ए. व दीगर कोर्सेज़
मौजूदा ज़िम्मेदारियाँ	:	– उस्ताद जामिअतुल हिदाया, जयपुर – मुआविन मुदीर – माहनामा हिदायत, जयपुर

तसनीफ़ात : इल्मी व फ़िकरी, दावती व इस्लाही और अदबी सवानेही मौज़ूआत पर सौ से ज़ाइद मज़ामीन व मक़ालात मुख़्तलिफ़ रसाइल व अख़बारात में शाए हो चुके हैं। इनके साथ ही चन्द किताबें शाय होकर मक़बूल हो चुकी हैं। बाज़ ज़ेरे तबा हैं। फ़िलवक़्त कुल तसनीफ़ात हस्बे ज़ैल हैं–

1. जहेज़ एक नासूर (उर्द/हिन्दी)
2. इस्लाहे मुआशरा और इस्लाम (2 जिल्दें)
3. औरत इस्लामी मुआशरे में
4. अरकाने इस्लाम
5. महद से लहद तक
6. नुक़ूशे हिदायत
7. मदारिसे इस्लामिया के तलबा : ख़ुसूसियात और मवाक़े
8. चराग़े राह
9. मुतालए कुतुब
10. इस्लाम का निज़ामे तलाक़
11. इस्लामी मालूमात (सवाल–जवाब)
12. रिश्वत की शरई हैसियत
13. चमन–चमन के फूल
14. मुन्तख़ब नातिया कलाम
15. तोहफ़तुल अतफ़ाल
16. जानो माल और इज़्ज़त की क़द्रो क़ीमत
17. चन्द अज़ीम शख़्सियात
18. यादे रफ़्तगाँ
19. मज़ाहिबे आलम
20. मुन्तख़ब अहादीस मय तर्जमा
21. हिन्दुस्तान में औरतों को दरपेश मसाइल व मुश्किलात
22. हुक़ूक़ुल इबाद
23. निज़ामुत्तलाक़ फ़िल इस्लाम : अहमियतुहू व ज़रूरतुहू
24. जहेज़ उलमाए इस्लाम की नज़र में
25. 200 मुस्लिम मुजाहिदीने आज़ादी
26. मदारिसे इस्लामिया और जदीद तक़ाज़े
27. इस्लामी मुआशरा

कांफ्रेंस व सेमीनार : मुतअद्दद इल्मी व अदबी, फ़िक़ही व मिल्ली सेमीनार व कांफ्रेंस और सिम्पोज़ियमों में शरीक होते रहे हैं जहाँ उलमा व दानिश्वरान और माहिरीने फ़न से मुलाक़ात व इस्तफ़ादे के मवाक़े हासिल हुए।

राबिता :

मोहम्मद शमशाद नदवी

जामिअ तुल हिदाया, रामगढ़ रोड, जयपुर – 302 036 (राजस्थान) इण्डिया

मोबाइल नं. : 9314282144, 9829158105

Islami Khaandaan

By :
Maulana Mohammad Shamshad Nadwi
Jamea tul Hidaya, Ramgarh Road, JAIPUR–302 036 (Raj.)
Mobile No. : 98291 58105
E–mail : mdshamshadnadwi@gmail.com
facebook.com/mohdshamshadnadwi.in

Printed By : Al Qalam Computers | JPR | 9314510296